वाणी

वर्ष : 36 अंक 134 सितंबर 2022

राजभाषा
विशेषांक

वर्ष 2021-22 हेतु माननीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री निशिथ प्रामाणिक से राजभाषा कीर्ति - द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए हमारे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता ।

पत्रिका पढ़ने के लिए, क्यूआर कोड स्कैन करें

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
तिमाही गृह पत्रिका

स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में केन्द्रीय कार्यालय के प्रांगण में ध्वजारोहण किया गया । इस अवसर पर ध्वजारोहण के पश्चात तिरंगे को सलामी देते हुए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता ।
उनके साथ हैं हमारे
कार्यपालक निदेशक
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव,
कार्यपालक निदेशक
सुश्री एस श्रीमती एवं
मुख्य सतर्कता अधिकारी
श्री आर बालसुब्रमानियन

आइओबी सिलेक्ट कार्ड का
विमोचन करते हुए
कार्यपालक गण

वाणी

वर्ष : 36 अंक 134 सितंबर 2022

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की तिमाही गृह पत्रिका

राजभाषा विशेषांक

संदेश

माननीय गृह मंत्री जी का संदेश 3

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय का संदेश 5

कार्यपालक निदेशक महोदय का संदेश 6

कार्यपालक निदेशक महोदया का संदेश 7

महा प्रबन्धक महोदय का संदेश 8

संपादकीय

विश्वव्यापी हिन्दी 9

विशेष आलेख

भाषा का मानकीकरण 14

आजादी का अमृत महोत्सव हिंदी का अमृत काल 22

हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाएँ 28

संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी 36

हिन्दी के विकास में बंगाल की भूमिका 40

हिंदी के प्रगामी प्रयोग में आइओबी का योगदान 46

फिल्म जगत और हिन्दी साहित्य का संबंध 52

रोज़गार और हिन्दी 55

बैंकिंग व अन्य लेख

डिजिटल रुपये का क्रांतिकारी दौर शुरू 10

बैंकों में अनुपालन संस्कृति: समय की आवश्यकता 12

व्हिसल ब्लोअर की शिकायतें – एक संक्षिप्त परिचय 17

कविता

इंतज़ार 13

हमारी प्यारी हिन्दी 16

सारी सृष्टियाँ 24

साहित्य का सफ़रनामा

ज़माना ही नाक़ाबिले बर्दाश्त है 25

वैश्विक पटल पर हिन्दी

मॉरीशस में हिन्दी 49

फोटो फ़ीचर

केन्द्रीय कार्यालय में हिन्दी दिवस आयोजन की झलकियाँ 30

क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी दिवस कार्यक्रम की झलकियाँ 32

सूरत में आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में बैंक द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी की झलकियाँ 34

माननीय संसदीय समिति द्वारा बड़ौदा क्षेत्रीय कार्यालय के निरीक्षण की झलकियाँ 35

कृति दर्पण

सिक्कों में ढलते लोग 19

नज़र कानूनी

कर्ज़ वसूली के लिए बैंकों के हाथ और मजबूत हुए 38

ख़तों के रास्ते इतिहास

बेगुनाही की सज़ा 43

विविधा

ज्ञान के मोती 51

हंसी की फुलझड़ियाँ 51

12वें विश्व हिन्दी सम्मेलन का लोगो 57

शब्द शब्दांतर 58

राजभाषा प्रश्नोत्तरी 59

प्रतिस्पन्दन 60

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
की तिमाही गृह पत्रिका

वाणी

वर्ष : 36 अंक 134 सितंबर 2022

मुख्य संरक्षक
पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संरक्षक
अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

संरक्षक
एस श्रीमती
कार्यपालक निदेशक

परामर्शदाता
शुभेन्दु कुमार वर्मा
महा प्रबन्धक

संपादक
कृष्ण कुमार गुप्ता
मुख्य प्रबंधक सह संपादक

तुम वहन कर सको जन-मन में मेरे विचार !
वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार ?

संपादन सहयोग
फणीष मणि त्रिपाठी
प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

संपादन सहयोग
नगेन्द्र कुमार सिंह
प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

संपादन सहयोग
शुभम दीक्षित
सहायक प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

मुद्रक
कृष्णराज प्रिंटर्स
36 देवराजन स्ट्रीट, रॉयपेट्टा
चेन्नै 600 014, तमिलनाडु
दूरभाष : 044-28481125

वाणी में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के निजी हैं ।
बैंक का इससे सहमत होना ज़रूरी नहीं है ।

पत्र व्यवहार का पता
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
763 अण्णा सालै, चेन्नै 600002
फैक्स : 044-28551618
दूरभाष : 044-28519572
ई-मेल : official@iobnet.co.in

केवल आंतरिक परिचालन हेतु

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

प्रिय देशवासियो!

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं ।

हमारा देश सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है । देश की भाषाई संपन्नता को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में भाषाओं के लिए अलग से आठवीं अनुसूची का प्रावधान किया जिसमें प्रारंभ में 14 भाषाएं रखी गयी थीं और अब इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। भारत की सभी भाषाएं महत्वपूर्ण हैं और अपना समृद्ध इतिहास भी रखती हैं । विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हिंदी ने जनमानस के मन में विशेष स्थान प्राप्त किया है। यही कारण है कि आज़ादी के आंदोलन में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी को संपर्क भाषा बनाकर आंदोलन को गति प्रदान की । 'स्वराज' प्राप्ति के हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में स्वभाषा का आन्दोलन निहित था । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी की महती भूमिका को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343 द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि को अपनाया । संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश दिए गए हैं ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रेरणादायक नेतृत्व में आज जब पूरा देश आज़ादी का अमृत में महोत्सव मना रहा है और प्रत्येक क्षेत्र में हम नई ऊर्जा के साथ नये संकल्प ले रहे हैं, ऐसे में यह सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि राजभाषा हिंदी को लेकर संविधान द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए ।

किसी लोकतांत्रिक देश में सरकारी कामकाज की भाषा तभी सार्थक भूमिका अदा कर सकती है जब वह देश के जन सामान्य से जुड़ी हो और प्रयोग करने में आसान हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे समझते हों और जनसामान्य में लोकप्रिय हो । हिंदी की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसके साथ ही राजभाषा हिंदी में आवश्यकता के अनुसार शब्दावली निर्माण, वर्तनी के मानकीकरण किए गए और सरकारी कार्यालयों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन की नीति अपनाई गई। राजभाषा की इस विकास यात्रा में हमने कई लक्ष्य प्राप्त किए हैं लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। विगत तीन वर्षों से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकारी काम-काज में हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक करने के लिए गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर प्रयासरत है जिससे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिंदी का काम-काज तेजी से बढ़ा है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्तमान में गृह मंत्रालय में ज्यादातर कार्य हिंदी में किया जाता है तथा कई अन्य मंत्रालयों में माननीय मंत्री भी अपना अधिकांश कार्य राजभाषा हिंदी में करते हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन की गति तीव्र करने और समय समय पर किए गए कार्यों की समीक्षा हेतु मई, 2019 में नई सरकार के गठन के पश्चात 57 मंत्रालयों में से 53 में हिंदी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है तथा निरंतर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। देश भर में विभिन्न शहरों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने की दृष्टि से अब तक कुल 527 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा चुका है। विदेशों में लंदन, सिंगापुर, फिजी, दुबई और पोर्ट लुई में भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। राजभाषा कार्यान्वयन को और मजबूत करने की दिशा में संसदीय राजभाषा समिति अपनी सिफारिशों के दस

खंड माननीय राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर चुकी है तथा 11 वां खंड शीघ्र ही सौंपा जा रहा है।

राजभाषा विभाग द्वारा 13-14 नवंबर, 2021 को बनारस में पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन तथा नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों के लिए पहला तकनीकी सम्मेलन आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों से हिंदी प्रेमियों के उत्साह में अपार वृद्धि हुई है। यह और भी सुखद है कि हिंदी दिवस 2022 तथा द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का ऐतिहासिक आयोजन गुजरात के सूरत शहर में हो रहा है।

गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है। राजभाषा विभाग ने स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली 'कंठस्थ' का निर्माण और विकास किया है जिसमें आज लगभग 22 लाख वाक्य शामिल किए जा चुके हैं। इस टूल का प्रयोग सुनिश्चित कर सरकारी कार्यालयों में अनुवाद की गति एवं गुणवत्ता बढ़ाई गई है। राजभाषा विभाग द्वारा जनसाधारण के लिए **'लीला हिंदी प्रवाह'** मोबाइल ऐप तैयार किया गया है जिसे अपनाकर 14 विभिन्न भाषा-भाषी अपनी अपनी मातृभाषाओं से निःशुल्क हिंदी सीख सकते हैं। राजभाषा विभाग के 'ई-महाशब्दकोश' में 90 हज़ार शब्द सम्मिलित किए गए हैं और 'ई-सरल' हिंदी वाक्यकोश में 9 हज़ार वाक्य शामिल हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को नई शिक्षा नीति मिली जिसमें मातृभाषा में शिक्षा देने को प्राथमिकता दी जा रही है। राजभाषा विभाग ने अमृत महोत्सव के अवसर पर विधि, तकनीकी, स्वास्थ्य, पत्रकारिता तथा व्यवसाय आदि सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को शामिल करते हुए हिंदी से हिंदी **'बृहत शब्दकोश'** के निर्माण पर भी काम शुरु किया है और सुलभ संदर्भ के लिए एक अच्छे शब्दकोश का सृजन किया जा रहा है। इस तरह की उन्नत शब्दावली प्रशिक्षण, अनुवाद तथा शीघ्रता से ग्रहण करने में भाषा की जानकारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी।

हजारों वर्षों से भारतीय सभ्यता की अविरल धारा हमारी भाषाओं, संस्कृति और लोकजीवन में सुरक्षित रही है। भारत में स्थानीय भाषाओं का योगदान हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अतुलनीय रहा है। इन भाषाओं ने हिंदी को समृद्ध किया है। हिंदी उन समस्त भारतीय भाषाओं की मूल परंपरा से है जो इस देश की मिट्टी से उपजी हैं, यहीं पुष्पित पल्लवित हुई हैं और जिन्होंने अपनी शब्द-संपदा, भाव संपदा, रूप, शैली और अपने पदों से हिंदी को लगातार समृद्ध किया है। **राजभाषा हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि उसकी सखी है और हमारी सभी भाषाओं का विकास एक दूसरे के परस्पर सहयोग से ही संभव है।**

प्रिय देशवासियो ! हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ कि आप और हम मिलकर यह संकल्प लें कि अपनी भाषाओं पर गर्व की अनुभूति करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश-विदेश के मंचों पर हिंदी में उद्बोधन देते हैं जिससे सभी हिंदी प्रेमियों में उत्साह का संचार होता है । आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रतिभाशाली नेतृत्व में आने वाले 25 वर्षों को देश में अमृतकाल के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में भाषाई समरसता को ध्यान में रखते हुए हिंदी तथा हमारी सभी भारतीय भाषाओं का विकास अत्यंत आवश्यक है।

आइये, आज संकल्प लें कि अपने दैनिक कार्यों में, कार्यालय के कामकाज में अधिक से अधिक काम हिंदी तथा स्थानीय भाषाओं में करके दूसरों के लिए भी अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तथा संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति करेंगे।

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को पुनः मेरी हार्दिक शुभकामनाएं ।

जय हिंद !

नई दिल्ली

14 सितंबर, 2022

(अमित शाह)

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय का संदेश

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत। कठोपनिषद् के इन शब्दों से प्रेरणा लेकर स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को ये संदेश दिया कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये सच है कि कर्तव्य पथ पर विश्राम के क्षण कम होते हैं और हम आइओबियंस के लिए तो ये समय आराम करने का बिल्कुल भी नहीं है।

अर्थव्यवस्था से मिल रहे संकेत साफ बता रहे हैं कि बैंकों के लिए ये समय सुअवसरों से भरा है। अब तक हम बढ़ती महंगाई, मॉनसून कैसा रहेगा, ब्याज दरें बढ़ेंगी तो बाज़ार की प्रतिक्रिया क्या होगी, जैसी आशंकाओं से घिरे थे। पर धीरे-धीरे आशंकाओं के बादल छट रहे हैं। मॉनसून बेहद अच्छा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए प्रयासरत है। मेरा अनुमान है कि ब्याज दरों का रुख ऊपर की ओर बना रहेगा।

सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय में 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। मार्च 2023 तक 7.5 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद करनी चाहिए कि अक्तूबर से मार्च 2023 के दौरान सरकारी खर्च बढ़ने जा रहा है। सरकार द्वारा किए जाने वाले इस व्यय से अर्थव्यवस्था को काफी ताकत मिलेगी। सकल घरेलू उत्पाद के लिए ये ईंधन का काम करेगा और विकास को रफ्तार देगा।

आर्थिक दृष्टिकोण सकारात्मक माहौल की ओर इशारा कर रहे हैं। हम आइओबियंस के लिए ये लंबी छलांग लगाने का समय है। हमें इस अवसर का पूरा लाभ लेना चाहिए और बैंक के कारोबार को नई ऊँचाईयों पर ले जाना चाहिए। सितंबर तिमाही के परिणाम में ये देखने को मिला है कि हमने ऋण देने की ओर रूझान बढ़ाया है। निवल ब्याज अंतर में भी बढ़ोतरी हुई है जिससे संवृद्धि मिली है। हमें ऋण देने की अपनी आदत को बनाए रखना है। पहले हम कॉर्पोरेट क्षेत्र में सीमित थे लेकिन अब समान रूप से हर क्षेत्र में ऋण दे रहे हैं। हमारे ऋण पोर्टफोलियो में जितनी विविधता रहेगी, जोखिम उतना ही कम होगा। हमारे बैंक के घरेलू अग्रिम में रीटेल, कृषि और एमएसएमई का हिस्सा अब लगभग 73% है जिसे बनाए रखना है।

ऋण में वृद्धि के साथ हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि अगली दो तिमाहियों में निवल एनपीए को भी 2.5 प्रतिशत पर या इसके नीचे लेकर आएं। इसके लिए सभी आइओबियंस को मिलकर प्रयास करना होगा। हमें कम लागत वाली जमाएं जुटाने पर भी ध्यान देना होगा। नए ग्राहक जोड़कर और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा देकर हम इस पहलू को मजबूत कर सकते हैं। हमें अधिक से अधिक युवाओं को बैंक से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए।

'वाणी' के माध्यम से ये साझा करते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन की सराहना केंद्र सरकार द्वारा की गई है। 14 सितंबर 2022 को सूरत में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में हमारे बैंक को गृह मंत्रालय की ओर से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। यह क्षण मेरे लिए अविस्मरणीय था। इस उपलब्धि के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ।

मुझे याद है कि मैंने जुलाई 2020 में आइओबी के मुंबई दफ्तर में पदभार ग्रहण किया था। तब कोविड का दौर था। हमारा बैंक मामूली लाभ में आ चुका था पर पीसीए में था। आज बैंक पीसीए से बाहर आकर मजबूत स्थिति में है। इसका श्रेय आप सभी को जाता है। मैंने हमेशा महसूस किया है कि बैंक की लाभ-हानि में सबसे बड़े भागीदार उसके कर्मचारी होते हैं। यही वजह थी कि जब अच्छा वक्त आया तो बैंक ने उसका फायदा आपको लौटाने की कोशिश की। स्टाफ के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गईं। एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई कि साथी बैंकों में जो सुविधाएं मिलती हैं वो आइओबियंस को भी मिलें। मानव संसाधन सबसे बड़ी संपत्ति है। स्टाफ सदस्यों का भरोसा, उनकी उम्मीदें बैंक पर टिकी होती हैं। बैंक के तुलन-पत्र के साथ, मैंने इस विश्वास और अपनेपन को भी मजबूत करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आइओबी का ये कारवां आप सभी के साथ नई मंजिलों की ओर अग्रसर रहेगा। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं।

आदमी मुसाफ़िर है, आता है जाता है
आते जाते रस्ते में, यादें छोड़ जाता है

पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कार्यपालक निदेशक महोदय का संदेश

प्रिय साथियो,

ये हर्ष का विषय है कि वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार की ओर से हमारे बैंक को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हिन्दीतर प्रदेश में मुख्यालय होने के बावजूद हमारे बैंक को राजभाषा कार्यान्वयन के लिए सरकार से पहचान मिलना हम सभी आइओबियंस के लिए गर्व की बात है। यह उपलब्धि सम्मिलित प्रयासों से मिली है इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। राजभाषा विभाग को भी मेरी ओर से शुभेच्छाएं और बधाई।

सितंबर तिमाही एक और उपलब्धि के लिए याद की जाएगी और वो है हमारे बैंक का कारोबारी परिणाम। हमारे बैंक ने सितंबर तिमाही में 501 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज़ किया है जो सितंबर 2021 के मुकाबले 33 प्रतिशत अधिक है। बीस हज़ार करोड़ के निवल एनपीए और वित्तीय वर्ष 2016-17 में लगभग साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए की हानि झेल रहे एक बैंक के लिए ठोस मुनाफे के साथ वापसी करना बड़ी बात है। सितंबर तिमाही के परिणाम में इससे भी अच्छा संकेत ये है कि हमारे बैंक में ऋण संवितरण की गति तेज हुई है। सकल अग्रिम में लगभग 18 परसेंट की वृद्धि है। हमें इस गति को आगे भी बनाए रखना है। अर्थव्यवस्था से मिल रहे संकेत भी अनुकूल दिख रहे हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश अब कोविड की तकलीफों से बाहर आ चुका है। अर्थव्यवस्था तरक्की के रास्ते पर अग्रसर है। बाज़ार में माँग दिख रही है। बढ़ती ब्याज दरों के बावजूद लोगों में ऋण लेने की इच्छा है और वो बैंक आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, हाउसिंग, ऑटो सेक्टर में काफी हलचल है। अच्छे मॉनसून से ग्रामीण इलाकों से भी माँग आ रही है। बढ़ती महंगाई की वजह से कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हैं। इस वजह से कारोबारियों को अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है। ये सभी वजहें ऋण संवृद्धि के लिए सकारात्मक माहौल तैयार कर रही हैं। हमें इस मौके का पूरा लाभ लेना चाहिए और अपने ऋण पोर्टफोलियो को मजबूती के साथ बढ़ाना चाहिए। हमें एक जिम्मेदार बैंकर की तरह ऋण प्रस्तावों का सावधानी से अध्ययन करके विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। ये बेहद ज़रूरी है। हमें विकास के रास्ते पर बढ़ते हुए अधिक सावधान व सचेत रहना चाहिए।

एक और अहम पहलू जिस पर हमें बेहद गंभीर होने की आवश्यकता है। सितंबर के कारोबारी परिणाम में बैंक को भारी भरकम प्रावधान करना पड़ा है। इसे बिल्कुल अनदेखा नहीं किया जा सकता है। मैंने पाया है कि ऋण देने के क्रम में हम ऋण वसूली के पहलू को नज़रअंदाज़ कर देते हैं, जो घातक है। हमें एक बारीक संतुलन बनाकर चलना होगा। एक हाथ से ऋण दें तो दूसरे हाथ से वसूली भी जारी रखें। दोनों प्रक्रियाएं समानांतर चलनी चाहिए। हमें नए फिसलनों को रोकना होगा। अपने ऋणों की निगरानी करनी होगी। हमें पूर्व की अपनी गतलियों से सबक सीखना होगा। एमएसएमई के साथ रीटेल ऋण पोर्टफोलियो पर भी निगरानी रखनी होगी। ज़रा भी तनाव दिखने पर पूरी मुस्तैदी और ऊर्जा के साथ उस ऋण को संभालने में लगना होगा।

अपने सामने मौजूद मौके को हम छोड़ नहीं सकते और ये भी सच है कि हम ऋण वसूली से भी मुंह मोड़ नहीं सकते। विपरीत परिस्थितियों ने हमें लड़ना और जूझना सिखाया है। हमने तब भी चलना नहीं छोड़ा था। हां, हमारी गति थोड़ी मंद ज़रूर पड़ गई थी। लेकिन अब अर्थव्यवस्था की रफ्तार से कदमताल करने का वक्त है। इस अवसर का हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी बैंक के कारोबार की संवृद्धि के लिए पूरा ज़ोर लगाएंगे और बैंक को मजबूत बनाएंगे।

आपको शुभकामनाएं देते हुए मुझे राष्ट्रकवि दिनकर की ये पंक्तियाँ याद आ रही हैं:-

खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़
मानव जब ज़ोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है

अजय कुमार श्रीवास्तव

कार्यपालक निदेशक

कार्यपालक निदेशक महोदया का संदेश

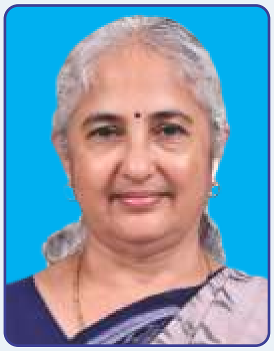

प्रिय सहकर्मियो,

वाणी का सितंबर अंक, जिसे हम राजभाषा विशेषांक के रूप में प्रकाशित करते आ रहे हैं, आपको सौंपते हुए मुझे असीम गौरवानुभूति हो रही है । गौरवान्वित होने का कारण अब किसी से छुपा नहीं है । हमारे बैंक के केंद्रीय कार्यालय को भारत सरकार, गृह मंत्रालय से राजभाषा कार्यान्वयन हेतु राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ । यह साबित करता है कि हम अपनी सफलता की कसौटी पर काफ़ी हद तक खरे उतरे हैं । बैंक के हिस्से में आई इस उपलब्धि के लिए आप सभी के अथक प्रयासों को कलमबद्ध किए बिना अपनी बात की शुरुआत करना अनुचित होगा । ये आप सभी के समेकित प्रयासों का ही परिणाम था कि हम इस पुरस्कार को प्राप्त कर सके । इसके लिए हमारी राजभाषा टीम तथा सभी स्टाफ़ सदस्य बधाई तथा सराहना के पात्र हैं । लेकिन जो बात मैं यहाँ जोड़ना चाहती हूँ वह यह कि सफलता की सबसे पहली कसौटी होती है पुरस्कार । जब-जब राजभाषा कार्यान्वयन में हमारे बैंक को भारत सरकार का पुरस्कार प्राप्त होता है तो माना जाता है कि हम अपनी सफलता की कसौटी पर खरे उतर सके । किन्तु बेहतरी की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है । ऐसे में मैं, मुक्तिबोध जी की कविता की पंक्ति "जो है उससे बेहतर चाहिए" आपको सौंपते हुए कहना चाहूँगी कि हमें इस 'बेहतर' की आकांक्षा को पूरा करने के लिए सतत रूप से प्रयासरत रहना होगा ।

आज भी हम देखते हैं कि कई क्षेत्रों में हिन्दी का काम तो होता है, पर हिन्दी में काम नहीं होता । इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले डेढ़-दो दशकों में हिन्दी ने व्यापक स्तर पर अपने पैर पसारे हैं और विज्ञापन के क्षेत्र में तो हिन्दी का ही बोलबाला है । बैंकों में भी हम पाते हैं कि हिन्दी ने विशाल स्तर पर अपनी पैठ बना ली है और डिजिटल बैंकिंग, मार्केटिंग एवं ग्राहक सेवा जैसे क्षेत्रों में हिन्दी की पहुँच पहले की अपेक्षा काफी संतोषजनक बनी हुई है । यदि हम सब अपना-अपना योगदान सही ढंग से देंगे, अपनी भूमिका का निर्वहन समुचित रूप से करेंगे तो कोई कारण नहीं कि हम शीर्ष तक पहुँचने से वंचित रहें । यह क्षण, हम सभी के लिए गौरवान्वित होने का क्षण है किन्तु हमें यह भी याद रखना है कि एक समय में विजय प्राप्त करना जितना महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, यश प्राप्ति के पश्चात उस कीर्ति को बनाए रखने का भार और अधिक गुरुतर हो जाता है । इन्हीं भावों के साथ मैं दुष्यंत कुमार की कविता आप सभी को सौंपते हुए अपनी वाणी को विराम दूँगी...

हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए ।

आज ये दीवार, पर्दों की तरह हिलने लगी,
शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए ।

शुभकामनाओं सहित...

श्रीमती

एस श्रीमती

कार्यपालक निदेशक

महा प्रबंधक महोदय का संदेश

प्रिय साथियो,

हमारे बैंक की गृह पत्रिका "वाणी" के माध्यम से आप सभी से संवाद का यह मेरा पहला अवसर है । यह पत्रिका कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है और सुधी पाठकों के बीच अपनी अमिट छाप छोड़ते हुए, बैंक की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाती आ रही है । 133 अंकों की सुदीर्घ शृंखला और 36 वर्षों के वृहत्तम इतिहास को संजोए रखने वाली, हमारे बैंक की वाणी में अपना स्वर जोड़ना, एक अलग किस्म की सुखानुभूति है ।

निस्संदेह राजभाषा कार्यान्वयन में पत्रिकाओं एवं पुस्तिकाओं के प्रकाशन का महत्वपूर्ण योगदान होता है । इससे न सिर्फ स्टाफ सदस्यों की लेखन कला को प्रोत्साहन मिलता है वरन हिंदी भाषा में बैंकिंग संबंधी पठनीय सामग्री का भी सृजन होता है । इस उद्देश्य की सार्थकता हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ई-पत्रिकाओं का नियमित रूप से प्रकाशन किया जा रहा है, जो कि सराहनीय है । साथ ही, हमें ध्यान रखना है कि हमारा मूल उद्देश्य राजभाषा में वास्तविक कार्यान्वयन पर अत्यधिक बल देना है । ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन की रूपरेखा बनाकर, उस दिशा में सतत प्रयासरत रहना है । यह उल्लेख करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु राजभाषा कार्यान्वयन के लिए हमारे बैंक को राजभाषा कीर्ति - द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है । सभी स्टाफ सदस्य इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की प्राप्ति पर बधाई के पात्र हैं । पुरस्कार न सिर्फ हमारे मनोबल को बढ़ाता है बल्कि हमसे यह अपेक्षा भी करता है कि हम अपने मौजूदा प्रदर्शन को बरकरार रखें या उससे अधिक बेहतर करने की दिशा में स्वयं को अग्रसर करे । आप सभी के साझा प्रयत्न और दृढ़ संकल्प से, हम अगले वर्ष भी सम्मानीय पुरस्कार प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकते हैं । साथ ही, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को भी संबंधित नराकास एवं क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से पुरस्कार प्राप्त करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास करना चाहिए । आप सभी इतना बेहतर कार्य कीजिए कि निर्याणकों के पास आपके कार्यालय को उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार प्रदान करने हेतु चयन करने के अतिरिक्त अन्य कोई युक्ति ही न बचे । प्रयास हमेशा अपनी क्षमता से अधिक करना होगा, तब ही हम अपने लक्ष्य के समीप पहुँचने में सक्षम हो पाएंगे । आबंटित लक्ष्य को साधने के पश्चात की खुशी को प्रकट करते हुए कवि नागार्जुन लिखते हैं -

"नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है,
यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है,
मेरी भी आभा है इसमें ।"

बैंकर होने के नाते हमारी कई अन्य प्राथमिकताएँ भी हैं । हमें बैंक के कारोबार को बढ़ाने, आस्तियों की गुणवत्ता को बरकरार रखने और नए संभावित ग्राहकों को बैंक से जोड़ने के लिए सदैव प्रयासरत रहना है । सर्वविदित है कि किसी भी संस्थान के मुख्य शेयरधारक उसके स्टाफ सदस्य होते हैं । वे दृढ़ निश्चय कर लें तो संस्थान को आसमान की बुलंदियों तक पहुँचा सकते हैं । आवश्यकता है उन्हें नई तकनीक से जोड़ने और समय-समय पर प्रोत्साहित कर उनकी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करने की । बैंक के डिजिटल उत्पादों से ग्राहकों को अवगत करवाने का कोई भी अवसर न गवाएं । स्टाफ सदस्यों के विभिन्न बैंकिंग विषयक ज्ञान को परिमार्जित करने और वैश्विक स्तर पर बदलते बैंकिंग स्वरूप से परिचित करवाने के उद्देश्य से नियमित रूप से स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं । ऐसे प्रशिक्षण, हमारे कार्य करने की प्रकृति में सुधार लाते हैं । आप उस ज्ञान का अपने दैनंदिन कार्यों में सदुपयोग करते हुए, अपने कार्यालय को आबंटित सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने का भरसक प्रयास करें । हमें प्रण लेना चाहिए कि हम आइओबी को एक आदर्श बैंक के रूप में स्थापित करेंगे जो ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतर सके ।

क्रिसमस की शुभकामनाओं सहित,

शुभेन्दु कुमार वर्मा

महा प्रबन्धक

विश्वव्यापी हिंदी

हमारी गृह पत्रिका वाणी के संपादक के रूप में आप सभी से जुड़ने का यह मेरा पहला अवसर है । यद्यपि राजभाषा विभाग से मेरा जुड़ाव काफी पुराना है । अगर वाणी की बात करें तो इसके कलेवर, इसकी भाषा एवं इसके प्रकाशन शैली को कई कुशल संपादकों ने अपने अनुभव से तराशा और निखारा है । हमारा प्रयास रहेगा कि हम वाणी पत्रिका के स्तर को बरकरार रखते हुए, उसमें अधिक से अधिक शोधपरक बैंकिंग आलेखों एवं साहित्य को स्थान दें, जिससे कि पत्रिका और रूचिकर लगे । हमारा पूरा प्रयास रहता है कि उत्कृष्ट साहित्य आपके लिए प्रस्तुत हो । साथ ही, भावी लेखकों को प्रोत्साहित करना और उनका मार्गदर्शन करना भी इस पत्रिका का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है । रचनाओं में लेखकों की आंचलिकता का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा ।

फिजी में 12वाँ विश्व हिंदी सम्मेलन मनाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है । मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई है । सूरीनाम की सरनामी हिंदी से आप सभी अवगत ही होंगे । नेपाल, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, गुयाना, सिंगापुर, न्यूज़ीलैंड, पाकिस्तान आदि देशों में हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या काफी अधिक है । विश्व के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का कार्यक्रम चल रहा है । हम गर्व से कह सकते हैं कि आज हिंदी विश्वव्यापी भाषा बन चुकी है और अब संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनने की प्रबल दावेदार भी है ।

यह अंक राजभाषा विशेषांक के रूप में प्रकाशित हो रहा है । भाषा के बारे में कहा जाता रहा है कि जो भाषा रोजगार देने में सक्षम है, वही जीवित रहती है । अर्थात राजभाषा को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से, दुनिया के लगभग देशों ने एक से अधिक भाषा को, जरूरत के हिसाब से अपने देश में अधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है । गौरतलब है कि भाषा वही जीवित रहेगी, जिसे जनता की स्वीकारोक्ति प्राप्त हो । जिस भाषा में आप चिंतन एवं मनन करते हैं और जो आप के सपनों की भाषा है, वही आपकी भाषा है । हमारे मित्र देश रूस में कभी अभिजात्य वर्ग की भाषा फ्रेंच और रूसी भाषा को गँवारों की भाषा समझा जाता था । यहाँ तक की इंग्लैंड में भी अंग्रेजी भाषा का अभ्युदय गड़ेरियों की भाषा के रूप में हुआ था । लेकिन अब स्थिति बिल्कुल विपरीत है

वाणी के इस अंक में हमने हमेशा की तरह सभी स्थायी स्तंभों को बरकरार रखते हुए, मुख्यत: राजभाषा विषयक आलेखों को स्थान दिया है । एक ओर जहाँ राजभाषा विशेषांक के अंतर्गत 'रोजगार और हिंदी' विषयक आलेख में हिंदी के माध्यम से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के तहत उपलब्ध रोजगार के अपार अवसर, 'हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएँ' विषयक आलेख में हिंदी भाषा का शब्दकोश बढ़ाने में क्षेत्रीय भाषाओं का योगदान, 'संयुक्त राष्ट्र में हिंदी' विषयक आलेख में वैश्विक मंच पर हिंदी की स्थिति, 'फिल्म जगत और हिंदी साहित्य' विषयक आलेख में हिंदी साहित्य को आधार बनाकर गढ़ी गई बॉलीवुड की चर्चित फिल्में आदि वहीं दूसरी ओर बैंकिंग विषयक स्तंभ में डिजिटल रुपये का क्रांतिकारी दौर और बैंकों में अनुपालन संस्कृति की आवश्यकता जैसे गंभीर विषय पर चर्चा तथा कृति दर्पण स्तंभ में समकालीन रचनाकार नेमपाल प्रजापति जी की प्रसिद्ध पुस्तक 'सिक्कों में ढलते लोग' की विस्तृत समीक्षा को समेटा गया है । हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह प्रयास आप सभी को अवश्य पसंद आएगा । आप वाणी स्वयं भी पढ़ें और अपने परिजनों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें । वाणी पत्रिका की पहुँच अधिक से अधिक सुधी पाठकों तक हो, इसे ध्यान में रखते हुए इस बार पत्रिका के आवरण पृष्ठ पर क्यूआर कोड दिया गया है, जिसे स्कैन कर के आप अपने मोबाइल पर भी पत्रिका के 134वें अंक को पढ़ सकते हैं । आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा में ......

शुभकामनाओं सहित,

(कृष्ण कुमार गुप्ता)

मुख्य प्रबंधक सह संपादक

डिजिटल रूपये का क्रांतिकारी दौर शुरू

सुरेश कुमार रुंगटा, अंशकालिक निदेशक

मुद्रा का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अहम स्थान होता है। सभ्यता के विकास के प्रारंभिक चरण में लेन-देन, वस्तु विनियम के माध्यम से होता था, फिर मुद्रायें प्रचलन में आईं। प्राचीन भारत में कौड़ियों का इस्तेमाल मुद्रा के रूप में होता था। इसके बाद स्वर्ण, रजत, ताम्र, एल्युमीनियम तथा लोहे जैसी धातुओं से बनी मुद्रा लेन-देन का माध्यम रही। लेकिन लागत की अधिकता तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की असुविधा के कारण देश में कागज की मुद्रा का अविष्कार हुआ जो आज भी प्रचलन में है। कागज की इन मुद्राओं को छपवाने, रख-रखाव तथा प्रबंधन पर रिज़र्व बैंक को काफी खर्च करना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप सौ रूपये के नोट को लेते हैं। कागज के एक नोट की औसत आयु चार वर्ष मानी जाती है। सौ रूपये के एक नोट की छपाई से लेकर रख-रखाव पर रिज़र्व बैंक का 15/16 रूपये तक खर्च होता है। असल में नोटों की छपाई और उन्हें देश के कोने-कोने में पहुंचाने यानी वितरित करने की लागत काफी ज्यादा बैठती है और यह दिनो-दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में कागजी-मुद्रा पर खर्च होने वाले बचत को ध्यान में रखते हुए डिजिटल करेंसी की अवधारणा बलवती हुई।

चालू वित्तीय वर्ष का बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा था कि देश का सेन्ट्रल बैंक यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इस वर्ष के अंत तक डिटिजल करेंसी जारी करेगा। वादे के अनुरूप इसी माह यानी 1 नवम्बर, 2022 से रिज़र्व बैंक ने भारत की अपनी डिजिटल करेंसी की शुभारंभ कर दी है। प्रायोगिक तौर पर अभी सिर्फ सरकारी प्रतिभूतियों के थोक लेन-देन में ही डिटिजल रूपये के इस्तेमाल की अनुमति दी गयी है। पायलट परियोजना के तहत अभी तक सब सही ढंग से संपन्न हो रहा है। पायलट परियोजना में आरबीआई ने सरकारी और निजी क्षेत्र के नौ बैंकों को अभी इस डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल की अनुमति दी है। गौरतलब है कि यह परियोजना पूरी होने के बाद डिजिटल करेंसी आम लोगों के लिए भी उपलब्ध करवा दी जायेगी। साथ ही कागज के रूपये का लेन-देन भी जारी रहेगा।

सेंट्रल बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा को सीबीडीसी (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) कहा जाता है। यह भारत सरकार की आधिकारिक डिजिटल करेंसी है। इस डिजिटल रूपये के धारक को भारत के केन्द्रीय बैंक की तरफ से प्रत्यक्ष देयता का आश्वासन है। सबसे उल्लेखनीय यह है कि मुद्रा के इस डिजिटल स्वरूप की कीमत भारतीय रिज़र्व बैंक में रखे भौतिक नकद रूपये या उसके भंडार के बराबर ही होगी, जो डिजिटल रूपये के धारकों के लिए सबसे अहम आश्वासन है। इसका अर्थ यह है कि डिजिटल रूपये को भौतिक रूपये के समान संप्रभु गारंटी हासिल होगी। यानी उसकी सौ प्रतिशत कीमत अदा करने की गारंटी भारत सरकार की केन्द्रीय बैंक रिज़र्व बैंक की तरफ से दी गयी है। वैसे ही जैसे कागज के नोटों पर बैंक के गवर्नर की तरफ से लिखा होता है। इस प्रकार यह एक कानूनी करेंसी है, जिसका कागज के नोटों के समान कीमत पर लेन-देन हो सकता है। जैसे हर एक नोट का अलग नंबर है, वैसे ही हर एक डिजिटल करेंसी का भी रिज़र्व बैंक के पास अपना अलग रिकॉर्ड है। अगर हमारे पास दस हजार रूपये की डिजिटल करेंसी है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास दस हजार रूपये हैं, लेकिन हैं वर्चुअल रूप में।

इन रूपयों को डिजिटल वॉलेट में रखा जा सकेगा। यह सरकार की तरफ से जारी किया गया वैसा ही डिजिटल एप होगा, जैसा कि डिजिलॉकर है। जिसे हम अपने मोबाइल फोन में इंस्टाल कर उसमें तमाम तरह के सरकारी दस्तावेज (डिग्री, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार-कार्ड आदि) डिजिटल प्रारूप अपने साथ सुरक्षित रखते हैं। फर्क यह है कि ये दस्तावेज हमारे पास मूल रूप में कागज या प्लास्टिक स्वरूप में भी मौजूद रहते हैं और डिजिटल रूप में भी। हमारी मुद्रा जो कागज में होगी, वह उसी रूप में रखी जायेगी और जो डिजिटल रूप में होगी उसे वॉलेट में ही रखा जा सकेगा। दोनों की गिनती अलग-अलग होगी। यदि कोई चाहे तो कागज की मुद्रा को डिजिटल स्वरूप में और डिजिटल मुद्रा को नोट में अदला-बदली कर सकेगा। बैंकों के पास ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, जिसके जरिये हम अपने रूपये को बैंक अकाउंट और डिजिटल वॉलेट (बटुआ) के बीच आजादी से ट्रांसफर कर सकेंगे।

कोरोना काल में डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) जैसे माध्यमों से डिजिटल भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 2017 में देश में क्रेडिट, डेबिट कार्ड, चेक, ड्राफ्ट, मोबाइल वॉलेट आदि सभी मिलाकर 22 प्रतिशत भुगतान नगदी के बिना हुए थे। लेकिन बाद

के पांच वर्षों में यह तस्वीर पूरी तरह बदल गयी। डिजिटल भुगतान प्रणाली पर नजर रखने वाले संगठन- एसीआई वर्ल्डवाइड की मार्च 2021 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सालाना 2550 करोड़ लेन-देन डिजिटल तरीके से किये गये थे। इस मामले में भारत दुनिया के शीर्ष पर है और हमारे बाद चीन 1570 करोड़ तथा दक्षिण कोरिया 600 करोड़ का नंबर आता है। अमेरिका तो भारत से इस मामले में काफी नीचे है। जहां वित्तीय वर्ष 2021 में सिर्फ 120 करोड़ ही लेनदेन ही हुए हैं।

आज वित्तीय क्षेत्र में भारत की डिजिटल तकनीक इतनी परिपक्व हो चुकी है कि अब हम अपने स्वदेशी डिजिटल करेंसी में आसानी से प्रविष्ट हो सकते हैं। यह नेट बैंकिंग से बिल्कुल अलग है, इसका सेटलमेंट तुरन्त होगा-जैसे नकद रूपये से होता है। इधर दिया, उधर लिया। इसमें ब्लाकचेन तकनीक का प्रयोग हो रहा है, अतःयह पूर्ण रूप से सुरक्षित है। आने वाले समय में संभव है कि बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी स्वदेशी डिजिटल करेंसी का प्रयोग कर सकेंगे। पारंपरिक बैंकिंग से तुलना करें तो बैंक ड्राफ्ट बनवाने, चेक जारी करने, उसके बाउंस होने, हस्ताक्षर मिलान न होने, अकाउंट में पैसा न होने, ड्राफ्ट चोरी हो जाने और ऐसी ही अनेक दूसरी असुरक्षायें तथा वक्त की सीमाएँ खत्म हो जायेगी क्योंकि डिजिटल लेनदेन त्वरित हो जायेगा।

डिजिटल करेंसी वर्चुअल जरूर है लेकिन इसकी तुलना अन्य प्राइवेट वर्चुअल करेंसी से नहीं की जा सकती है। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल रूपया दोनों वर्चुअल होने के बाद भी बिल्कुल अलग-अलग है। डिजिटल रूपया आधिकारिक मुद्रा के तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया है जबकि क्रिप्टो या इसी तरह की अन्य प्राइवेट करेंसी किसी सरकार द्वारा जारी नहीं होने के कारण इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। कुल मिलाकार क्रिप्टो करेंसी सट्टेबाजी जैसा उत्पाद है, जो अनुमानों और अनिश्चितता पर आधारित है। डिजिटल रूपये के मूल्य में कोई अनिश्चितता नहीं है। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से प्राइवेट है तथा इस प्रकार किसी सरकार या सेंट्रल बैंक का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसी करेंसी गैरकानूनी होती है। बिटकाइन जैसी कुछ क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग की जा सकती है। यानी अगर आपके पास जरूरी तकनीकी कौशल और सॉफ्टवेयर है तो खुद भी अपनी बिटकाइन जैसी करेंसी तैयार कर सकते हैं। लेकिन डिटिजल रूपया केवल रिज़र्व बैंक ही जारी करेगा। क्रिप्टो करेंसी में चोरी होने का खतरा होता है, जबकि डिजिटल करेंसी हमेशा सुरक्षित एवं सुविधाजनक है। क्रिप्टो करेंसी को भुगतान देकर खरीदना पड़ता जबकि डिजिटल करेंसी को कहीं से खरीद नहीं रहे हैं बल्कि अपने ही रूपये का स्वरूप बदलकर या अपनी वस्तु और सेवा बेचकर प्राप्त कर सकते हैं।

डिजिटल करेंसी का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। यह पिछले सात-आठ वर्षों के दौरान ही प्रचलन में आयी है। बीते छः महीने में भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस इस दिशा में आगे बढ़े हैं। वही अमेरिका, ब्रिटेन और मेक्सिको इस पर शोध कर रहे हैं। भारत अब विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। लिहाजा हमारा आयात-निर्यात दोनों निरंतर बढ़ रहे हैं। देश की वैधानिक डिजिटल करेंसी होने से वाणिज्य बैंकों पर काम का बोझ घटेगा। एक अनुमान के अनुसार डिजिटल करेंसी के कारण रिज़र्व बैंक का लगभग 5 हजार करोड़ रूपये हर वर्ष बच सकेगा। सरकारी आंकड़ें के मुताबिक 31 मार्च 2021 को देश में 28.32 लाख करोड़ रूपये की मुद्रा चलन में थी। लेकिन दूसरी ओर जाली नोटों के कारण सही अनुमान लगाना थोड़ा कठिन है। डिटिजल करेंसी जाली नोटों की समस्या से छुटकारे का एक अनुपम उपाय है। कागजी मुद्रा के द्वारा लेन-देन करने वाले की पहचान दुरूह होती है। अतः कर चोरी की संभावना बनी रहती है, जो अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। अतः भविष्य की संभावनाओं और स्थायित्व के साथ-साथ सुरक्षा जैसी उपयोगिता को देखते हुए भारत जैसे बड़ी आबादी और विविधता वाले देश के लिए डिजिडल करेंसी का प्रयोग ज्यादा सार्थक साबित होगा। आरबीआई का मानना है कि डिजिटल रूपया भारत की डिजिटल होती अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती देगा तथा मौद्रिक एवं भुगतान प्रणाली को कहीं अधिक कुशल बनायेगा।

बैंकों में अनुपालन संस्कृतिः समय की आवश्यकता

नटराज कार्यमपुडि, महा प्रबंधक एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी, केंद्रीय कार्यालय, चेन्नै

कॉर्पोरेट प्रशासन में अनुपालन, रीढ़ की हड्डी की तरह होता है जो सभी स्टाफ सदस्यों पर समान रूप से लागू होता है। अनुपालन का संबंध स्वैच्छिक रूप से सभी कानूनों, नियमों, नियामक द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं वैधानिक प्रावधानों और विभिन्न आचार संहिताओं का पालन करने से है। बैंकों में तीन सुरक्षा दायरे हैं जिनमें शमिल हैं:-

1) व्यवसाय, संचालन व वित्त
2) जोखिम व अनुपालन और
3) निरीक्षण व लेखापरीक्षा

बैंकों के व्यावसायिक इकाई के रूप में बढ़ते महत्व को देखते हुए अनुपालन की अहमियत भी बढ़ी है और इसे दूसरे सुरक्षा चक्र के रूप में स्थापित किया गया है।

किसी भी वित्तीय संस्थान के लिए अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने एवं अपने ग्राहकों, निवेशकों और नियामकों का विश्वास जीतने के लिए अनुपालन संस्कृति के उच्चतम मानदंडों को स्थापित करते हुए उनका शत प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करवाना अत्यावश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर किए गए निरीक्षणों में इस बात को इंगित किया है कि बैंकों में अनुपालन को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

अनुपालन प्रबंधन को किसी भी कॉर्पोरेट संबंधित शासन प्रणाली के प्रशासन, संरचना और जोखिम प्रबंधन अभ्यास के प्रमुख तत्वों में से एक माना जाता है।

चूंकि भारत में बैंकिंग उद्योग नियामक के अधीन है, अतः सभी भारतीय बैंक तथा भारत की ज़मीन पर बैंकिंग व्यवसाय करने वाले विदेशी बैंक निम्नलिखित विनियमनों तथा नियमों से बंधे हुए हैं:

i) विभिन्न क़ानून, जैसे बीआर अधिनियम, आरबीआई अधिनियम, फेमा, पीएमएल अधिनियम, आदि। सामान्य कानून जैसे कंपनी अधिनियम, आयकर अधिनियम, आदि।

ii) आरबीआई, सेबी, आइआर डीए, आदि द्वारा जारी नियामक दिशानिर्देश।

iii) आइबीए, फेडाई, एफआई एमएमडीए, आदि जैसे उद्योग संघों द्वारा निर्धारित स्वैच्छिक मानक और कोड एवं

iv) परिपत्र, निर्देशों, नियमावली आदि के माध्यम से बैंक द्वारा निर्धारित आंतरिक आचार संहिता।

इन दिशानिर्देशों का पालन न करने पर दोषी बैंकों को प्रतिकूल प्रचार के अलावा दंडात्मक प्रतिबंध या मौद्रिक नुकसान या प्रतिष्ठा की हानि जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करें।

अनुपालन संस्कृति:

अनुपालन शीर्ष से शुरू होता है जो बैंक की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। यह केवल अनुपालन विभाग से जुड़े कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए बल्कि यह बैंक के प्रत्येक स्टाफ सदस्य का साझा दायित्व होना चाहिए। किसी भी गैर-अनुपालन के लिए बैंक के हर स्तर के कर्मचारी की समान रूप से ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिए। बैंक के सभी कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बैंक व्यवसाय करते समय उच्चतम आदर्श मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और निरंतर रूप से कानून व्यवस्था बनाए रखने की भावना के साथ-साथ सभी दिशा निर्देशों का पालन करने का प्रयास करेंगे। एक प्रभावी अनुपालन कार्य के लिए सशक्त अनुपालन संस्कृति का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

एक अच्छी अनुपालन संस्कृति बैंक को कई तरह से लाभ पहुंचा सकती है, जैसे:

i) संगठनात्मक व व्यक्तिगत जोखिम में कमी आती है

(ii) कर्मचारियों में झिझक कम होती है और अधिक आत्मविश्वास बढ़ता है

(iii) प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने में मदद करता है

(iv) कर्मचारी बैंक से जुड़ाव महसूस करते हैं

(v) बेहतर पारदर्शिता जो बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाती है

(vi) नियामकों और अन्य हितधारकों के साथ बेहतर संबंध; बनते हैं

(vii) बैंक के प्रति निवेशकों का विश्वास बढ़ता है

अनुपालन के मुख्य कार्य:

- अनुपालन जोखिम को प्रभावी

ढंग से प्रबंधित करना।

- विफलता को कम करने के लिए बैंक के भीतर एक अनुपालन संस्कृति विकसित करना और उसे बढ़ावा देना।
- विभिन्न स्तरों पर अनुपालन स्तर और आचार संहिता पर कड़ी नजर रखते हुए बैंक की छवि और प्रतिष्ठा की रक्षा करना।
- आइबीए, फेडाई, फिमडा, आइआरडीए, सेबी, एवं अन्य स्व-नियामक संगठनों, सरकारी नीतियों, केवाइसी मानदंडों द्वारा निर्धारित उचित व्यवहार कोड और अन्य कोड से उत्पन्न वैधानिक और नियामक अनुपालन आवश्यकताओं और अन्य अनुपालन दायित्वों की पहचान करना तथा धनशोधन और अवैध गतिविधियों की रोकथाम करना।
- यह सुनिश्चित करना कि नियामक दिशानिर्देश/ निर्देश बैंक में तत्काल जारी/प्रसारित किए जा रहे हैं और उनके अनुपालन की निगरानी करना।
- बैंक की आंतरिक नीतियों और प्राप्त दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- आरबीआई/ अन्य नियामकों /बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षकों /सांविधिक लेखा परीक्षकों /जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) आदि विभिन्न स्रोतों द्वारा बैंक के संज्ञान में लाए गए किसी भी महत्वपूर्ण अनुपालन जोखिम को कम करना।
- अनुपालन विभाग की भूमिका और संरचना, उसके कर्मचारियों की संरचना और केंद्रीय कार्यालय, नियंत्रण कार्यालयों और शाखाओं में उनकी विशिष्ट जिम्मेदारियों को परिभाषित करना।
- बैंक की विदेशी शाखाओं हेतु विशिष्ट अनुपालन जिम्मेदारियों के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करना और उनके अनुपालन कार्य की निगरानी करना।

निष्कर्ष :

बैंकिंग व्यवस्था में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को अपने कर्मचारियों को सूचित और शिक्षित करना होगा। बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए निष्पक्ष अभ्यास कोड, अखंडता और प्रतिबद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। बैंक के अनुपालन कार्यों में दक्षता और प्रभावशीलता प्राप्त करके सभी हितधारकों की दृष्टि में बैंक की बेहतर छवि के निर्माण के लिए प्रयासरत रहना चाहिए।

मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विशवास है कि आप सभी अपने अनुपालन संबंधी दायित्वों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे और नैतिक मूल्यों को अपने दैनंदिन काम-काज का हिस्सा बनाते हुए एक मजबूत अनुपालन संस्कृति विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे।

कविता

इन्तज़ार

वक्त के दरिया की छोटी सी बूंद लम्हा...
सिमटती नहीं इन हाथो में, जब हो इन्तज़ार !!

बारिशों में भीगती शाम, सजी है इन नज़ारों में...
नज़रो को नज़र ना आये, जब हो इन्तज़ार !!

सोंधी सी मिट्टी में खिलते गुलाब की खुशबू...
इन साँसों को ना महका पाए, जब हो इन्तज़ार !!

हवाओं के झोके दे रहें है दस्तक...
ये रेशमी छुअन भी छू ना पाए, जब हो इन्तज़ार !!

चलते रास्तों की हलचल, शोर मचाए है बहुत...
गुम से ख्यालों में शोर कहीं खो जाए, जब हो इन्तज़ार !!

महफिलों में बैठकर खुद को बहलाया तो बहुत...
पर भीड़ में भी तन्हा हमें कर जाए, जब हो इन्तज़ार !!

नदियों की कलकल, संगीत सुनाए हरपल...
इस मन को कुछ भी ना भाए, जब हो इन्तज़ार !!

शबनम बानो,
सहायक प्रबंधक,
क्षेत्रीय कार्यालय
रायपुर

भाषा का मानकीकरण

संतोष देवीशंकर पाठक, प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई

मानक भाषा:- मानक भाषा का अभिप्राय प्रतिमान, नमूना या सर्वश्रेष्ठ होता है। भाषा का वह रूप जो उस भाषा के प्रयोग करने वाले के साथ-साथ अन्य भाषा बोलने वाले के लिए आदर्श/श्रेष्ठ या सरल होता है, जिसके माध्यम से वे भाषा सीखते हैं, उसे मानक भाषा कहते हैं। जिस भाषा रूप का व्यवहार पत्राचार, शिक्षा, सरकारी कामकाज एवं सामाजिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान में समान स्तर पर होता है, वह उस भाषा का मानक रूप कहलाता है। मानक भाषा किसी देश की वह आदर्श भाषा होती है, जिसका प्रयोग वहां के शिक्षित वर्ग के द्वारा अपने कार्यों में किया जाता है।

मानकीकरण (मानक भाषा के विकास) के तीन सोपान:-

प्रथम सोपान : 'बोली' :- पहले स्तर पर किसी भी भाषा का रूप या आकार कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होता है । इसका शब्द भंडार सीमित होता है। इसका कोई नियमबद्ध व्याकरण नहीं होता है। इसे शिक्षा, अधिकारिक कार्य व्यवस्था अथवा साहित्य का माध्यम नहीं बनाया जा सकता है।

द्वितीय सोपान: 'भाषा' :- इस चरण में किसी भी बोली का स्तर बोली से ऊपर उठकर कुछ विशेष क्षेत्रों में विस्तुत होने लगता है और उसका लिखित रूप में प्रयोग होने लगता है । इसी कारण वह व्याकरण के सांचे में ढलने लगती है, उसका पत्राचार, शिक्षा, व्यापार, प्रशासन आदि में प्रयोग होने लगता है । तब वह बोली ना रहकर भाषा की संज्ञा प्राप्त कर लेती है, या भाषा बन जाती है।

तृतीय सोपान : 'मानक भाषा' :- इस चरण में किसी भी भाषा का अत्यधिक विस्तार हो जाता है, और वह भाषा एक नमूना या आदर्श रूप ग्रहण कर लेती है। उसका परिनिष्ठित रूप होता है। उसकी अपनी शैक्षणिक, वाणिज्यिक, साहित्यिक, शास्त्रीय, तकनीकी एवं कानूनी शब्दावली होती है। ऐसी स्थिति में पहुंचकर भाषा "मानक भाषा" बन जाती है।

मानक भाषा के तत्व:- 1. ऐतिहासिकता 2. स्वायत्तता 3. केन्द्रोंमुखता 4. बहुसंख्यक प्रयोगशीलता 5. सहजता बोधगम्यता 6. व्याकरणिक साम्यता 7. सर्वविध एकरूपता।

हिंदी भाषा के मानकीकरण की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम:-

केंद्रीय हिंदी निदेशालय :- केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने लिपि के मानकीकरण पर अधिक ध्यान दिया और देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी के मानकीकरण (1983 ई०) का प्रकाशन किया।

किसी भी भाषा के सीखने-सिखाने में सहायक या बाधक बनने वाले दो प्रमुख कारक हैं - भाषा का व्याकरण और उसकी लिपि। लिपि का एक पक्ष है - सामान्य और विशिष्ट स्वनों के पृथक प्रतीक वर्गों की स्पष्टता, उनका परस्पर स्पष्ट आकार-भेद, लिखावट में सरलता, स्थान-लाघव एवं प्रयत्न-लाघव।

लिपि का दूसरा पक्ष है - वर्तनी। एक ही स्वन को प्रकट करने के लिए विविध वर्गों का प्रयोग वर्तनी को जटिल बना देता है और यह लिपि का एक सामान्य दोष माना जाता है। यद्यपि देवनागरी लिपि में यह दोष बहुत कम है, फिर भी उसकी अपनी कुछ विशिष्ट कठिनाइयाँ भी हैं। इन सभी कठिनाइयों को दूर कर केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने वर्तनी के मानकीकरण के लिए कुछ नियम बनाए, जो इस प्रकार हैं :

- संयुक्त वर्ण
- ·खड़ी पाई वाले व्यंजन

खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप परंपरागत तरीके से खड़ी पाई को हटाकर ही बनाए जाएँ, जैसे -

ख्याति, व्यास, श्लोक, ध्वनि, न्यास, प्यास, त्र्यंबक, स्वीकृति, कच्चा, छज्जा, कुत्ता, पथ्य, डिब्बा, सभ्य, रम्य।

दो अर्ध त (त्त) के एक साथ आने पर स्थान लाघव को देखते हुए उसका परंपरागत रीति से संयुक्त रूप बनाया जाए, जैसे - महत्त्व, तत्त्व

- अन्य व्यंजन
- क और फ/फ़ के हुक के आधे भाग को हटाकर संयुक्ताक्षर बनाए जाएँ, जैसे - संयुक्त, पक्का, दफ्तर।
- संयुक्त 'र' के प्रचलित तीनों रूप यथावत् रहेंगे, जैसे - प्रकार, धर्म, राष्ट्र।
- 'श्र' का प्रचलित यही रूप मान्य होगा। श के साथ 'र' के संयोग से श्र (श्रद्धा)

मानक भाषा - मानक भाषा से आशय ऐसी भाषा से है जो सभी जगह मान्य हो। इसका प्रयोग करने पर विचारों या भावों को स्पष्टतया आसान ढंग से ग्रहण कर सके, समझने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, ऐसी भाषा को मानक भाषा कहा जाता है। मानक भाषा को आदर्श, टकसाली तथा परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। ऐसी भाषा का एक निश्चित व्याकरण होता है। मानक भाषा के लिखने, पढ़ने और बोलने में समरूपता होती है। दूसरी ओर मानक-भाषा सभ्य और सुशिक्षित लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है। मानक भाषा का प्रयोग साहित्य, संगोष्ठियों, पत्र-व्यवहार, पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, भाषणों आदि में होता है। उदाहरणार्थ मानक भाषा हिन्दी का अपना सुव्यवस्थित व्याकरण है। जिसके द्वारा, लिंग, वचन, काल, कर्त्ता, उच्चारण, वर्तनी

आदि कारण स्वरूप उपयोग में लाया जाता है। मानक हिन्दी भाषा सर्वग्राह्य है, इसकी निश्चित लिपि है।

मानक भाषा का जन्म-

किसी भाषा के मानक भाषा बनने में उसे विकास के विभिन्न चरणों से गुजरना होता है। एक भाषा किसी क्षेत्रीय बोली से ही विकसित होकर मानक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होती है। एक क्षेत्रीय बोली का दायरा विस्तृत होते हुए आंचलिक साहित्य सृजन के साथ-साथ साहित्यिक के क्षेत्र तक बढ़ जाता है और वह बोली एक विभाषा का रूप धारण कर लेती है। आगे चलकर उन्नति करते हुए वह बोली मानक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है।

मानक भाषा के तत्व-

विद्वानों ने मानक भाषा के चार प्रमुख तत्व बताएँ हैं –

1. ऐतिहासिकता - मानक भाषा का गौरवमय इतिहास तथा विपुल साहित्य होना चाहिए।
2. मानकीकरण - भाषा का कोई सुनिश्चित और सुनिर्धारित रूप होना चाहिए।
3. जीवन्तता - भाषा साहित्य के साथ-साथ विज्ञान, दर्शन आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त की गई हो तथा नवाचार में पूर्ण रूप से सक्षम हो।
4. स्वायत्तता - भाषा किसी अन्य भाषा पर आश्रित न होकर अपनी स्वतन्त्र लिपि, शब्दावली, व्याकरण परक हो। उदाहरणार्थ, वर्तमान में मेरठ, सहारनपुर तथा दिल्ली के पास बोली जाने वाली बोली, भाषा का परिनिष्ठित रूप है, जिसे खड़ी बोली कहा जाता है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात हिन्दी को मानक भाषा बनाने हेतु काफी प्रयास किया गया और आज हिन्दी का यही रूप प्रचलन में है।

मानक भाषा की विशेषताएँ-

1. राज-काज की भाषा - राज-काज की भाषा के रूप में मानक भाषा बेहद कारगर सिद्ध हुई है। विभिन्न कार्यालयों, स्कूलों, महाविद्यालयों में यह भाव सम्प्रेषण की दृष्टि से काफी सुविधा जनक होती है।
2. ज्ञान-विज्ञान की भाषा - धर्म, दर्शन और विज्ञान आदि के क्षेत्र में मानक भाषा का प्रयोग भाषा की उपयोगिता को बढ़ाता है।
3. साहित्य व संस्कृति की भाषा- साहित्य लेखन तथा विभिन्न औपचारिक अवसरों पर इसी भाषा पर प्रयोग किया जाता है।
4 मनोरंजन - मनोरन्जन के क्षेत्र में आकाशवाणी, दूरदर्शन, सिनेमा, चलचित्र, समाचार-पत्र, पत्रिकाओं में इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है।
5. शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता - विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में अध्यापन, परियोजना कार्य तथा शोध और अनुसन्धान हेतु इस भाषा का प्रयोग किया जाता है।
6. अनुवाद की भाषा - अनुवाद की भाषा के रूप में अच्छे साहित्य के अनुवाद हेतु हिन्दी मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है ताकि भाषा के उत्कृष्ट साहित्य को जन-जन तक पहुँचाया जा सके।
7. कानून, चिकित्सा एवं तकनीक की भाषा - कानून, चिकित्सा एवं तकनीकी क्षेत्र की अपनी शब्दावली होती है । इन शब्दावलियों के मानक रूप तैयार किए जाते हैं, जिससे इस भाषा को बोधगम्य बनाया जा सकता है।
8. सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक- मानक होने के कारण सभी इसका प्रयोग करते हैं। यह सामाजिक प्रतिष्ठा की भाषा होती है।
9. एकता के सूत्र में बाँधने वाली भाषा- मानक भाषा एकता के सूत्र में बाँधती हैं। राजकाज, शिक्षा, संपर्क की एक मानक भाषा होने से ये लोगों को एक सूत्र में बाँधती है।
10. शिष्ट समाज की भाषा - शिष्ट समाज के भाषा क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा में मानक भाषा का अपना महत्व है। इसके माध्यम से पूरे जन-समुदाय से सम्पर्क स्थापित हो सकता है।

हिन्दी भाषा का मानक स्वरूप -

मानक हिन्दी भाषा से तात्पर्य हिन्दी भाषा के उस स्थिर रूप से है जो उस पूरे क्षेत्र में शब्दावली तथा व्याकरण की दृष्टि से समझने योग्य तथा सभी लोगों द्वारा मान्य हो, बोधगम्य हो। अन्य भाषाओं की अपेक्षा प्रतिष्ठित हो, व्याकरण सम्मत हो। हिन्दी की आधुनिक मानक शैली का विकास हिन्दी भाषा की एक बोली, जिसका नाम खड़ी बोली है, के आधार पर हुआ है। ब्रज, अवधी, निमाड़ीआदि क्षेत्रों के लोग परस्पर व्यवहार में अपनी इन्हीं क्षेत्रीय बोलियों का उपयोग करते हैं किन्तु औपचारिक अवसरों पर मानक हिन्दी का ही प्रयोग करते हैं।

हिन्दी मानक शब्द से तात्पर्य है एक पैमाना जिसकी उत्पत्ति अंग्रेजी के Standard (स्टैंडर्ड) शब्द के स्थान पर हुई है। रामचंद्र वर्मा ने 1949 में सर्वप्रथम अपने प्रकाशित "प्रामाणिक हिन्दी कोष" में मानक शब्द को प्रयुक्त किया। इसका अर्थ उन्होंने निश्चित या स्थिर किया हुआ सर्वमान्य मान या माप बताया जिसके अनुसार किसी भी योग्यता, श्रेष्ठता, गुण आदि का अनुमान या कल्पना की जाती है।

यही शब्द भाषा के क्षेत्र में Standard Language (मानक भाषा) के रूप में प्रयुक्त हुआ । हिन्दी आज हमारी राजभाषा है और हिन्दी के कई रूप यहाँ प्रचलन में है। जैसे कि बुन्देली हिन्दी, बघेली हिन्दी, अवधी हिन्दी, हरियाणवी हिन्दी आदि। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति हिन्दी सीखना चाहे अथवा अपना साहित्य हिन्दी में लिखना चाहे तो फिर किस हिन्दी का प्रयोग करेगा? इस तरह देखें तो एक ऐसी हिन्दी जिसे सभी पढ़ सकें । समाचार-पत्र, दूरदर्शन आदि सभी की भाषा हो । इन्हीं

सभी कारणों से मानक हिन्दी भाषा को स्थापित किया गया।

मानक हिन्दी भाषा की शैलियाँ

मानक हिन्दी पर जिन सत्रह बोलियों का प्रभाव है, जिसके कारण मानक हिन्दी की तीन शैलियाँ हो गई हैं, वो हैं- संस्कृत-निष्ठ शैली, हिन्दुस्तानी शैली, उर्दू शैली। संस्कृत-निष्ठ शैली में खड़ी बोली, और दक्खिनी हिन्दी आती है। हिन्दुस्तानी शैली में हिन्दुवी, हिन्दुस्तानी, रेख्ता शामिल है। उर्दू शैली में अरबी-फारसी शैली है। खड़ी बोली में तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक है । तद्भव का प्रयोग कम होता है। उर्दू का प्रयोग कुछ इस तरह हुआ है, कि जब अरबी फारसी में अधिकाधिक तत्सम एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग होने लगा तो यह उर्दू कहलाई। इस प्रकार आज मानक हिन्दी के लिखित और उच्चरित रूपों में अन्य बोलियों के शब्दों, वाक्य संरचना का प्रयोग होता है। मनुष्य जिस क्षेत्र में रहता है उसका प्रभाव भी उसकी भाषा पर पड़ता है।

मानक हिन्दी भाषा का महत्व

भारत एक बहुभाषी देश है जहाँ पर न केवल कई भाषाएँ बोली जाती हैं, एक ही भाषा की भी कई उपभाषाएँ प्रचलन में हैं। इसी तरह यहाँ हिन्दी के भी अनेक रूप प्रचलन में हैं। जैसे भोजपुरी हिन्दी, बघेली हिन्दी, अवधी, हिन्दी, निमाड़ी, मालवी आदि। ऐसे में यदि अहिन्दी भाषी व्यक्ति हिन्दी सीखना चाहे तो उसके समक्ष यह समस्या आती है कि वह कौन सी हिन्दी सीखें, ताकि व्यवहार में उसका काम आसान हो सके । उसी के साथ सरकारी कामकाज, आकाशवाणी, दूरदर्शन, राष्ट्रीय स्तर पर समाचार-पत्र, महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान, फिल्में, साहित्य आदि के लिए भी विकट समस्या उपस्थित होती है कि आखिर कौन सी हिन्दी को अपनाया जाए? जिसके निराकरण का एक मात्र हल है कि हिन्दी के इन विभिन्न रूपों के बीच कोई ऐसा रूप होना चाहिए जो सर्व व्यापक, सर्वमान्य हो। हिन्दी के सभी विद्वानों द्वारा प्रयुक्त व्याकरण दोषों से मुक्त अधिकांश लोगों द्वारा समझी लिखी व पढ़ी जाने वाली भाषा हो ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यावहारिक रूप में उसका प्रयोग किया जा सके। वास्तव में शिक्षित वर्ग अपने सामाजिक, साहित्यिक, व्यावहारिक जीवन तथा प्रशासकीय कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग करता है वही भाषा मानक भाषा कहलाती है। मानक भाषा अपने राज्य या राष्ट्र की सम्पर्क भाषा भी होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हिन्दी का सर्वमान्य, सर्वस्वीकृत, सर्वप्रतिष्ठित रूप ही मानक हिन्दी भाषा है।

कविता

हमारी प्यारी हिंदी

देवभाषा संस्कृत की लाडली
हर भारतीय भाषा की अग्रजा
बोलती है जिसकी हर एक बिंदी
वह है हमारी प्यारी हिंदी ।

साहित्यों का भंडार भरा
हर भाव का उदगार खरा
सदियों से हिन्द को जोड़े रखा
वह है हमारी प्यारी हिंदी ।

चाहे आजादी की लड़ाई के हो नारे
या भक्ति गीतों में प्रभु गए पुकारे
हर रूप में भारत की चमकती बिंदी
वह है हमारी प्यारी हिंदी ।

दासत्व के चिन्हों का त्याग करें अब
राजभाषा का सम्मान करें सब
हिंदुस्तानियों की पहचान बने जग
वह है हमारी प्यारी हिंदी
वह है हमारी प्यारी हिंदी ।

अंकिता गुप्ता
लिपिक, रांची क्षेत्र

व्हिसल ब्लोअर की शिकायतें – एक संक्षिप्त परिचय
लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिरों का संरक्षण (पीआईडीपीआई)

मलय कुमार, मुख्य प्रबन्धक, सतर्कता विभाग, केंद्रीय कार्यालय

लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प केंद्र सरकार की एक संकल्पना है । पीआईडीपीआई संकल्प के तहत, शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाती है और शिकायतकर्ता को ऐसी शिकायत करने के लिए पीड़ित होने से बचाया जाता है ।

दिनांक 21.04.2004 के "लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिरों के संरक्षण के संकल्प" के प्रावधानों के अनुसार, कार्यालय का दुरुपयोग और उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण के लिए व्हिसल ब्लोअर से लिखित शिकायत प्राप्त करने के लिए "अभिहित अभिकरण" घोषित किया है ।

लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प दिनांक 21.04.2004 के तहत शिकायतों के निपटान की प्रक्रिया 'नामित पदाधिकारी' (सीवीओ या मंत्रालयों/विभागों) द्वारा अपनाई जानी चाहिए ।

1. 'नामित पदाधिकारी' पीआईडीपीआई संकल्प के तहत शिकायतें प्राप्त करने के लिए अनुभाग अधिकारी (एसओ) के स्तर से नीचे के अधिकारी को अधिकृत नहीं करेगा ।
2. सभी लिफाफों के ऊपर 'लोकहित प्रकटीकरण के तहत शिकायत' लिखा हुआ होना चाहिए । उन्हें 'नामित पदाधिकारी'की उपस्थिति में अधिकृत अधिकारी/प्रभारी द्वारा खोला जाएगा ।
3. एसओ/प्रभारी द्वारा शिकायतकर्ता को पत्र लिखकर उसकी पहचान की पुष्टि की जाएगी ।
4. पहचान की पुष्टि होने के बाद, 'नामित पदाधिकारी' और एसओ/प्रभारी दोनों यह सुनिश्चित करेंगे कि शिकायतकर्ता की पहचान शिकायत के मुख्य भाग से हटा दी गई है और डमी शिकायत को केंद्रीय रजिस्ट्री डायरी के साथ एक नंबर दिया गया है । जिससे मूल शिकायत का पता लगाया जा सके ।
5. मूल शिकायत को तिजोरी/अलमारी में रखा जाएगा । अलमारी की अभिरक्षा संबंधित अनुभाग अधिकारी के पास रहेगी । किसी भी समय 'नामित पदाधिकारी' से उचित अधिकार के बिना शिकायत तक नहीं पहुंचा जा सकता है ।
6. इस प्रकार की गई डमी शिकायत 'नामित पदाधिकारी' को प्रस्तुत की जाएगी जो यह निर्णय करेगी कि क्या मामले को आगे देखने की आवश्यकता है और मामले में किसी भी तरह की रिपोर्ट मांगी जानी है । (प्रत्येक शिकायत के लिए अलग फाइलें खोली जानी चाहिए)
7. 'नामित पदाधिकारी' शिकायतों पर विचार करते समय भर्ती, पदोन्नति स्थानांतरण और अन्य संबंधित मुद्दों जैसे प्रशासनिक मामलों से संबंधित शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा । तथापि, इन मामलों में अनियमितता की गंभीर शिकायतों के मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए इसे सचिव/संगठन के प्रमुख के संज्ञान में लाया जाएगा ।
8. ऐसे मामलों में जहां रिपोर्ट मंगाने का निर्णय लिया गया है, अधिकतम 2 सप्ताह की समय सीमा दी जा सकेगी । यदि दो सप्ताह के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो 'नामित पदाधिकारी' के स्तर पर एक अनुस्मारक भेजा जाना चाहिए । यदि अभी भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो 2 सप्ताह के बाद दूसरा अनुस्मारक सचिव के स्तर पर भेजा जाना चाहिए । यदि दो सप्ताह के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो 'नामित पदाधिकारी' स्पष्टीकरण मांग सकता है और जानबूझकर देरी के लिए प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है ।
9. रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित एसओ/प्रभारी मामले को 'नामित पदाधिकारी' के समक्ष रखेंगे जो शिकायत की जांच करेंगे और दो सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट तैयार करेंगे ।
10. 'नामित पदाधिकारी' अपनी सिफारिश के साथ जांच रिपोर्ट केंद्रीय सतर्कता आयोग को आगे के निर्देश के लिए प्रस्तुत करेगा ।
11. इस बीच, 'नामित पदाधिकारी' यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ "व्हिसल ब्लोअर" होने के संदेह आधार पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है ।
12. ऐसी शिकायतों के आधार पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए आयोग के निर्देशों की प्राप्ति के बाद, सीवीओ आगे की कार्रवाई के अनुपालन की पुष्टि करनी होगी और आयोग को देरी, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करना होगा ।
13. अनुभाग अधिकारी/प्रभारी को 'पीआईडीपीआई संकल्प' के तहत प्राप्त शिकायतों के लिए एक अलग सूची बनानी चाहिए और कंप्यूटर सिस्टम में जानकारी दर्ज़ करनी चाहिए । समय-समय पर उनकी प्रगति की निगरानी करनी चाहिए और इसे हर 2 सप्ताह में 'नामित पदाधिकारी' को प्रस्तुत करना चाहिए ।
14. जहां कहीं भी शिकायतकर्ता ने कथित उत्पीड़न/उत्पीड़न का आरोप लगाया है, 'नामित पदाधिकारी' को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि शिकायतकर्ता की पहचान किसी भी तरह से ज्ञात हो जाती है तो उसे बार-बार स्थानान्तरण आदि के माध्यम से परेशान/पीड़ित नहीं किया जा रहा है ।
15. यदि कोई शिकायतकर्ता सुरक्षा की मांग करता है और रिपोर्ट करता है कि उसकी जान को खतरा है, तो 'नामित पदाधिकारी' उसकी जांच करेगा और सीवीसी से मामले से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों के साथ 'व्हिसल ब्लोअर' को सुरक्षा कवच प्रदान करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय/राज्य सरकारों को कदम उठाने के लिए अपनी सिफारिश भेजेगा ।

पीआईडीपीआई शिकायत दर्ज़ करने के लिए दिशा-निर्देश

1. शिकायत एक बंद/सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए और इसे सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग को संबोधित किया जाना चाहिए । लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "लोकहित प्रकटीकरण के तहत शिकायत" या "पीआईडीपीआई" लिखा होना चाहिए ।
2. शिकायतकर्ता को अपना नाम और पता शिकायत के आरंभ या अंत में या संलग्न पत्र में देना चाहिए । लिफाफे पर नाम और पता नहीं लिखा होना चाहिए ।
3. केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों या किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित किसी निगम, केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों या स्थानीय प्राधिकरणों से संबंधित शिकायतें ही आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती हैं । राज्य सरकारों द्वारा नियोजित कार्मिक और राज्य सरकारों या उसके निगमों आदि की गतिविधियाँ आयोग के दायरे में नहीं आएंगी ।
4. शिकायतें केवल डाक द्वारा ही भेजी जानी चाहिए । ईमेल, शिकायत प्रबंधन पोर्टल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा ।
5. व्यक्ति की पहचान की रक्षा के लिए, आयोग कोई पावती जारी नहीं करेगा और मुखबिरों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में आयोग के साथ आगे कोई पत्राचार न करें । जैसा कि ऊपर उल्लिखित भारत सरकार के संकल्प के तहत प्रदान किया गया है, आयोग आश्वासन देता है कि मामले के तथ्यों के सत्यापन योग्य होने पर वह आवश्यक कार्रवाई करेगा ।
6. शिकायतों में सतर्कता कोण होना चाहिए न कि व्यक्तिगत शिकायत
7. पीआईडीपीआई शिकायतों में शिकायतकर्ता की पहचान करने वाले विवरण शामिल नहीं होने चाहिए । यदि इस तरह के विवरण को शामिल करना अपरिहार्य है तो सीवीसी पोर्टल में एक सामान्य शिकायत दर्ज़ की जा सकती है ।

8. पीआईडीपीआई संकल्प दिनांक 21.04.2004 के पैरा 4 (ii) में निहित प्रावधानों के अनुसार, शिकायतकर्ता की पहचान को गोपनीय बनाए रखने की जिम्मेदारी केंद्रीय सतर्कता आयोग की है । पीआईडीपीआई संकल्प के पैरा 4 (ii) में कहा गया है कि "शिकायतकर्ता की पहचान तब तक प्रकट नहीं की जाएगी जब तक शिकायतकर्ता ने स्वयं शिकायत का विवरण सार्वजनिक नहीं किया है या किसी अन्य कार्यालय या प्राधिकरण को अपनी पहचान का खुलासा नहीं किया है" । इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह अपनी पहचान किसी अन्य कार्यालय या प्राधिकरण के सामने प्रकट न करे ।

9. "पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मर्स रेजोल्यूशन" के तहत प्राप्त शिकायतों को संसाधित करते समय, यह देखा गया है कि शिकायतों की कुछ श्रेणियां हैं जहां शिकायतकर्ताओं की पहचान और "अनापत्ति प्रमाण पत्र" के बारे में गोपनीयता बनाए रखना संभव नहीं है । " उनकी शिकायतों को संसाधित करने से पहले उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है और इसके बाद , शिकायतों को संसाधित किया जाता है और विचार के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखा जाता है । ऐसी शिकायतों को गैर-सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण (गैर पीआईडीपीआई) शिकायतों के रूप में माना जाता है, लेकिन ऐसी शिकायतों को संसाधित करने से पहले, शिकायतकर्ता की पहचान को छुपाया जाता है । इस प्रकार शिकायतकर्ता की पहचान के बारे में गोपनीयता बनाए रखने के प्रयास में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाती है ।

शिकायतों की कुछ श्रेणियां, जिनका सामान्य रूप से निपटारा किया जाता है, वे इस प्रकार हैं: -

(i) शिकायत खुली स्थिति में प्राप्त हुई है ।

(ii) शिकायत में कई अधिकारियों को संबोधित/समर्थित किया गया है ।

(iii) शिकायत में उठाए गए मुद्दों को पहले अन्य अधिकारियों के साथ उठाया जा चुका है ।

(iv) सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत शिकायतकर्ता ने स्वयं सूचना मांगी/प्राप्त की है ।

(v) शिकायतकर्ता ने पहले आयोग की शिकायत निवारण नीति के तहत एक सामान्य शिकायत के रूप में इस मुद्दे को उठाया हो ।

(vi) शिकायतकर्ता द्वारा ईमेल के माध्यम से शिकायत करना या ईमेल भेजकर अपनी पिछली पीआईडीपीआई शिकायत के बारे में स्थिति/जानकारी मांगना । इस प्रकार शिकायतकर्ता अपनी पहचान सार्वजनिक करता है, जो कि पीआईडीपीआई संकल्प के प्रावधानों के तहत शिकायत करने के लिए आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन है ।

(vii) शिकायत को केंद्रीय सतर्कता आयोग के कई अधिकारियों को संबोधित किया गया हो जिसके चलते उनकी पहचान का खुलासा किया गया हो ।

1. आयोग द्वारा दिनांक 24.04.2019 के सार्वजनिक नोटिस में पैरा-3 में उल्लिखित प्रक्रिया की समीक्षा की गई है । समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि व्हिसल ब्लोअर/शिकायतकर्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रथा लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण के संकल्प 2004 के मुख्य उद्देश्य के अनुरूप नहीं है ।

2. जब कोई शिकायत स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखी जाती है और यह पाया जाता है कि कुछ कमियां हैं जिसके कारण वह पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करती है, तो उसे शिकायतकर्ता को वापस कर दिया जाएगा, जिसमें पात्रता को पूरा नहीं करने के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा । इसके बाद आयोग में शिकायत बंद कर दी जाएगी ।

3. इसके बाद, शिकायतकर्ता के पास शिकायत निवारण नीति के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग को एक नई नियमित शिकायत भेजने या कमियों को दूर करने के बाद पीआईडीपीआई संकल्प के तहत फिर से एक नई शिकायत दर्ज करने का विकल्प होता है ।

4. गैर-सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण (गैर-पीआईडीपीआई) शिकायतों/मामलों के रूप में पहले से वर्गीकृत शिकायतों/प्रकटीकरणों पर इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने से पहले शिकायतकर्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र को हमारे पिछले दिशानिर्देश/सार्वजनिक सूचना दिनांक 24.04.2019 के अनुसार संसाधित किया जाएगा ।

5. सीवीसी को 16.08.2021 को या उसके बाद प्राप्त सभी शिकायतें इन दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित होंगी ।

व्हिसल ब्लोअर नीति

पीआईडीपीआई व्हिसल ब्लोअर नीति को परिभाषित करता है और सदस्यों को इस प्रस्ताव के तहत सुरक्षा दी जाती है । व्हिसल ब्लोअर नीति एक कानूनी दस्तावेज़ है जिसे कंपनियों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना चाहिए और कंपनी में कार्यरत सभी कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों के लिए सुलभ होनी चाहिए ।

व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत शिकायतकर्ता को तीन बुनियादी तत्वों को परिभाषित करने की आवश्यकता है: क्यों, क्या और कहाँ ।

इस नीति के तहत दो तरह से शिकायत की जा सकती है । पहला शिकायत करना - इसका मतलब यह है कि व्हिसल ब्लोअर संगठन के भीतर किसी अन्य व्यक्ति को कदाचार की रिपोर्ट करता है । दूसरा प्रकार बाहरी शिकायत करना- इसका मतलब यह है कि व्हिसल ब्लोअर कदाचार की रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के संगठन का हिस्सा नहीं है ।

चरण 1 - साक्ष्य प्राप्त करें । आपके व्हिसल ब्लोअर दावे में यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है ।

चरण 2 - साक्ष्य प्रस्तुत करना ।

चरण 3 - सरकारी जांच ।

चरण 4 - निर्णय ।

कंपनियों के भीतर कदाचार को उजागर करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए व्हिसल ब्लोअर कानून महत्वपूर्ण है । अगर कोई खुलासा करता है, तो आपको सावधानी से जवाब देना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें अधिनियम के तहत सुरक्षा प्रदान की जा रही है । सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों और बड़ी स्वामित्व वाली कंपनियों के पास जनवरी 2020 तक अनुपालन नीति होनी चाहिए ।

हमारे बैंक के पास कर्मचारियों के लिए उनकी वास्तविक चिंताओं और शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए एक सुपरिभाषित सतर्कता तंत्र है । तंत्र का विवरण निम्नलिखित है :

क) व्हिसल ब्लोअर नीति: जैसा कि निरीक्षण विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या विविध/51/2020-21 दिनांक 09.09.2020 बिंदु संख्या 05 के तहत बैंक की व्हिसल ब्लोअर नीति में उल्लिखित है:

"हमारे स्टाफ, प्रत्येक आइओबियन्स, को एक व्हिसल ब्लोअर के रूप में, किसी भी घटना, गलत काम, दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, संदिग्ध धोखाधड़ी आदि पर रिपोर्ट करने के लिए और बैंक की छवि को प्रभावित करने वाले या बैंक के लिए हानिकारक संभावित वित्तीय नुकसान को प्रेरित करने वाले किसी भी मामले पर रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान की जाती है । व्हिसल ब्लोअर केवल ऐसी रिपोर्टिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बैंक के दिशानिर्देशों या प्रक्रियाओं के अनुसार हमारी कार्यात्मक गतिविधियों में जबरदस्ती, मजबूरी, उल्लंघन, गैर-अनुपालन, अनियमितताओं को भी कवर कर सकता है ।"

ख) एसईजीआरएस - (मानक कर्मचारी शिकायत निवारण प्रणाली):

एचआरडीडी परिपत्र संख्या 136/2019-20 दिनांक 02.01.2020 के अनुसार हमारे बैंक के पास एक समर्पित पोर्टल है जिसमें कर्मचारी अपनी शिकायत दर्ज़ कर सकता है । शिकायत करने पर एक अद्वितीय शिकायत क्रमांक सृजित होता है जिसको ट्रैक किया जा सकता है और संबंधित वर्टिकल द्वारा समय पर शिकायत के निवारण संबंधी जानकारी/ टिप्पणियाँ दी जाती हैं ।

ग) कर्मचारी दिवस :

एचआरडीडी द्वारा 14.09.2020 के क्रमांक - 74/2020-21 में जारी परिपत्र में विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कर्मचारी दिवस हर महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है । शाखा/क्षेत्रीय/ केंद्रीय कार्यालय के विभागों में एक विभागीय बैठक बुलाई जाती है और कर्मचारियों की शिकायत, यदि कोई हो, को रिकॉर्ड किया जाता है और उनका निराकरण किया जाता है ।

जागरूक रहें, सतर्क रहें, समय पर जानकारी दें और
अपराध का हिस्सा न बनें ।

आइए लड़ें और भ्रष्टाचार के खतरे को रोकें ।

"सिक्कों में ढलते लोग"

कश्मीर सिंह, सहायक महा प्रबंधक, नोडल लेखा परीक्षा कार्यालय, हैदराबाद

जी हाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में 05 मार्च 1958 को जन्मे सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री नेमपाल 'प्रजापति' किसी परिचय के मोहताज़ नहीं हैं। हाल ही में आपका एक उपन्यास "सिक्कों में ढलते लोग" प्रकाशित हुआ है। इससे पहले "बिसात" शीर्षक से आपका एक उपन्यास मुझे प्राप्त हुआ था और इस उपन्यास ने मुझे बहुत ही आकर्षित किया था। करता भी क्यों नहीं! शब्द 'बिसात' और इसका सीधा-सीधा अर्थ 'औकात' न जाने कितनी बार सुना होगा, और मैंने ही क्यों? सामाजिक प्राणी होने के नाते सभी मित्रों का इस शब्द से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पाला पड़ा ही होगा।

नेमपाल प्रजापति की साहित्यिक यात्रा के अवलोकन से पता चलता है कि आपकी अभी तक सात पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सबसे पहली कृति "आदमी का व्याकरण" वर्ष 1993 में प्रकाशित हुई। बेताल बोलता है, खुली आँखों के सपने, बिसात, अपनी धरती अपने बोल, विश्वास परिंदे का, बेटी की विदाई, और आधारशिला आपके अन्य ग्रन्थ हैं जो साहित्याकाश के तारामंडल में आपको स्थापित करते हैं।

उपन्यास "सिक्कों में ढलते लोग" का शीर्षक ही लेखक की व्यंग्यात्मकता का परिचायक है। यह उपन्यास तथाकथित साहित्यकारों के स्वभाव, व्यवहार, और व्यक्तित्व में निरंतर हो रहे अवमूल्यन, ह्रास या पतन की ओर इंगित करता है। आपने उपन्यास की शुरुआत एक कविता की इन पंक्तियों से की जो उपन्यास की संक्षित प्रस्तावना बन पड़ी है....

'इस कथा के पात्र/मात्र

कुछ सिक्के

जो चलते हैं, फिरते हैं,

बोलते हैं/तोलते हैं

आदमी की औकात

और जमा जाते हैं अपना सिक्का

उस सिक्के के फेर में

अपनी ही टेर में

इतना बदल गए –

आदमी से

सिक्के में ढल गए।'

इस उपन्यास की पटकथा भी 'नेमपाल प्रजापति' के वर्ष 2017 में प्रकाशित उपन्यास 'बिसात' के पैटर्न पर ही है। कुल 163 पन्नों का यह उपन्यास 15 अध्यायों में समाहित है, जिनमें से कुछ का नामकरण उन्यास के ही पात्रों के नाम पर किया गया है तो कुछ उपन्यास में घटित होने वाली घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहले अध्याय का कोई शीर्षक नहीं है पर इसमें बात होती है उपन्यास के मुख्य सिक्के 'चवन्नी लाल' की, इसलिए मैंने इस अध्याय का नामकरण 'चवन्नी लाल' के रूप कर दिया है। इस उपन्यास के जनक, मेरा कहने का तात्पर्य है श्री नेमपाल प्रजापति, नामकरण शैली के भी सिद्धहस्त हस्ताक्षर हैं। उपन्यास के पात्रों के नाम तथा अन्य अध्यायों का नामकरण, मेरे इस कथन का प्रमाण है। हमारे समाज में व्यक्ति के नाम के क्रमिक विकास पर एक बहुत ही सटीक कहावत है ...

दुनिया तेरे तीन नाम,

परसा, परशु, परशुराम!

इस उपन्यास में व्यंग्यकार नामकरण के क्रमिक विकास पर शोध करते नज़र आते हैं जो व्यंग्य, हास्य और विनोद के पक्ष को समृद्ध करने में सक्षम बन पड़ा है। उपन्यास का मुख्य सिक्का (पात्र), चवन्नी भी नामकरण के इसी क्रमिक विकास की भट्टी में तपकर गुजरता और सँवरता है और बन जाता है खरा सोना, चवन्नी से, चवन्नी लाल, चवन्नी लाल चौरसिया, और चौरसिया साहब। उपन्यास के अन्य सिक्कों (पात्रों) के नामों पर भी सम्यक अनुसन्धान हुआ है जो पाठक का मनोरंजन तो करता ही साथ ही आनन्द, हास्य और विनोद के मानवीय मनोभावों से तृप्त भी करेगा ऐसा मेरा विश्वास है।

'सिक्कों में ढलते लोग' उपन्यास, की मुख्य विषयवस्तु है साहित्य जगत में व्याप्त विद्रूपताओं, पाखंड, चालाकियों, अनैतिकता के साथ-साथ उन संस्कारहीन चरित्रों के चेहरों पर पड़े नक़ाब को उतार कर, उनका असली रूप जन सामान्य को दिखाना जो साहित्य की धर्म ध्वजा के वाहक हैं और अपने-अपने भौगोलिक एवं साहित्यिक इलाकों के मठाधीश बने बैठे हैं।

'चवन्नी, उर्फ़ चवन्नी लाल, उर्फ़ चवन्नी लाल चौरसिया' उपन्यास का एक साधारण पर महत्वाकांक्षी पात्र है, जिसकी अपनी सीमाएं हैं। वह एक ऐसा सिक्का है जिसका उपयोग सेवाराम शास्त्री, डॉक्टर सूर्य भानु सिंह, डॉ सरगम और कथा के अन्य सभी सक्षम पात्र करते हैं। कविता लेखन में स्थापत्य, मंचों पर कविता पाठ की पढ़ास, समाचार-पत्र, पत्रिकाओं में छपास और अपने नाम के साथ डॉक्टर जुड़वाने के लिए लालायित चवन्नी लाल चौरसिया, उपन्यास के प्रायः हर एक पात्र के जाल में फंसता है।

हमारे साहित्य जगत में पीएच.डी. धारी लोग, जिनके नाम के साथ 'डॉ' की पदवी का तमगा लगा होता है वे अपने आप को विशेष श्रेणी में कैद करते हैं तो बिना डॉक्टरेट की डिग्री वाले कवि, लेखकों को हेय दृष्टि से देखते हैं। चवन्नी लाल चौरसिया प्रायः इस हीन भावना से ग्रसित रहता है कि जिन लोगों के नाम के साथ 'डॉ' लगा होता है साहित्यिक क्षेत्रों में उनका मान-सम्मान अधिक होता है। यही एक कारण है कि 'चवन्नी'

भी एक अदद डॉक्टरेट की डिग्री पाकर अपने नाम के साथ 'डॉ' की पदवी लगाकर सामान्य से विशेष की कतार में स्थापित होने के सपने देखता है।

सहारनपुर के चिरपरिचित साहित्यकार डॉ सुरेश चन्द्र त्यागी जी ने 'शब्द साधना' के अंतर्गत लिखा है **"अपने लिखे को कागज़ पर मुद्रित देखकर जो सुख मिलता है, वह बड़ा आकर्षक होता है।"** साहित्य की किसी भी विधा में लिखने वाले बहुत से महत्वाकांक्षी लोगों या फिर कहें कि चवन्नी लाल को भी इस सुख से संतृप्त होने के लिए क्या-क्या पापड़, बेलने पड़ते हैं, और उसकी परिणति क्या होती है ?, इसके दर्शन भी इस उपन्यास में मिलते हैं।

उपन्यास के दूसरे अध्याय डॉ सूर्यभानु सिंह, में काव्य साधकों की शामें कैसे गुजरती हैं, का जीवंत चित्रण लेखक ने किया है ? एक अध्यापक हमारे समाज में सबसे ज्यादा पूजनीय व्यक्ति होता हैं। इस अध्याय का मुख्य सिक्का है, डॉ सूर्यभानु सिंह, एक अध्यापक होने के साथ-साथ वह एक कालेज में प्रिंसिपल भी हैं। एक अध्यापक की नैतिकता का निर्वाह वे किस प्रकार करते हैं ? यह भी लेखक की पैनी दृष्टि और और लोक व्यवहार में उनकी पैठ के दर्शन कराता है। इस अध्याय में डॉ सूर्यभानु सिंह पाठकों का मनोरंजन करता है, हँसाता और गुदगुदाता भी है।

एक अन्य सिक्का, जो नेमपाल जी की इस टकसाल में गढ़ा जाता है, वह है 'वैद्य पं. सेवाराम शर्मा शास्त्री आयुर्वेदाचार्य'। ये आयुर्वेदाचार्य, गुप्त रोग के मर्मज्ञ हैं और पुरुषों के ए टू जेड पौरुषीय रोगों का शर्तिया इलाज़ इनके पास है, यह शास्त्री जी का दावा है। सेवाराम शर्मा एक वैद्य कैसे बनते हैं वह अपनेआप में एक रोचक कथा है। इस अध्याय को रोचक और रोमांटिक बनाने के लिए कथा में एक और सिक्के अर्थात पात्र भोलर का परिचय हमें मिलता है जो सड़क किनारे एक झोंपड़ी में अपनी पत्नी और बेटी 'मौसम' के साथ यौन रोगों का चलता-फिरता हस्पताल चलाता है। यहीं से शुरू होता है सेवा राम, का 'वैद्य पं. सेवाराम शर्मा शास्त्री आयुर्वेदाचार्य' बनने का सफर। डाक्टरी की डिग्री मिलने की कथा बड़ी ही रोचक और स्वभाविक लगती है।

पाठकों के लिए इस उपन्यास में बहुत कुछ है। हास्य, विनोद और व्यंग बाणों का पूरा का पूरा तरकश है नेमपाल प्रजापति जी के पास। हर अध्याय नई घटना और नये पात्रों से हमारा परिचय करवाता है। इस उपन्यास की कहानी के सभी सिक्के (पात्र) साहित्यिक पृष्ठभूमि से सम्बद्ध हैं, इसलिए लेखक काव्यगोष्ठी और कवि सम्मेलन आदि का आयोजन समय-समय पर करवाता है और हर नया कार्यक्रम नये अंदाज़ में प्रस्तुत किया जाता है जो लेखक की बहुमुखी प्रतिभा का परिचायक है। इन समागमों में कवि और कवियित्रियों की कविता, गीत और ग़ज़ल तो आनन्द के कारक बनते ही हैं साथ ही कवि और कवियित्रियों के बीच होने वाले संवाद भी रस, हास, परिहास, व्यंग्य और विनोद से लबालब हैं।

'सिक्कों में ढलते लोग' आज के भौतिक युग की एक लाजवाब तस्वीर पेश करता है, एक ऐसी तस्वीर जिसमें एक व्यक्ति दूसरे का शिकार करना चाहता है। संवेदनाएं मर चुकी हैं, बंधुत्व की भावना किताबों और किस्सों में ही मिलती है, इमानदारी बस प्रवचनों तक सीमित रह गई है। लेखक ने एक और बहुत ही संवेदनशील विषय को छुआ है, वह है, स्त्रियों के अधिकार और कानूनी संरक्षण। महिला अस्मिता और यौन-शोषण के नाम पर पुरुषों के शोषण का मुद्दा। महिलाओं के इसी कानूनी संरक्षण की आँच से देश के मुख्य न्यायधीश तक नहीं बचे तो जन-सामान्य के विरुद्ध कितने मामले होते होंगे ये चिंता का विषय है। इनमें से अधिकतर मामले तो पैसा ऐंठने के लिए या किसी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए होते हैं। 'मौसमी लाल अग्रवाल एडवोकेट और 'एक अधूरी यात्रा' शीर्षक से प्रकाशित अध्याय इसके साक्षात उदाहरण हैं। समाजसेविका कल्पनाशील, चवन्नी लाल, के विरुद्ध कुछ ऐसी ही शिकायत करने की धमकी देती है और महामक्कार मौसमी लाल अग्रवाल एडवोकेट, जैसे बेपेंदी के लोटे इसकी आड़ में अपनी तिजोरी भरने के लिए लालायित रहते हैं।

'एक अधूरी यात्रा' में 'चवन्नी' शब्द को दो सन्दर्भों में प्रयोग किया गया है, एक चवन्नी तो अपने 'चवन्नी लाल चौरसिया' और एक चवन्नी बोले तो 'पव्वा' (बोतल का चौथाई हिस्सा) जो लेखक की विशुद्ध कल्पनाशीलता और सुदृढ़ शब्दावली के परिचायक हैं।

सातवाँ अध्याय एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर आधारित है वह है, दलित साहित्य। चवन्नी लाल चौरसिया अपने गहन अध्ययन के दौरान पाते हैं कि बहुत सारे लेखक, सामान्य लेखन से हटकर दलित विमर्श, दलित कहानियां, कवितायें और लेख लिख रहे हैं और प्रतिष्ठित पत्रिकाएँ उन्हें प्रकाशित भी करती हैं तो निश्चय ही इसमें हाथ आजमाने में उसको मन वांछित फल प्राप्त हो सकता है। उसे पता है कि दलितों द्वारा पीड़ा, यातना, और शोषण के जो किस्से हैं वे किस्से मात्र नहीं हैं। उसे स्मरण रहता है कि वह स्वयं वैश्य वर्ण से सम्बन्ध रखता है फिर भी उसके परिवार के साथ कुछ दबंगों ने कुछ इसी प्रकार का अमानवीय व्यवहार किया था जो दलित उत्पीडन से किसी भी रूप में कम नहीं था, जिसके कारण उन्हें अपना पैतृक गाँव छोड़कर शहर भागना पड़ा था। वह निश्चय करता है कि वह भी दलित साहित्य में अपना भाग्य आजमायेगा और दलित साहित्य में ही पीएच.डी. करेगा। इस मार्ग में उन्हें किन-किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेखक ने बड़ी ही संजीदगी के साथ प्रस्तुत किया है, जो पठनीय होने के साथ-साथ जन सामान्य को दलितों के प्रति होने वाले अमानवीय कृत्यों से रूबरू करवाता है।

"लेखनी पुस्तिका नारी पर हस्ते गता गताः।

गतचेत पुनरायते नष्टाः भ्रष्टाः च खण्डिताः॥"

संस्कृत के इसी श्लोक पर आधारित है नेमपाल प्रजापति जी का एक अध्याय 'किताबें'। इस अध्याय का असली आनन्द वे पाठक ही ले सकेंगे जिन्होंने अपना व्यक्तिगत पुस्तकालय बनाया हुआ है और उदारमना हो कर अपने मित्रों को पुस्तकें पढ़ने को दे देते हैं। इस अध्याय में संस्कृत के महापंडित डॉ शुक्ल, मनचंदा जी, डॉ तिवारी, और चवन्नी लाल चौरसिया के बीच होने वाले संवाद हास्य, विनोद और व्यंग्य से तो लबालब भरे ही हैं साथ ही विशुद्ध व्यंग्यात्मक शब्दावली का प्रयोग भी स्तुत्य है। इस अध्याय को पढ़ने से मुझे एक व्यक्तिगत लाभ अवश्य हुआ कि व्यंग्य के बहुत सारे लेखकों और उनकी पुस्तकों की सूची मुझे मिल गयी।

एक बड़े साहित्यकार जिसे साहित्यिक क्षेत्र में गुरुजी के नाम से जाना जाता है, की शवयात्रा के बहाने लेखक ने गुरु-शिष्य परम्परा का विद्रूप चेहरा हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। लेखक द्वारा कविता को गाड़ी

और इन गुरुजी को कविता के हेड मिस्त्री का नाम दिया जाना, लेखक की नामकरण प्रतिभा का एक और बेहतरीन उदाहरण है। इस अध्याय में शवयात्रा का वर्णन लेखक ने जितनी निपुणता के साथ प्रस्तुत किया है, संजय ने भी धृतराष्ट्र को महाभारत का आँखों देखा हाल इतनी दक्षता से नहीं सुनाया होगा। आप पढ़ेंगे तो पाएंगे साहित्यकार महोदय की शव यात्रा भी अन्य शव यात्राओं से विलग नहीं है। आम तौर पर शव यात्राओं में लोग, अलग-अलग मण्डलियों में अपने-अपने व्यवसाय, बच्चों की शिक्षा, पड़ोसन भाभी, राजनीति और महंगाई जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाओं में व्यस्त रहते हैं तो इस शव यात्रा में भी मण्डलियाँ तो अलग-अलग हैं, पर विषय एक ही है, 'साहित्य, साहित्य और साहित्य'। इन चर्चाओं में किसकी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, किसकी किताब कब आ रही है, कौन सी किताब कौन प्रकाशक प्रकाशित कर रहा है, कौन सी कवियित्री किसके संरक्षण में किस मंच से कविता पढ़ने में व्यस्त है और एक अतिमहत्वपूर्ण विषय कि 'आदमी और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते' यानि अंग्रेजी कहावत 'Men will be Men' को चरितार्थ करते नज़र आते हैं।

मैं पूर्ववर्ती प्रसंगों में इस बात का उल्लेख कर चुका हूँ कि किसी भी लेखक, कवि, उपन्यासकार या रचनाकार के लिए उसकी रचनाओं का पत्र-पत्रिकाओं, और समाचार-पत्रों में प्रकाशन का मोह तो होता ही है किन्तु इससे बड़ा मोह होता है उसकी अपनी रचनाओं के संकलन का प्रकाशन। 'पाण्डुलिपि' और 'सफर दिल्ली का' ऐसे ही दो अध्याय हैं जिनमें सेवाराम शर्मा शास्त्री जी भी अपने लेख और कहानियों के संग्रह को प्रकाशित कराने के लिए जी-जान से जुटे रहते हैं और इस सद्कार्य में उनका सहयोग करते हैं मौसमी लाल अग्रवाल, एडवोकेट। मौसमी शास्त्री जी की दो पुस्तकें प्रकाशित करवाने के लिए शास्त्री जी को दिल्ली लेकर जाते हैं। एक प्रकाशक के यहाँ जो जूतरम – पतरम इनके साथ होती है, मौसमी किस प्रकार शास्त्री के की जेब खाली करने में अपना विद्वत्व और ओछापन प्रदर्शित करते हैं उसका उल्लेख जिस प्रकार से उपन्यास में वर्णित है अद्वितीय है और अद्भुत भी।

डॉ सूर्यभानु के पिता बनने का प्रकटीकरण 'हवेली' शीर्षक से रचित अध्याय में होता है और इसी अध्याय में चवन्नी, सूर्यभानु के पैतृक गाँव जाते हैं, वहीं वे उनके पुरखों की हवेली के दर्शन करते हैं। चवन्नी इस हवेली के अतीत पर किसी कहानी के प्लाट की तलाश में गाँव के भ्रमण पर निकल जाते हैं और मिलते हैं गाँव के सबसे वृद्ध बाबाजी से। ये बाबाजी है बलवान सिंह जी। चवन्नी बाबाजी से हवेली का इतिहास जानना चाहते हैं ताकि हवेली पर एक कहानी लिख सकें। लेखक, बाबाजी का मुँह तो खुलवा लेते हैं लेकिन चवन्नी के इरादों पर पानी फेर देते हैं और कुंवर महेंद्र वीर सिंह, उसकी पत्नी कुँवरानी आयुष्मती देवी और दोनों के मध्य आये बलवान सिंह को केंद्र में रखकर पूरी की पूरी कहानी बाबाजी के मुखारबिंद से ही कहलवा देते हैं। इस कहानी में कोई विचित्रता नहीं है, विलासितापूर्ण प्रवृत्ति, मानवीय सदकमजोरियां, बुरी लतें, अपराध, नौकरों-नौकरानियों के साथ व्याभिवचार के किस्से, कुंवर साहबों का संतानोत्पत्ति में असमर्थ होना, और वर्णशंकर युवराजों के जन्म हवेलियों की कमजोरियां नहीं हवेलियों की किस्मत होती ही थी। विचित्रता है, तो बस लेखक का शिल्प, कहानी में घटित, घटनाओं को एतिहासिक घटनाओं से जोड़ कर झूठ को सच और सच को झूठ बनाने की दक्षता साथ ही हास, परिहास, विनोद का भरपूर प्रक्षेपण।

वैसे तो उपन्यास के सभी पात्र अपने–अपने क्षेत्र में कोई न कोई विशेषता लिए हुए हैं किन्तु मौसमी लाल अग्रवाल, एडवोकेट को लेखक ने एक नम्बर के अय्यास, धोखेबाज़ और आदमी के वेश में भेड़िये के रूप में चित्रित किया है। हमारे समाज में ऐसे चरित्र प्रायः यत्र, तत्र, सर्वत्र मिल ही जाते हैं। अंतिम तीन अध्याय 'कहानी की कहानी', 'मानहानि', और 'अदालत' में मौसमी और डॉ सूर्यभानु में मारपीट, मौसमी का डॉ सूर्यभानु को मानहानि के मुकदमें और लठैतों को उसके पीछे लगाकर आतंकित करना और फिर सुलह के नाम पर ढाई लाख रूपये एंठ लेना, शास्त्री जी की दोनों पुस्तकों का प्रकाशन और ढेर सारा मसाला भी पाठकों के लिए परोसा गया है।

'सिक्कों में ढलते लोग' की पटकथा लेखक के पहले उपन्यास 'बिसात' से मेल खाती लगती है किन्तु शिल्प और काल्पनिकता की दृष्टि से यह उपन्यास अपने आप में अद्भुत है। कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि उपन्यास में दी गयी घटनाएँ काल्पनिक न होकर वास्तविकता का दामन थामें हैं।

'मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है' हमारे देश में बनी शराब की सभी बोतलों पर छपी यह चेतावनी सिर्फ चेतावनी नहीं है, एक कडुआ सत्य है और व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही क्यों ! समाज के स्वास्थ्य के लिए भी उतनी ही हानिकारक है। यह सन्देश भी इस उपन्यास के माध्यम से प्रसारित होता है। पीने वाले मित्र नाराज़ न हों, वे मेरे इस मत को अन्यथा न लें बल्कि विदेशी शराब की बोतलों पर लिखी एक चेतावनी "Drink Responsibly" अर्थात 'जिम्मेदारी के साथ पियें', को स्मरण रखें।

यह उपन्यास पढ़ते हुए एक एक बात जो मुझे बहुत प्रभावित करती है वह है लेखक का ज्ञान। इस उपन्यास लेखन के अनुसार लेखक व्यंग्यकार हैं, उपन्यास में संदर्भित कविताएँ पढ़कर लगता है वे उच्चकोटि के कवि हैं, आयुर्वेदाचार्य कथानक में उल्लिखित रोग, चिकित्सा और औषधि का विवेचन पढ़ता हूँ तो लगता है कि वे उच्च श्रेणी के आयुर्वेदिक चिकत्सक हैं, उसमें भी यदि और गहनता से इस अध्याय का अध्ययन किया जाये तो वे ऊँचे दर्जे के यौनरोग विशेषज्ञ प्रतीत होते हैं तो उन्यास में चवन्नी, मौसमी, ताम्बा, शुक्ल, डॉ सरगम शर्मा, सूर्यभानु, तिवारी, और शास्त्री, के चरित्र गढ़ने के उनके हुनर को देखता हूँ तो वे मुझे एक सुलझे हुए समाजशास्त्री की भूमिका अदा करते नजर आते हैं। कुल मिलाकर वे एक बहुमुखी एवं बहुआयामी विलक्षण प्रतिभा के धनी विद्वान लेखक हैं इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।

ऐसे ही गुदगुदाते, हास्य और मनोरंजन से भरपूर अगले उपन्यास के शीघ्र प्रकाशन के लिए नेमपाल प्रजापति को ढेर सारी शुभकामनाएं।

सिक्कों में ढलते लोग (उपन्यास)
लेखक:-- नेमपाल प्रजापति
प्रकाशक:-- पराग बुक्स
मूल्य:--200/--(दो सौ रुपये)

आजादी का अमृत महोत्सव - हिंदी का अमृत काल

सुरेन्द्रनाथ ओझा, लिपिक, बंगलुरू क्षेत्र

प्रस्तावना:- किसी भी राष्ट्र की 'भाषा' उस राष्ट्र की 'संस्कृति' की संवाहक होती है। भारत इस लिहाज से अत्यंत सशक्त प्रतीत होता है क्योंकि, यहां विभिन्न भाषाओं एवं बोलियों का एक भरा पूरा भंडार है। सभी राज्यों की अपनी विशेषताएं, भाषाएं एवं बोलियों का समूह है। इसी कारण भारत विविधता में एकता का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। इन सबके बीच हिंदी भारत माता के माथे की बिंदी बनकर चमक रही है। वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्षों के बीत जाने पर यदि यह कहा जाए कि हिंदी का अमृत-काल भी आरंभ हो चुका है तो अतिशयोक्ति न होगी। दरअसल, राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम की अवधारणा ही 'हिंदी भाषा' की क्रांतिकारी विचारधारा से आरंभ हुई थी। अंग्रेजों द्वारा शासित भारतीय जनमानस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए बेताब था। तात्कालिक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के समक्ष चुनौती यह थी कि, कैसे विभिन्न भाषा-भाषियों को एक साथ जोड़ा जाए जिससे संघर्ष की राह को आसान बनाया जा सके। ऐसे में हिंदी एक ऐसी प्रेरणा- दायिनी भाषा के रूप में उभर कर आई, जिसके अंदर अन्य सभी भाषाओं को समाहित कर साथ ले चलने की क्षमता थी। हिंदी भाषा ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का महत्वपूर्ण कार्य किया। चूंकि अधिकांश भूभाग में हिंदी को बोलने एवं समझने वाले लोग थे। अतः कुछ राज्यों को अपवाद मानकर हिंदी को सर्वमान्य भाषा कहना सर्वथा उचित होगा। इसमें एक कारण यह भी था कि अन्य राज्यों की क्षेत्रीय भाषाएं एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में ही प्रयोग की जा रहीं थीं।

इस प्रकार स्वाधीनता संग्राम के समय से ही हिंदी भाषा भारत को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को जोड़ने में अपनी महती भूमिका निभा रही है। उस काल में शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों की होने के चलते उनकी अंग्रेजियत और अंग्रेजी भाषा दोनों ही 'इलीट' वर्ग के लोगों में पूरी तरह रच-बस गईं थीं। हिंदी भाषा या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को उनका यथोचित स्थान प्राप्त करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा था।

बहरहाल, सन् 1947 में देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अंग्रेज तो भारत छोड़कर जाने को राजी हो गए किंतु अंग्रेजी भारत में ही रह गई। हिंदी को राजभाषा बनाकर अंग्रेजी को तब तक बनाए रखने की व्यवस्था बरकरार रखी गई जब तक कि सभी राज्य हिन्दी में काम करने में सक्षम न हो जाएं।

दुर्भाग्यवश, इस लचीलेपन का असर यह हुआ कि, हिंदी को आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। यदि हम यह कहें कि, अंग्रेजों से आजादी तो हमने हासिल कर ली किंतु 'भाषाई आजादी' अभी भी बाकी रह गई है तो गलत न होगा। जो भी हो, हिंदी अपनी यात्रा निरंतर जारी रखे हुए है। हम आशान्वित हैं कि, हिंदी का यह वास्तविक अमृत-काल है जिसमें यह भारत से बाहर सीमाओं को तोड़कर विश्व-भाषा के रूप में स्थापित होने के लिए प्रयासरत है।

स्वाधीन भारत में हिंदी की स्थिति:- सरकार द्वारा हिंदी के साथ अंग्रेजी को जारी रखने की वजह से हिंदी के स्वाभाविक प्रगति में काफी बाधाएं आती रही। जिन्हें सरकारी कामकाज में हिंदी को प्रयुक्त करने में आसानी लग रही थी वह हिंदी के प्रति उदासीन होते गए। परिणामस्वरूप सरकार को हिंदी भाषा को 'राजभाषा' के रूप में केंद्र सरकार के कार्यालयों, राज्य सरकारों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में लागू करने के लिए गृह-मंत्रालय के अंतर्गत विशेष विभाग बनाना पड़ा। विभाग अपने कार्यक्रमों द्वारा निरंतर हिंदी को राजभाषा के रूप में पूर्णता प्रदान करने का कार्य बखूबी कर रहा है। स्वाधीन भारत में हिंदी के विकास की गति का आकलन किया जाए तो हम देखते हैं कि जिन देशों ने आजादी के साथ ही अपनी भाषा और संस्कृति के सम्मान के बारे में गहनता से सोचा उनका विकास तीव्र गति से हुआ। इसमें हम पीछे रह गए जिसकी वजह से हमें महसूस होता है कि अभी भी हम विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। जब हमारी शिक्षा पद्धति अपनी मातृभाषा और संस्कृति के साथ चलती है तो लोगों की समझ और उनके विकास की गति भी बढ़ जाती है। क्योंकि हमें पहले अपनी मातृभाषा में समझ कर उसे दूसरी भाषा में अनुवाद करके ही समझ बनानी पड़ती है। इसका प्रभाव हमारे आर्थिक विकास की गति पर भी पड़ता है।

मातृभाषा एवं देशभक्ति की भाषा के रूप में हिन्दी:- हिंदी भाषा शुरुआत से ही देशभक्ति की द्योतक रही है। अधिकांश लोगों द्वारा बोली एवं समझी जाने वाली भाषा के रूप में भी काफी हद तक मान्य है। हालांकि, कुछ राज्यों में उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं ही मातृभाषा के रूप में स्थापित हैं। परंतु, यह निर्विवादित रूप से स्पष्ट है कि अपनी भाषा और अपनी संस्कृति सदैव देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत करती है। हमारे देश में विभिन्न भाषाओं एवं मूल्यों का समावेश ही साहित्य है। हम टुकड़ों में बंट कर अपनी मूल प्रकृति से

अलग होते गए हैं। परिणाम स्वरूप कुछ राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषाओं पर ही अधिक ध्यान देते रहे। हालांकि यह आवश्यक भी है। शायद यही कुछ कारण रहे जो हिंदी की प्रगति में बाधक बनते गए।

संप्रेषण की भाषा के रूप में:- भारत ही नहीं वरन विश्व के लगभग 132 देशों में फैले हुए भारतीयों के सहयोग से हिंदी 'संप्रेषण' की विश्व स्तरीय भाषा के रूप में उभर रही है। आज हिंदी विश्व में अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद तीसरी सर्वाधिक बोली एवं समझी जाने वाली भाषा बन चुकी है। हिंदी भाषा की जीवंतता और अपनापन एक चुंबक की तरह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखता है। मानव भावनाओं का आपसी संप्रेषण एक ऐसा माध्यम है जो हमारी शक्ति को उच्च अवस्था में पहुंचाने का कार्य करता है। आज हिंदी ने अपने विकास के अमृत-काल में संप्रेषण की भाषा बनकर लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है।

हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं की सखी:- हिंदी का साख्य भाव इसे एक विशेष स्थान प्रदान करता है। यह स्पष्ट है कि अन्य सभी भाषाओं का अपने साथ समावेश करते हुए हिंदी अपनी प्रगति में निरंतर आगे बढ़ रही है। हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह अन्य भाषाओं के शब्दों को स्वयं में समाहित कर लेती है। यही कारण है कि आज हिंदी शब्दकोश, विश्व का सबसे बड़ा शब्दकोश बन चुका है। भाषा का संवहन उसकी प्रयोगधर्मिता पर ही निर्भर करता है। जो भाषाएं अपने संवहन व एवं स्वाभाविक भाव से दूर होती गईं उनके प्रगति के सोपान का रास्ता भी बंद हो गया। संयोगवश अपनी सगी बहनों के साथ उनका मान रखते हुए स्वाभाविक रूप से सर्वथा सहयोग एवं परोपकार की भावना के कारण ही हिंदी स्वतः स्फूर्त भाषा बनकर प्रगति पथ पर अग्रसर है।

विज्ञापन की भाषा के रूप में हिंदी:- 'सोशल मीडिया' के इस दौर में हिंदी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ इंटरनेट के सभी प्लेटफार्म में विज्ञापन की एक पसंदीदा भाषा बन चुकी है। आज स्थिति यह है कि विदेशी उत्पादों को भी बाजार में विज्ञापन की भाषा के लिए हिंदी का सहयोग लेना पड़ रहा है। हिंदी की बढ़ती हुई समावेशी विचारधारा से स्पष्ट हो रहा है कि अब हिंदी विज्ञापन की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम कर चुकी है। आज बाजार की यह आवश्यकता बन चुकी है कि हिंदी उनके उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन का स्वरूप लेकर मीडिया के सभी माध्यमों तक अपनी पहुंच बनाए। यह भी एक कारण है कि हिंदी का अमृत-काल शुरू हो चुका है। धीरे-धीरे ही सही परंतु निरंतर आगे बढ़ने की प्रक्रिया के फलस्वरूप हिंदी अपने अतीत से दूर अत्यंत सम्मान पूर्ण स्थान को अधिगृहीत करने के पथ पर अग्रसर है।

हिंदी राजभाषा के रूप में:-राजभाषा के रूप में हिंदी निश्चित रूप से बखूबी स्थापित हो चुकी है। अब लगभग सभी प्रदेशों में और केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी की उपयोगिता बढ़ चुकी है। केंद्रीय राजभाषा कार्यालय के मार्गदर्शन एवं विभिन्न सहयोगी संस्थानों के

राजभाषा विभाग के कुशल कार्यान्वयन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू किए जाने के कारण राजभाषा के रूप में हिंदी उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ विभिन्न प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाएं भी सही रूप में हिंदी की सहयोगी के रूप में आगे बढ़ रही हैं। राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषाओं को भी अपने राज्यों में राजभाषा का दर्जा प्राप्त होने के कारण हिंदी के सहयोग से आगे बढ़ना आवश्यक है। इस प्रकार हिंदी राजभाषा के रूप में स्थानीय भाषाओं की सहयोगी बनकर आगे बढ़ रही है।

हिंदी के विकास में सिनेमा जगत की भूमिका:- हिंदी भाषा के विकास में सिनेमा जगत की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। सिनेमा उद्योग अपनी व्यापकता के कारण भारत ही नहीं वरन विश्व के अन्य देशों में भी हिंदी का प्रचार- प्रसार करने में अपनी भूमिका निभाता रहा है।

विश्व भाषा के रूप में हिंदी:- आज संपूर्ण विश्व एक ग्लोबल गांव का रूप ले चुका है। सोशल मीडिया एवं संचार के विभिन्न आयामों द्वारा हम एक दूसरे के इतने निकट आ चुके हैं की दूरियां बेमानी हो चुकी हैं। ऐसे में उन भाषाओं का ही अस्तित्व संभव रह पाएगा जो अपने जीवंत स्वरूप में, सीमाओं को पार कर, दूरियों को साध कर, सबके बीच में प्रफुल्लित होकर आगे बढ़ेंगी। आज भाषाविद भी इस बात की आशंका जता रहे हैं कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस दौर में वह समय दूर नहीं है जब मात्र विश्व की कुछ भाषाएं ही अपना अस्तित्व कायम रख पाएंगी। हिंदी उनमें से एक आम भाषा होने वाली है। यह मात्र संयोग नहीं है वरन इसमें हमारे प्रवासी बंधुओं का विशेष योगदान है जो हजारों मील दूर रहकर भी अपनी भाषा और संस्कृति दोनों को सँजो कर रखे हुए हैं। वस्तुतः हिंदी विश्व भाषा के रूप में स्थापित होते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि वास्तविक रूप में विश्व भाषा उस भाषा को ही कहा जा सकता है जो विश्व के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। आज हिंदी बोलने व समझने वालों की संख्या विश्व भर के अधिकांश देशों में बढ़ रही है। अतः हिंदी विश्व भाषा के रूप में स्थापित हो रही है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के रूप में:- भारत संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है । संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, स्पेनिश एवं अरबी भाषा शामिल हैं । हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने की मांग नागपुर में 10 जनवरी 1975 को आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में की गई थी । सन 1977 और 2002 में माननीय अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा संयुक्त राष्ट्र में दिया गया अभिभाषण हमेशा के लिए यादगार बन गया । पिछले संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण हिंदी में ही दिया था । परंतु अब ऐसा लगता है कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र में भी स्थापित करने हेतु सभी सदस्य देशों के साथ एक गहन अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है जिससे हिंदी संयुक्त राष्ट्र की सातवीं आधिकारिक भाषा बन सके ।

कानून की भाषा के रूप में हिंदी:- भारत में इस क्षेत्र में हिंदी की प्रगति अभी भी सम्यक रूप से नहीं हो सकी है । उच्च न्यायालयों में तो कहीं-कहीं हिंदी का प्रयोग देखने को मिलता है परंतु सर्वोच्च न्यायालय आज भी संवैधानिक रूप से अंग्रेजी का ही प्रयोग कर रहा है । इसके लिए कानून के शब्दों को आसान बनाने की आवश्यकता है ।

हिन्दी में एमबीबीएस की पढ़ाई:- इस वर्ष अक्तूबर में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में हिन्दी में एमबीबीएस की तीन किताबों का विमोचन किया । मध्य प्रदेश हिन्दी में एमबीबीएस की पढ़ाई करवाने वाला पहला राज्य बन गया । मध्य प्रदेश के पश्चात उत्तराखंड ने भी सन 2023 से हिन्दी में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने का ऐलान किया है ।

निष्कर्ष:-आज हिंदी दर्जनों देशों में बहुसंख्यकों की मुख्य भाषा बन चुकी है । सात समुंदर पार के देशों में भी हिंदी का परचम लहरा रहा है । फ़िजी में तो हिंदी को संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हो चुका है । भारत से बाहर कई देशों में हिंदी की शिक्षा के लिए अपने विश्वविद्यालयों में नए विभागों की स्थापना की है । अनुवाद की प्रक्रिया से शुरू होकर आज हिंदी स्वयं की पठन-पाठन सामग्री और नई विविधताओं के साथ उत्तरोत्तर विकास के पथ पर अग्रसारित हो रही है । जरूरत इस बात की है कि हम थोडा और प्रयास करें और अपनी इस हिंदी भाषा को सभी भाषाओं का 'सिरमौर' बनाने की दिशा में कदम उठाएँ। सभी शक्तिशाली देश अपनी भाषा को ही बढ़ावा देते हैं । हमें भी अपनी भाषा को आगे बढ़ाते हुए हिंदी को विश्व पटल पर स्थापित करने की महती आवश्यकता है । अपनी मातृभाषा के प्रति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित दोहा यहां दर्शनीय है ।

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।

कविता

सारी सृष्टियाँ

नफरतों की जंजीर से घिरा,

न जाने कितनी बेड़ियाँ।

कुचलने को एक दूसरे को उठी,

न जाने कितनी एड़ियां ।

बह रहा है खून दिल से,

छिल गयी है आत्मा।

लड़ रहे हो क्यू,

जब एक ही है परमात्मा।।

तोड़ सारे बंधनो को खोल दो तुम मुठियाँ

बाँह फैला कर तो देखो,

हाथ मे है ये सारी सृष्टियाँ।।

सत्य प्रकाश पाण्डेय
प्रबन्धक
सूचना प्रोद्योगिकी विभाग
केन्द्रीय कार्यालय

"ज़माना ही नाक़ाबिले बर्दाश्त है"

नगेन्द्र कुमार सिंह, प्रबंधक, केंद्रीय कार्यालय

"मज़हब जब दिलों से निकलकर दिमाग पर चढ़ जाए तो ज़हर बन जाता है ।" – सआदत हसन मंटो

समकालीन समय में धर्म एक ऐसा जीवंत मुद्दा है, जिस पर सुधीजन अपने पारंपरिक एवं प्रगतिशील विचार रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं । इस विषय पर अपना मत प्रकट किए बिना स्वयं को रोका भी नहीं जा सकता है । इस मुद्दे पर कुछ विचार काफी तार्किक एवं वैज्ञानिक ढंग से परोसे गए हैं और कुछ इतने खतरनाक कि किसी भी खुशहाल समाज में नफरत का ज़हर घोलने के लिए काफी हैं । पर वास्तव में धर्म की परिभाषा क्या है ? जिस पर मुखर होकर बोलने पर डीएनए की जाँच तथा देश निकाला तक करने के लिए कहा जाए । धर्म पर वैसे तो कई प्रकांड विद्वानों ने अपने सुस्पष्ट विचार रखे हैं । परंतु अब तक हम में से कईयों ने उसे आत्मसात करने का प्रयास नहीं किया है । आज भी वैश्विक स्तर पर धर्म, जाति, रंग-भेद, क्षेत्रवाद के कारण तमाम हिंसक झड़पे होती रहती हैं । अर्थात अब भी धर्म के पाठ पढ़ाने की गुंजाइश है । धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है- "धारण करने योग्य" । जो व्यावहारिक और आचरणीय है, उसे धर्म कहा जाता है । जो हमें प्रसन्न रखें, समाज में सम्मान, आदर, स्नेह प्राप्त करवाए, जिससे हम बन्धु-बांधव, कुटुम्ब-परिवार से बहुत स्नेह प्राप्त कर सकें, वही धर्म है । उसे धर्म नहीं कहा जा सकता है जिससे हमारा मन कलुषित हो, जैसा कि आजकल धर्म के संबन्ध में बाह्य आडम्बरों के चलते हो रहा है । जिससे किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व संकट में आ जाए, वह धर्म कैसे हो सकता है । भगवदगीता में धर्म को कुछ इस तरह परिभाषित किया गया है – "धर्म का अर्थ केवल साधुता और नैतिकता नहीं है वरन अपने सच्चे स्वरूप को पहचान कर उसी के अनुरूप कार्य करना है । जैसे सूर्य का धर्म प्रकाश है, अग्नि का धर्म उष्णता है । उसी प्रकार मनुष्य का धर्म मानवता है ।" आइये इस अंक में एक ऐसे विचारक, लेखक, कहानीकार, अनुवादक एवं फिल्म पटकथाकार से साक्षात्कार करते हैं, जिनके लिए मानव धर्म श्रेष्ठ है । वे जितने हिन्दुस्तान के हैं, उतने ही पाकिस्तान के हैं । भारत की भूमि पर उनकी लेखनी प्रस्फुटित हुई तो पाकिस्तान की सरज़मीं पर वह परवान चढ़ी । आप भूमिका से समझ ही गए होंगे कि यह किस साहित्यकार की ओर इशारा है । जी हाँ, हम इस अंक में सआदत हसन मंटो के साहित्यिक सफर के उतार-चढ़ाव से वाकिफ़ होंगे ।

सआदत हसन मंटो साहब का जन्म 11 मई 1912 को पुश्तैनी बैरिस्टरों के परिवार में लुधियाना के कस्बा संबराला (पंजाब) में हुआ था । उनके पिता मौलवी गुलाम हुसैन एक नामी सेशंस जज थे और माँ ? अपने माता-पिता के विषय में मंटो लिखते हैं "वालिद, ख़ुदा उन्हें बख़्शे, बड़े सख़्तगीर थे और वालिदा बेहद नर्म दिल । इन दो पाटों के अंदर पिसकर यह दाना-ए-गुंदम किस शक्ल में बाहर आया होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं ।" बचपन से ही मंटो बहुत ज़हीन थे, मगर शरारती भी कम नहीं थे, जिसके चलते वो मैट्रिक परीक्षा को दो बार फेल होने के बाद पास कर सके । इसकी एक वजह उनका उर्दू में कमज़ोर होना भी था । मैट्रिक तक की पढ़ाई उन्होंने अमृतसर के मुस्लिम हाईस्कूल में की थी । 1931 में उन्होंने हिंदू सभा कॉलेज में दाख़िला लिया । उन दिनों पूरे देश में और ख़ासतौर पर अमृतसर में आज़ादी का आंदोलन पूरे उभार पर था । जलियांवाला बाग़ का नरसंहार 1919 में हो चुका था जब मंटो की उम्र सात साल की थी, लेकिन उस के बाल मन पर उसकी गहरी छाप थी । उन्हीं दिनों के आसपास उन्होंने तीन-चार दोस्तों के साथ मिलकर एक नाट्य मंचन क्लब खोला और आग़ा हश्र का एक ड्रामा स्टेज करने का इरादा किया था । यह क्लब महज़ 15-20 रोज़ ही क़ायम रह सका था, क्योंकि पिताजी ने एक रोज़ धावा बोलकर हारमोनियम और तबले सब तोड़-फोड़ दिए थे और चेतावनी भरे अंदाज में बता दिया था कि ऐसे वाहियात शग़ल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं । बाप की कठोरता ने उनके अंदर बगावत की भावना पैदा की । ये विद्रोह केवल घर वालों के खिलाफ़ नहीं थे बल्कि उसके घेरे में जिंदगी के सम्पूर्ण सिद्धांत आ गए । जैसे उन्होंने फैसला कर लिया हो कि उन्हें ज़िंदगी अपनी और केवल अपनी शर्तों पर जीनी है ।

मंटो को लिखने के लिए सिर्फ़ 19 साल मिले और इन 19 सालों में उन्होंने 270 कहानियाँ, 67 रेडियो नाटक, 70 लेख, 100 से ज्यादा नाटक, कितनी ही फिल्मों की कहानियाँ एवं संवाद और कई प्रबुद्ध विदेशी लेखकों की कहानियों का अनुवाद किया । रचनाओं की यह गिनती शायद उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जितनी महत्वपूर्ण यह बात है कि उन्होंने 70 बरस पहले जो कुछ लिखा, उसमें आज की हक़ीक़त सिमटी हुई नज़र आती है और इस हक़ीक़त को उन्होंने ऐसी तीखी ज़ुबान में पेश किया कि समाज के बुद्धिजीवियों की नींद हराम हो गई ।

1932 में मंटो के पिता का देहांत हो गया । भगत सिंह को उससे पहले फाँसी दी जा चुकी थी । मंटो ने अपने कमरे में पिता की तस्वीर के नीचे भगत सिंह की मूर्ति रखी और कमरे के बाहर एक तख़्ती पर लिखा- "लाल कमरा" । मंटो रूस के साम्यवादी साहित्य से काफी प्रभावित थे । इन्हीं दिनों उनकी मुलाक़ात अब्दुल बारी नाम के एक पत्रकार से हुई, जिसने उसे रूसी साहित्य के साथ-साथ फ्रेंच साहित्य भी पढ़ने के लिए

प्रेरित किया और उसकी सलाह मानते हुए उन्होंने विक्टर ह्यूगो, लॉर्ड लिटन, गोर्की, चेखव, पुश्किन, ऑस्कर वाइल्ड, मोपासां आदि का विधिवत अध्ययन किया। जिसका प्रभाव आगे चलकर उनकी लेखनी में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। अब्दुल बारी की प्रेरणा पर ही उन्होंने विक्टर ह्यूगो के एक ड्रामे "द लास्ट डेज़ ऑफ़ ए कंडेम्ड"(The Last days of a condemned) का उर्दू में अनुवाद किया, जो "सरगुज़श्त-ए-असीर" शीर्षक के साथ प्रकाशित हुआ। यह ड्रामा ह्यूगो ने मृत्युदंड के विरोध में लिखा था, जिसका अनुवाद करते हुए मंटो ने महसूस किया कि इसमें जो बात कही गई है वह उनके दिल के बहुत करीब है। अगर मंटो की कहानियों को ध्यान से पढ़ा जाए, तो यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि इस ड्रामे ने उसके रचनाकर्म को कितना प्रभावित किया था। विक्टर ह्यूगो के इस अनुवाद के बाद मंटो ने ऑस्कर वाइल्ड के ड्रामे "वेरा (Vera)" का अनुवाद शुरू किया। इस ड्रामे की पृष्ठभूमि 1905 का रूस है और इसमें ज़ार की क्रूरताओं के ख़िलाफ़ वहाँ के नौजवानों का विद्रोह ओजपूर्ण भाषा में अंकित किया गया है। इस ड्रामे का मंटो और उनके साथियों के दिलों-दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि उन्हें अमृतसर की हर गली में मॉस्को दिखाई देने लगा। इन तमाम अनुवादों और फ्राँसीसी तथा रूसी साहित्य के अध्ययन से मंटो के मन में कुछ मौलिक लिखने की कुलबुलाहट होने लगी और यहीं से शुरु हुई मंटो की साहित्यिक यात्रा।

अपनी कहानियों में विभाजन, दंगों और सांप्रदायिकता पर जितने तीखे कटाक्ष मंटो ने किए उन्हें देखकर एक ओर तो आश्चर्य होता है कि कोई कहानीकार इतना साहसी और सच को सामने लाने के लिए इतना निर्मम भी हो सकता है लेकिन दूसरी ओर यह तथ्य भी चकित करता है कि अपनी इस कोशिश में मानवीय संवेदनाओं का सूत्र लेखक के हाथों से एक क्षण के लिए भी नहीं छूटता। आलोचनाओं के जवाब में वह कहते थे, **"अगर आपको मेरी कहानियां अश्लील या गंदी लगती हैं तो जिस समाज में आप रह रहे हैं, वह अश्लील और गंदा है। मेरी कहानियां तो केवल सच दर्शाती हैं।"** आख़िरकार उनका यह रुझान अदब से मुख़ातिब हो गया। उन्होंने पहली कहानी लिखी "तमाशा", जिसमें जलियाँवाला नरसंहार को एक सात साल के बच्चे की नज़र से दिखाया गया है। इसके बाद कुछ और कहानियाँ भी उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रभावित होकर लिखीं।

'हिन्दी और उर्दू' नामक निबंध में मंटो साहब भाषा संबंधी विवाद को सुलझाने के लिए लिखते हैं 'हिन्दी और उर्दू का झगड़ा एक ज़माने से जारी है। हिन्दी के हक में हिन्दू क्यों अपना वक्त जाया करते हैं। मुसलमान उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्यों बेकरार हैं? ज़बान बनाई नहीं जाती, खुद बनती है और न इंसानी कोशिशें किसी ज़बान को फ़ना कर सकती है।' वास्तव में किसी भी भाषा को अन्य भाषा के शब्दों को अपने शब्दकोश में जोड़ने से गुरेज़ नहीं करना चाहिए। भाषा को अभिव्यक्ति के माध्यम से जोड़कर देखना ही उचित रहेगा। ये शब्द हिंदी के हैं और ये उर्दू के, ऐसे दकियानूसी ख्याल से बाहर आना ज़रूरी है।

'हिंदुस्तान को लीडरों से बचाओ' नामक निबंध में मंटो लिखते हैं "मज़हब जैसा था वैसा ही है और हमेशा एक जैसा रहेगा। मज़हब की रूह एक ठोस हकीकत है जो कभी तब्दील नहीं हो सकती। मज़हब एक ऐसी चट्टान है जिस पर समुद्र की लहरें भी असर नहीं कर सकतीं। ये लीडर जब आँसू बहा कर लोगों से कहते हैं कि मज़हब ख़तरे में है तो इसमें कोई हकीकत नहीं होती। मज़हब ऐसी चीज ही नहीं है कि खतरे में पड़ सके, अगर किसी बात का खतरा है तो वो लीडरों को है जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए मज़हब को खतरे में डालते हैं।" धर्म के माध्यम से कईयों ने अपनी किस्मत चमकायी है। आमजन को बरगलाने के लिए धर्म सबसे आसान एवं कारगार हथियार है। इससे लोगों को बचने की हिदायत मंटो देते हैं।

1935 में मंटो बंबई चले गए, तब तक वे चर्चित कहानीकार बन चुके थे। उनको पहली नौकरी साप्ताहित 'पारस' में मिली, वेतन 40 रु. महीने मिलता था। उसके बाद मंटो नजीर लुधियानवी के साप्ताहिक 'मुसव्विर' के संपादक बन गए। कुछ दिनों बाद मंटो फिल्म कंपनियों, इम्पीरियल और सरोज में थोड़े-थोड़े दिन काम करने के बाद 'सिने टोन' में 100 रु. मासिक पर जुड़े और उसी नौकरी के बलबूते पर उनका निकाह एक कश्मीरी लड़की साफ़िया से हो गया। बंबई प्रवास के दौरान मंटो ने रेडियो के लिए भी लिखना शुरू कर दिया था। बंबई के अपने पहले और दूसरे प्रवास में मंटो ने साहित्यिक लेखन के अलावा फ़िल्मी पत्रकारिता की और फ़िल्मों के लिए कहानियाँ व पटकथाएँ लिखीं, जिनमें "अपनी नगरिया", "आठ दिन" व "मिर्ज़ा ग़ालिब" ख़ास तौर पर चर्चित रहीं। उन्हें 1940 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में नौकरी मिल गई। यहां नून मीम राशिद, कृष्ण चंद्र और उपेन्द्रनाथ अश्क भी थे। एक बार मंटो के ड्रामे में अश्क और राशिक की साजिश से रद्दोबदल कर दिया गया और भरी मीटिंग में उसमें खामियाँ निकाली गई। बहस हुई लेकिन संशोधित ड्रामा ही प्रसारित हुआ। मंटो ने ड्रामे की पांडुलिपि वापस ली, नौकरी को लात मारी और बंबई वापस आ गए। बंबई आकर मंटो ने फ़िल्म "ख़ानदान" के मशहूर निर्देशक शौकत रिज़वी की फ़िल्म "नौकर" के लिए संवाद लिखने शुरू कर दिए। उन्हें पता चला की शौकत कुछ और लोगों से भी संवाद लिखवा रहे हैं। ये बात मंटो को बुरी लगी और वो शौकत की फ़िल्म छोड़कर 100 रुपये मासिक पर संवाद लेखक के रूप में फिल्मिस्तान चले गए। यहाँ उनकी दोस्ती अशोक कुमार से हो गई। अशोक कुमार ने बंबई टॉकीज़ ख़रीद लिया तो मंटो भी उनके साथ बंबई टॉकीज़ चले गए। यह ऐसा दौर था जब भारत का विभाजन किया जा रहा था और नए देश के रूप में पाकिस्तान बन रहा था। फलस्वरूप साम्प्रदायिक दंगे शुरू हो गए और बंबई के वातावरण में भी नफरत की आग फैल रही थी। साफ़िया अपने रिश्तेदारों से मिलने लाहौर गई थीं और दंगे की वजह से वहीं फंस गईं। इधर अशोक कुमार ने मंटो की कहानी को नज़रअंदाज कर के फ़िल्म "महल" के लिए कमाल अमरोही की कहानी पसंद कर ली। इस सब के चलते मंटो इतने निराश हुए कि एक दिन किसी को कुछ बताए बिना पानी के जहाज़ से पाकिस्तान चले गए। मंटो लिखते

हैं कि "जब मैं भारत की नागरिकता छोड़कर जनवरी 1948 में लाहौर आया, तो मेरी मानसिक स्थिति तीन महीने तक अजीब रही । मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कहाँ हूँ? भारत में हूँ या पाकिस्तान में । बार-बार दिमाग में उलझन पैदा करने वाला सवाल गूंजता, क्या पाकिस्तान का साहित्य अलग होगा? यदि होगा, तो कैसे होगा?" आगे वह लिखते हैं, कि "वह सब कुछ जो अविभाजित भारत में लिखा गया है, उसका मालिक कौन है? क्या इसका भी बंटवारा किया जाएगा? क्या भारतीयों और पाकिस्तानियों की बुनियादी समस्याएं एक जैसी नहीं हैं? क्या हमारा देश धार्मिक देश है? देश के तो हम हर हाल में वफादार रहेंगे, लेकिन क्या हमें सरकार की आलोचना करने की इजाज़त होगी? क्या आज़ादी के बाद, यहां के हालात गोरों की सरकार के हालात से अलग होंगे?"

पाकिस्तान में थोड़े दिन उनकी आवभगत हुई फिर एक-एक करके सब आँखें फेरते चले गए । पाकिस्तान बनने के बाद सआदत हसन मंटो ने जो पहली कहानी लिखी उसका नाम 'ठंडा गोश्त' । यह न सिर्फ पाकिस्तान की स्थापना के बाद लिखी गई उनकी पहली कहानी थी, बल्कि अपनी विशेष प्रकृति के संदर्भ में भी इसका बहुत महत्व है । मंटो की यह मशहूर कहानी लाहौर के अदबी महानामा (साहित्यिक मासिक) 'जावेद' में मार्च 1949 के संस्करण में प्रकाशित हुई थी । दैनिक 'इंकलाब' में प्रकाशित होने वाली एक ख़बर के अनुसार, 30 मार्च को पत्रिका के कार्यालय पर छापा मारा गया और पत्रिका की सभी प्रतियों को ज़ब्त कर लिया गया । 'ठंडा गोश्त' मंटो के लिए बहुत गरम कहानी साबित हुई । इसने मंटो जैसे सख़्त इंसान का भी सारा ज़ोर निकाल कर रख दिया । कुछ ही दिनों बाद उस कहानी पर अश्लीलता का आरोप लगा और मंटो को 3 माह की क़ैद और 300 रूपये जुर्माने की सज़ा हुई । सज़ा के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की साहित्य मंडली से कोई विरोध नहीं हुआ, उल्टे कुछ लोग ख़ुश हुए कि अब दिमाग़ ठीक हो जाएगा । इससे पहले भी उन पर इसी इल्ज़ाम में कई मुक़दमे चल चुके थे लेकिन मंटो अभी तक सभी मामलों में बच जाते थे । सज़ा के बाद मंटो का दिमाग़ ठीक तो नहीं हुआ, सच-मुच ख़राब हो गया । इस कहानी में मंटो विभाजन के पश्चात दोनों देश में हुई लूटपाट को दर्शाते हुए महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार को भी बड़े मार्मिक ढंग से चित्रित करते हैं । उनकी सोच हमेशा एक साधारण व्यक्ति पर केंद्रित होती है । मंटो लिखते हैं – **"मत कहिए कि हज़ारों हिंदू मारे गए या फिर हज़ारों मुसलमान मारे गए । सिर्फ ये कहिए कि हज़ारों इंसान मारे गए ।"**

मंटो साहब की दूसरी प्रसिद्ध कहानी 'टोबा टेक सिंह' है । यह कहानी मंटो की आपबीती है, अपने जेल प्रवास के दौरान उन्होंने जो देखा और महसूस किया था, उसे ही शब्दों में उकेरने का प्रयास किया है । कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है – "बंटवारे के दो-तीन साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकारों को ख्याल आया कि साधारण कैदियों की तरह पागलों की अदला-बदली भी होनी चाहिए अर्थात जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागलखानों में हैं, उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिन्दू और सिख पाकिस्तान के पागलखानों में हैं, उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए ।" ये वे कैदी थे, जो विभाजन के पूर्व आपराधिक मामलों में जेल गए और विभाजन के पश्चात उनके धर्म के आधार पर उन्हें हिंदुस्तान और पाकिस्तान भेजने का फैसला लिया गया । जिसे कैदी स्वीकार नहीं कर पा रहे थे । कहानी के अंत में टोबा टेक सिंह उर्फ बिशनसिंह की मृत्यु बाघा बॉर्डर और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीचों-बीच हो जाती है जो कि न भारत का और न पाकिस्तान का हिस्सा है ।

पाकिस्तान के गठन से पहले, भारत में मंटो की तीन कहानियों, 'काली सलवार', 'धुंआ' और 'बू' पर अश्लीलता के आरोप में मुक़दमे चले । इन मुक़दमों में सज़ाएं भी हुईं । लेकिन हर बार अपील करने पर अदालत ने मंटो और उनकी कहानियों को अश्लीलता के आरोप से बरी कर दिया । सआदत हसन मंटो की उर्दू की बहुत-सी किताबें ऐसी हैं जिन पर विभिन्न आरोपों में मुक़दमे चले । वो किताबें ज़ब्त भी हुईं और कुछ पर लेखक को क़ैद या जुर्माना भरने जैसी मुश्किलें भी झेलनी पड़ी । अंतिम दिनों में दोस्तों को उन्हें पागलखाने छोड़ना पड़ा । इस बेकसी, अपमान के बाद मंटो ने एक तरह से ज़िंदगी से हार मान ली । शराब की लत हद से ज़्यादा बढ़ गई । कहानियां बेचने के सिवा आमदनी का और कोई माध्यम नहीं था । अख़बार वाले 20 रुपये दे कर और सामने बिठा कर कहानियां लिखवाते ।

वर्ष 2012 में, उन्हें मरणोपरांत पाकिस्तान सरकार ने निशान-ए-इम्तियाज़ पुरस्कार से नवाज़ा गया । वर्ष 2018 में नंदिता दास के निर्देशन में मंटो के जीवनी को आधार बनाकर फिल्म बनायी गयी, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दिकी को मंटो की भूमिका में दिखाया गया है । 11 मई 2020 को गूगल ने गूगल डूडल पर उनके जन्म की 108वीं वर्षगांठ मनायी । यह एक इत्तेफ़ाक ही है कि 18 जनवरी 1955 को जब लाहौर में गुर्दे की खराबी के कारण मंटो ने अंतिम सांसे ली, तो उनकी लिखी हुई फ़िल्म "मिर्ज़ा ग़ालिब" दिल्ली में हाउसफुल चल रही थी । सआदत हसन मंटो की कहानियों की जितनी चर्चा बीते दशकों में हुई है उतनी शायद उर्दू और हिंदी या दुनिया की दूसरी भाषाओं के कहानीकारों की शायद ही हुई है ।

आपकी मुख्य कृतियों में शामिल हैं:

कहानी संग्रह : आतिशपारे, मंटो के अफ़साने, धुआँ, अफ़साने और ड्रामे, लज्जत-ए-संग, सियाह हाशिए, बादशाहत का खात्मा, खाली बोतलें, लाउडस्पीकर, ठंडा गोश्त, सड़क के किनारे, याजिद, पर्दे के पीछे, बगैर उन्वान के, बगैर इजाजत, बुरके, शिकारी औरतें, सरकंडों के पीछे, शैतान, रत्ती, माशा, तोला, काली सलवार आदि ।

हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाएँ

मुकुल व्यास, सहायक प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ

"कोस कोस पर बदले पानी
चार कोस पर वाणी"

हमारे देश की भौगोलिक स्थिति तथा संस्कृति के संदर्भ में उक्त कहावत सटीक प्रतीत होती है । विश्व में लगभग 3000 भाषाएँ हैं । भाषाविदों ने अध्ययन की दृष्टि से भाषा को कुलों, उपकुलों, शाखाओं, उपशाखाओं एवं समुदायों में बाँटा है । भाषा की उत्पत्ति की जो भी परिस्थितियाँ और कारण रहे, किंतु इतना निश्चित है कि भौगोलिक दूरियाँ, भौगोलिक परिस्थितियों, एक क्षेत्र वालों का दूसरे क्षेत्र वालों से संपर्क आदि ऐसे अनेक कारक हैं जिन्होंने विश्व की भाषाओं की ध्वनि व्यवस्था, रूप रचना, वाक्य रचना आदि में अंतर उत्पन्न किया है । बोलियों और उपबोलियों को छोड़कर विश्व में लगभग 7100 एवं भारत में लगभग 780 भाषाएँ बोली जाती हैं । भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के कुलों और परिवारों की संख्या 142 के आसपास बताई है तथा इनमें से सबसे महत्वपूर्ण भाषा परिवार है – **भारत-यूरोपीय परिवार या भारोपीय भाषा परिवार** । एक अनुमान के अनुसार 2700ई.पू.– 2600 ई.पू. में मूल यूरोपीय भाषा से भारतीय परिवार की भाषाओं की उत्पत्ति हुई होगी और समय की प्रगति के साथ ये भाषाएँ यूरोप और एशिया के विभिन्न देशों में फैल गई होंगी । इस परिवार की भाषाओं का विस्तार उत्तर भारत, अफगानिस्तान, ईरान समेत प्रायः सम्पूर्ण यूरोप में है । संस्कृत, पाली, पुरानी ईरानी, ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन भाषाएँ इसी कुल की हैं । वर्तमान में इस कुल में अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मन, नई ईरानी, पश्तो, हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती आदि भाषाएँ आती हैं ।

भारत विविध संस्कृति और भाषा का देश है । साल 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 1652 भाषाएं बोली जाती थीं । हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में फिलहाल 1365 मातृभाषाएँ हैं, जिनका क्षेत्रीय आधार अलग-अलग है । स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में लोकमान्य तिलक से लेकर महात्मा गांधी व जवाहर लाल नेहरू तक ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि केवल हिन्दी भाषा ही भारत की सम्पर्क भाषा बनने की क्षमता रखती है । भारतीय संविधान निर्माताओं की आकांक्षा थी कि स्वतंत्रता के बाद भारत का शासन अपनी भाषाओं में चले ताकि आम जनता शासन से जुड़ी रहे और समाज में एक सामंजस्य स्थापित हो और सबकी प्रगति हो । वैश्विक दौड़ में आज हिन्दी कहीं भी पीछे नहीं है । यह सिर्फ बोलचाल की भाषा ही नहीं, बल्कि सामान्य काम से लेकर इंटरनेट के क्षेत्र में इसका प्रयोग बखूबी हो रहा है ।

आज पूरी दुनिया में हिन्दी, अंग्रेजी व चीनी भाषा के बाद तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है । हिन्दी विश्व की सर्वाधिक सरल और वैज्ञानिक भाषा है । मगर भारत जैसे विविधता भरे देश में अनेक प्रांतीय भाषाएँ हैं और सैकड़ों बोलियाँ हैं कन्नड़ से लेकर तेलुगू, तमिल, मलयालम, बांग्ला, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, असमिया, मणिपुरी, कश्मीरी, डोंगरी व उर्दू आदि । बहुत पहले साम्यवादी विचारों के पोषक विद्वान डा. रामविलास शर्मा ने सभी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ हिन्दी का मित्र भाव सिद्ध किया था और विभिन्न शब्दों के लेन-देन की प्रक्रिया को बताया था । हिन्दी की स्वीकार्यता किस प्रकार उत्तर से लेकर दक्षिण तक स्वतःस्फूर्त भाव से आम जनता में रची बसी है इसके उदाहरण हमें एक नहीं बल्कि हजारों मिल जाएँगे । मसलन दक्षिण के लोगों में हिन्दी की स्वीकार्यता मुंबईया फिल्मों के माध्यम से बढ़ी । तमिल भाषी लोगों के बीच यह भाषा परचूनिया या सब्जी बाजारों के माध्यम से कथित संभ्रान्त वर्ग के लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है । इसी प्रकार उत्तर पूर्व के अधिसंख्यक राज्यों में, असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक में हिन्दी का उपयोग धड़ल्ले से होता है । इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसे समझने में अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि इसके शब्दाभाव व्यक्ति की सामान्य क्रिया से जुड़े रहते हैं तथा जैसे हम बोलते हैं वैसे ही इसे लिखते हैं । इसी वजह से, हिन्दी सभी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ 'साख्य भाव' रखती है एवं पूरी तरह वास्तविक व वैज्ञानिक है । इसे अन्य भाषाओं पर थोपने का कोई सवाल ही नहीं उठता है । यह गैर हिन्दी भाषी लोगों के लिए रोजगार की भाषा बनकर उभरी है ।

उल्लेखनीय है कि भारत में 29 भाषाएं ऐसी हैं जिनको बोलने वालों की संख्या दस लाख से ज्यादा है । भारत में 7 ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 1 लाख से अधिक है । भारत में 122 ऐसी भाषाएं हैं जिनको बोलने वालों की संख्या दस हजार से अधिक है । 2011 की जनगणना में भारतीय भाषाओं के आंकड़ों के मुताबिक, 43.63 फीसदी लोगों की मातृभाषा हिंदी है । 2001 में 41.03 फीसदी लोगों की मातृभाषा हिन्दी थी । इस तरह 2001 से 2011 के बीच देश में हिन्दी बोलने वाले लोगों की संख्या ढाई फीसदी से ज्यादा बढ़ी है ।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, विश्व में बोली जाने वाली कुल भाषाएं/ बोलियाँ लगभग 6900 हैं । इनमें से 90 फीसद भाषाएं बोलने वालों की संख्या एक लाख से कम है । दुनिया की कुल आबादी में तकरीबन 60 फीसद लोग 30 प्रमुख भाषाएं बोलते हैं, जिनमें से दस सर्वाधिक बोली जानी वाली भाषाओं में जापानी, अंग्रेजी, रूसी, बांग्ला, पुर्तगाली, अरबी, पंजाबी, मंदारिन, हिंदी और स्पैनिश है ।

लोकतंत्र के समुचित विकास के लिए भाषाओं का समृद्ध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन भाषाओं के माध्यम से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक की समस्या को आसानी से जाना जा सकता है और उसके निराकरण के लिए कार्य किया जा सकता है । भारत में अभी भी कई ऐसे समुदाय हैं जिनकी भाषा को सही तरीके से समझा नहीं गया है ।

यदि वे विलुप्त हो जाती हैं तो उनके बारे में जानना असंभव हो जाएगा। अतः इन भाषाओं का संरक्षण आवश्यक है। किसी भी देश की एकता और अखण्डता के लिए आवश्यक है कि वहाँ के लोग मिल-जुल कर रहें। इसके लिए भाषा सर्वोत्तम माध्यम है। लोग एक दूसरे से जुड़ सकें व अपनी पहचान को बता सकें इसलिए भी भाषाओं को संरक्षित करना आवश्यक है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्राप्त होता है। यदि स्थानीय भाषा को संरक्षण मिलता है तो उन आदिवासियों के अधिकारों को भी संरक्षित किया जा सकता है जो अपनी बातों को किसी दूसरी भाषा में नहीं कह सकते हैं। इससे समाज का समावेशी विकास हो पाता है। जब स्थानीय भाषा समृद्ध होती है तो उस क्षेत्र में विकास तेज गति से होता है और वहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। इससे देश के विकास में सबका समान रूप से सहयोग प्राप्त होता है।

सांस्कृतिक और भाषाई विविधताओं के मानकों को एक सूत्र में पिरोकर ही भारत की कल्पना साकार होती है। समय ने भले ही लोगों को समाज, शिक्षा, व्यवसाय और तकनीकी संचार से जुड़ी विभिन्न भाषाओं के साथ जीने का आदी बना दिया है, पर हमारे अवचेतन की भाषा एक ही होती है। इसे हम मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा या क्षेत्रीय भाषा की संज्ञा देते हैं। दरअसल, जन्म और हमारे संस्कारों के साथ चलने वाली यह भाषा न केवल हमारे बोध को सुगम बनाये रखती है, बल्कि नवीनता, अनुसंधान और कलात्मकता के लिए उत्प्रेरक की तरह काम करती है। भाषाओं की विविधता और उनके संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से 1999 से हर साल 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। हमारा देश भाषा और लिपि की दृष्टि से बहुत समृद्ध रहा है। केवल भाषा और लिपि के प्राचीनतम नमूने ही यहाँ उपलब्ध नहीं होते, बल्कि उसके विश्लेषण और संगठन के सूत्र भी पर्याप्त हैं। भाषाओं का व्याकरण और उनका इतिहास भी सुलभ है। आज के वैज्ञानिक युग में भाषा, बोली व लिपि का प्रचार-प्रसार बढ़ रहा है।

क्षेत्रीय भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 345 :** अनुच्छेद 346 और 347 के प्रावधानों के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा राज्य में प्रयोग में आने वाली किसी एक या अधिक भाषा को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिये इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अथवा भाषाओं के रूप में अपना सकता है।
- **अनुच्छेद 346 :** संघ में आधिकारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच एवं एक राज्य तथा संघ के बीच संचार की आधिकारिक भाषा होगी।
- **उदाहरण:** यदि दो या दो से अधिक राज्य सहमत हैं कि ऐसे राज्यों के बीच संचार के लिये हिंदी भाषा, आधिकारिक भाषा होनी चाहिए तो उस भाषा का उपयोग ऐसे संचार के लिए किया जा सकता है।
- **अनुच्छेद 347 :** यह राष्ट्रपति को किसी दिए गए राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में किसी भाषा को मान्यता देने की शक्ति प्रदान करता है, बशर्ते कि राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि उस राज्य का एक बड़ा हिस्सा भाषा को मान्यता देना चाहता है। ऐसी मान्यता राज्य के किसी हिस्से या पूरे राज्य के लिये हो सकती है।
- **अनुच्छेद 350 क :** प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा।
- **अनुच्छेद 350 ख:** यह भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये एक विशेष अधिकारी की स्थापना का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 351:** यह केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

1. असमिया	7. कश्मीरी	13. मैथिली	19. तमिल
2. बांग्ला	8. कोंकणी	14. नेपाली	20. तेलुगू
3. बोडो	9. कन्नड़	15. पंजाबी	21. उड़िया
4. डोगरी	10. मणिपुरी	16. संस्कृत	22. उर्दू
5. गुजराती	11. मराठी	17. सिंधी	
6. हिंदी	12. मलयालम	18. संथाली	

भाषा जो अपने समाज का प्रतिबिम्ब होती है, यदि वह संरक्षित व सुरक्षित नहीं रहेगी तो प्रतिबिम्ब की कल्पना नहीं की जा सकती है। लुप्त हो रही भाषाओं पर सिर्फ चिंता व्यक्त करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है बल्कि सरकार को इसके संरक्षण के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए इन भाषाओं को मुख्यधारा में लाना होगा, इन भाषाओं पर अनुसंधान करना होगा, स्कूली स्तर पर इन्हें बढ़ावा देना होगा, इन्हें रोजगार परक बनाना होगा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए इन्हें तैयार करना होगा तथा इन भाषाओं का सरलीकरण करना होगा आदि के माध्यम से सरकार व समाज दोनों मिलकर स्थानीय भाषाओं को बचा सकते हैं। यदि किसी भी क्षेत्र की संस्कृति, परिवेश, अस्मिता, खान-पान और रहन-सहन को संरक्षित करना है तो वहाँ की भाषाओं को संरक्षित करना आवश्यक है।

केन्द्रीय कार्यालय में हिन्दी दिवस आयोजन की झलकियाँ

केन्द्रीय कार्यालय में हिन्दी दिवस आयोजन की झलकियाँ

क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी दिवस कार्यक्रम की झलकियाँ

अहमदाबाद

ब्रह्मपुर

बंगलुरु

भोपाल

बड़ौदा

भुवनेश्वर

चेन्नै 1

कोयंबत्तूर

चंडीगढ़

दिल्ली

देहरादून

गुवाहाटी

गोवा

हैदराबाद

जयपुर

क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी दिवस कार्यक्रम की झलकियाँ

कोलकाता 1

कोलकाता 2

लखनऊ

लुधियाना

मेरठ

मुंबई

नागपुर

पटना

पुदुचेरी

रांची

सिलीगुड़ी

त्रिवेंद्रम

विजयवाड़ा

विशाखापट्टनम

वरंगल

सूरत में आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में बैंक द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी की झलकियाँ

माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा बड़ौदा क्षेत्रीय कार्यालय के निरीक्षण की झलकियाँ

संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी

पुष्पा बदलानी, प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, बड़ौदा

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने भारत के हिन्दी भाषा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है । संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचनाएँ और संदेश पहली बार हिन्दी में भी जारी किए जाएंगे । यह एक बड़ी कामयाबी है । हाल हीं में यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई है । इसके अलावा बांग्ला और उर्दू भाषा को भी शामिल किया गया है । भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की इस घोषणा का स्वागत किया है एवं सराहना की है । संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने बताया कि इस साल पहली बार प्रस्ताव में हिन्दी भाषा को शामिल किया गया है । उन्होंने इस बदलाव का स्वागत किया और कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग (डीजीसी) के साथ साझेदारी कर रहा है । संयुक्त राष्ट्र के समाचार और मल्टीमीडिया सामग्री को हिन्दी भाषा में प्रसारित करने के लिए फंड भी दे रहा है । भारत सरकार ने भी हिन्दी को बढ़ावा देने के कई प्रयास किए हैं । जिसके चलते 2018 में संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी परियोजना शुरु की गई थी, जिसका मुख्य लक्ष्य हिन्दी भाषा में संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाना और दुनिया भर में हिन्दी बोलने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा सामग्री हिन्दी में उपलब्ध करवाना था । तिरुमूर्ति ने 1 फरवरी, 1946 को पहले सत्र में अपनाए गए यूएनएससी के प्रस्ताव 13(1) का भी जिक्र किया । इस प्रस्ताव में कहा गया गया था कि संयुक्त राष्ट्र अपने उद्देश्यों को तब तक हासिल नहीं कर सकता, जब तक कि दुनिया के लोगों को इसके लक्ष्य के बारे में पूरी जानकारी न हो । उन्होंने आगे कहा कि यह जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र में बहुभाषावाद को सही मायने में अपनाया जाए और भारत इसे हासिल करने में संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करेगा ।

इसके अलावा पहले से ही अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएँ हैं । परंतु अंग्रेजी और फ्रेंच को ही कार्य करने की भाषा के तौर पर स्वीकृति प्रदान की गई । संयुक्त राष्ट्र की कार्यविधि नियमावली के आठवें भाग में नियम 51 से 57 में संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं के संबंध में प्रावधान किए गए हैं । इन नियमों में संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा इसकी विभिन्न समितियों एवं उप समितियों के लिए आधिकारिक तथा कार्य संचालन की भाषाओं की व्यवस्था की गई है । किसी भाषा को संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किए जाने की प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र महासभा में साधारण बहुमत द्वारा एक संकल्प को स्वीकार करना और संयुक्त राष्ट्र की कुल तिहाई बहुमत द्वारा उसे अंतिम रूप में पारित करना होता है । जनरल असेंबली के दो तिहाई सदस्यों से अनुमोदन मिलने के बाद ही किसी भी भाषा को संयुक्त राष्ट्र की भाषा का दर्ज़ा मिल सकता है ।

वैसे तो संयुक्त राष्ट्र की कामकाज एवं आधिकारिक भाषा हिन्दी को बनाने की पहल नागपुर में 10 जनवरी 1975 को आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में हो गयी थी । तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और उन्होंने हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को बताते हुए कहा था कि - ' हिंदी विश्व की महान भाषाओं में से एक है, करोड़ों लोगों की मातृभाषा है और करोड़ों लोग इसे दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं । इसी सम्मेलन में मॉरीशस के प्रतिनिधिमंडल के नेता श्री दयानंद बसंतराय ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए प्रस्ताव रखा था जिसका समर्थन सोवियत रूस के प्रतिनिधिमंडल के नेता सहित विश्व भर के देशों से आए प्रतिनिधियों ने किया था। इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मॉरीशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ शिवसागर रामगुलाम ने कहा था कि मॉरीशस संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को उसका उचित स्थान दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहेगा । उसके बाद जितने भी विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुए सब में प्रथम सम्मेलन में पारित मंतव्य को दोहराया जाता रहा कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित किया जाए ।

वर्ष 1977 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा का 32 वां सत्र चल रहा था, उस समय भारत में मोरार जी देसाई की जनता पार्टी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे । संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनका पहला संबोधन था, जिसे उन्होंने हिंदी में देने का फैसला

लिया । पहली बार संयुक्त राष्ट्र में हिंदी की गूंज सुनाई पड़ी थी । जिसका सर्वत्र स्वागत हुआ । इस प्रकार वर्ष 1978 में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय नेता वाजपेयी जी थे, जिन्होंने विदेश मंत्री के तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था । वाजपेयी जी का अनुसरण करते हुए विदेश मंत्री श्याम नंदन मिश्र तथा पी वी नरसिंह राव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना भाषण हिंदी में दिया । वाजपेयी ने लिखा है ' विदेश मंत्री श्री नरसिंह राव ने संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में हिंदी में अपने विचार व्यक्त करके भारत देश की अदम्य महत्वाकांक्षा को वाणी प्रदान की'। जहां तक हिंदी को संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने का प्रश्न है, यह कार्य इतना कठिन नहीं है जितना कि दिखाई देता है । वर्ष 2010 में श्री राजनाथ सिंह ने भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में अपना भाषण दिया और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से अपील की कि हिंदी को महासभा की आधिकारिक भाषा के तौर पर शामिल किया जाए ।

विश्व हिंदी दिवस पर विदेशों में कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन वर्ष 2019 का हिंदी दिवस बेहद खास रहा । इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने हिंदी प्रेमियों को हिंदी दिवस का तोहफा देते हुए हिंदी में न्यूज वेबसाइट लांच की । संयुक्त राष्ट्र पहले से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर आईडी पर हिंदी का प्रयोग कर रहा है । संयुक्त राष्ट्र में कामकाज की भाषा में हिंदी को अपनाए जाने के कई ठोस कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है, विश्व स्तर पर हिंदी बोलने वालों की बड़ी संख्या । विद्वानों के अनुसार, विश्व स्तर पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में दूसरे अथवा तीसरे स्थान पर हिन्दी है, जो आगामी कुछ समय में प्रथम स्थान को भी प्राप्त कर लेगी । हिंदी भाषा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि उसको व्यवहार करने वाले लोग कई देशों में फैले हुए हैं । सूरीनाम, त्रिनिदाद व टोबैगो, नेपाल, मॉरीशस, फिजी, भूटान जैसे देशों में हिंदी महत्वपूर्ण भाषा है । विश्व के अन्य देशों में भी हिन्दी बोलने समझने वालों की अच्छी खासी संख्या है । यदि उर्दू भाषा को भी शामिल कर लिया जाए तो इसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान भी जुड़ जाता है । विश्व स्तर पर अधिकाधिक प्रयोग होने वाली भाषा यूएन की आधिकारिक भाषा क्यों नहीं होनी चाहिए ?

हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता भी इसकी सबसे बड़ी मजबूती है । हिन्दी जैसी बोली जाती है उसी रूप में लिखी जाती है । कई वैश्विक भाषाओं की अपेक्षा यह प्रयोग करने तथा सीखने - सिखाने में सरल और सहज है । हिंदी का शब्द भंडार भी दिन-प्रतिदिन व्यापक हो रहा है । हर वर्ष कुछ न कुछ हिंदी शब्दों को अंग्रेजी अपने शब्दकोश में शामिल करती रहती है , यानी अंग्रेजी का आकर्षण भी हिंदी के प्रति बना हुआ है । औद्योगीकरण और भूमंडलीकरण के परिणामस्वरूप समूचे विश्व के लिए भारत एक बाजार के रूप में उभरा है । जिसकी वजह से राष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद को बेचने और व्यापक व्यापारिक संबंध मजबूत करने के लिए अपने कर्मचारियों को हिंदी सिखा -पढ़ा रही हैं , ताकि भारतीय उपभोक्ताओं और उनकी भाषा तथा संस्कृति को समझा जा सके । यही वजह है कि विश्व के अधिकांश देशों के वैश्विक विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन - पाठन हो रहा है । भारत में भी कई संस्थाएं विदेशी विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को हिंदी भाषा सिखा - पढ़ा रही हैं । यहां हर वर्ष लोग हिंदी सीखने आते हैं । इस रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार लगातार हो रहा है ।

दिल्ली में आयोजित तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन के समापन समारोह के अवसर पर महादेवी वर्मा ने कहा था कि "अंतरराष्ट्रीय वही हो सकता है, जिसकी राष्ट्र में जड़ें हों, जिसकी राष्ट्र में जड़ें नहीं हैं वह क्या अंतरराष्ट्रीय होगा ?" उनकी यह सलाह महत्वपूर्ण है, जब तक हम भारतीय हिंदी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत नहीं करते, तब तक उसे वह स्थान नहीं मिलेगा जो अन्य वैश्विक भाषाओं को मिला है । हमें हिंदी को ज्ञान-विज्ञान की भाषा बनाना होगा ।

हमें सकारात्मक होकर इसकी शुरुआत करनी होगी तभी हिंदी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बन सकेगी । जापान , जर्मनी , इजरायल आदि कई देश भी अपनी-अपनी भाषा को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलवाने के लिए कई वर्षों से काम कर रहे हैं । भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए भी प्रयास करना चाहिए , क्योंकि ये दोनों लक्ष्य कहीं न कहीं एक दूसरे के पूरक हैं ।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा कि संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल कराने की दिशा में प्रयास जारी हैं । इसमें कुछ प्रगति हुई है, लेकिन इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा । विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 12वें विश्व हिन्दी सम्मेलन के शुभंकर एवं वेबसाइट के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान एक सवाल के जवाब में यह बात कही थी । विदेश मंत्री ने कहा कि हिन्दी का उपयोग यूनेस्को में हो रहा है । संयुक्त राष्ट्र के साथ हमारा एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) है । इसके तहत अभी सोशल मीडिया, न्यूजलेटर में हिन्दी का उपयोग किया जा रहा है । संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी को शामिल करने के संदर्भ में उन्होंने कहा कि इसे बढ़ाने में अभी थोड़ा समय लगेगा । संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया में एक नई भाषा को शामिल करना इतना आसान नहीं है । लेकिन, इस दिशा में काम हो रहा है ।

कर्ज़ वसूली के लिए बैंकों के हाथ और मजबूत हुए

फणीष मणि त्रिपाठी, प्रबन्धक, केन्द्रीय कार्यालय

डूबे कर्ज की वसूली बैंकों के लिए बड़ी चुनौती होती है। ऐसे ऋणों को कम करने के लिए सरफेसी और दिवालिया कानून की व्यवस्था की गई है। इन दोनों कानूनों के अंतर्गत तय समयसीमा के भीतर वसूली प्रक्रिया पूरी करने की व्यवस्था है। लेकिन उधारकर्ता कोई न कोई कमी ढूँढ़कर खुद को बचाने की कोशिश करने से बाज नहीं आते। हालांकि अदालत जब तथ्यों की रोशनी में मामले को देखती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है।

आइए, ऐसे कुछ मामलों से आपका परिचय करवाते हैं जहाँ उधारकर्ता ने कानूनी दाँव-पेचों में फंसाकर बैंक की कार्रवाई पर सवाल उठाने की कोशश की। हालांकि अंत में उनको कानून के आगे झुकना पड़ा और सत्य की जीत हुई।

पहला मामला : देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) बनाम सी शिवकुमार रेड्डी

संक्षेप में केस :-

देना बैंक द्वारा उधारकर्ता को एक सावधि ऋण और रुपए 45 करोड़ की सीमा के साथ एक साख पत्र मय बायर्स क्रेडिट स्वीकृत किया गया। उधारकर्ता ने चूक की और बैंक ने दिनांक 31.12.20213 को इस ऋण को एनपीए घोषित कर दिया।

बैंक ने दिनांक 22.12.2014 को ऋण वसूली प्राधिकरण (डीआरटी) बैंगलूर में बकाया वसूली के लिए आवेदन दाखिल किया। डीआरटी ने दिनांक 25.05.2017 को अंतिम निर्णय सुनाया, डिक्री दी व 25.05.2017 को बैंक के पक्ष में वसूली प्रमाणपत्र जारी किया।

बैंक ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की धारा 7 के अंतर्गत दिनांक 12.10.2018 को कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के लिए याचिका दायर की। बैंक ने डीआरटी के निर्णय और वसूली प्रमाण पत्र को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष प्रस्तुत किया। इस याचिका का उधारकर्ता द्वारा विरोध किया गया। उधारकर्ता का कहना था कि बैंक की याचिका परिसीमा कानून के अंतर्गत कालातीत यानि टाइम बार्ड हो गई है।

हालांकि एनसीएलटी ने बैंक की याचिका को मंजूर कर लिया। इसके विरुद्ध उधारकर्ता ने एनसीएलएटी में अपील दाखिल की। उधारकर्ता की अपील का असर भी हुआ। अपीलीय प्राधिकरण ने एनसीएलटी के आदेश को परे रख दिया और बैंक की याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि ये कालातीत हो गई है।

एनसीएलएटी के निर्णय से क्षुब्ध होकर बैंक ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने प्रमुख रूप से तीन बिन्दुओं पर विचार किया:

1. क्या आइबीसी की धारा 7 के अंतर्गत दाखिल किसी भी याचिका को सिर्फ इसलिए परिसीमा के तहत कालातीत मान लिया जाएगा कि वो बैंक ऋण के एनपीए घोषित होने के तीन वर्ष बाद दाखिल की गई है, जबकि ऋण के एनपीए होने के बाद भी उधारकर्ता द्वारा अपने ऊपर बकाए की बात या तो एकबारगी निपटान प्रस्ताव में स्वीकार की गई होगी या फिर उधारकर्ता ने सांविधिक तुलन-शेष और लेखा बहियों में कर्ज़ के रूप में दिखाया गया होगा?
2. क्या डीआरटी द्वारा ऋण प्रदाता के पक्ष में अंतिम निर्णय और डिक्री देने या उसके पक्ष में वसूली का प्रमाणपत्र जारी करने का अर्थ ये होगा कि बैंक वसूली पत्र जारी होने के तीन वर्ष के भीतर आइबीसी की धारा 7 के अंतर्गत नए सिरे से वसूली कार्रवाई कर सकता है?
3. क्या कानून, आइबीसी की धारा 7 के अंतर्गत दाखिल याचिका में किसी तरह का संशोधन करने या अतिरिक्त दस्तावेज़ प्रस्तुत करने से रोकता है?

उपर्युक्त मामलों / प्रश्नों पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण प्रेक्षण दिए जो नीचे प्रस्तुत हैं ;

1. ऋण के एनपीए घोषित होने की तीन वर्ष की अवधि के भीतर यदि उधारकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार से यह स्वीकार किया जाता है कि उसके ऊपर बैंक का बकाया या ऋण है तो परिसीमा की अवधि और तीन वर्ष के लिए बढ़ा दी जाएगी।
2. यदि डीआरटी या किसी भी अन्य प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा वित्तीय देनदार के पक्ष में डिक्री या वसूली प्रमाणपत्र जारी किया जाता है तो आइबीसी की धारा 7 के अंतर्गत उसे इस आदेश के तीन वर्ष के भीतर वसूली के लिए नए सिरे से कार्रवाई शुरू करनी होगी।
3. आइबीसी की धारा 7 के अंतर्गत दाखिल पहली याचिका में संशोधन या किसी नए दस्तावेज़ की प्रस्तुति में कोई रोक नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आइबीसी की धारा 7 के अंतर्गत दाखिल याचिकाओं को लेकर आशंकाएं समाप्त हो चुकी हैं। यदि आपकी शाखा में ऐसे मामले हैं जिनमें ऋण के एनपीए होने के बाद 3 वर्ष की अवधि बीत चुकी है और उस दौरान उधारकर्ता ने कोई एकबारगी निपटान प्रस्ताव दिया है तो आप इत्मिनान से आइबीसी के तहत कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। वर्ष 2021 में आए इस निर्णय का असर ही है कि परिसीमा की आड़ लेने वाले उधारकर्ताओं को अब राहत नहीं मिल रही है। ऐसा ही एक उद्धरण नीचे प्रस्तुत है।

दूसरा मामला : तेजस खंधर बनाम बैंक ऑफ बड़ौदा

संक्षेप में केस :-

बैंक ऑफ बड़ौदा ने मेसर्स रेनैसा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को विभिन्न सावधि ऋण दिए। कुल प्रदत्त ऋण 9.91 करोड़ रुपए था। उधारकर्ता ने ऋण चुकौती में चूक कर दी और बैंक ने दिनांक 22.09.2013 को इस ऋण को एनपीए घोषित कर दिया। इसके बाद बैंक ने रेनैसा एजुकेशन के विरुद्ध सरफेसी के तहत कार्रवाई शुरू की। मामला जब ऋण वसूली प्राधिकरण (DRT) में पहुंचा तो डीआरटी ने उधारकर्ता को रूपए 50 लाख का भुगतान करने के आदेश दिए।

इस आदेश पर उधारकर्ता द्वारा दिनांक 05.10.2016 को भुगतान किया गया।

हालांकि भुगतान करने से पहले उधारकर्ता ने बैंक को दिनांक 01.08.2016 को एकबारगी निपटान प्रस्ताव (OTS) दिया और दूसरा ओटीएस प्रस्ताव दिनांक 27.03.2018 को दिया। लेकिन उधारकर्ता ने अपने ओटीएस प्रस्ताव के नियम व शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं किया। तब बैंक ने कोई और रास्ता न देख कर दिवालिया कानून के अंतर्गत ऋण वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी।

बैंक ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आइबीसी) की धारा 7 के अंतर्गत, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई के समक्ष उधारकर्ता के खिलाफ आवेदन दाखिल किया। हालांकि उधारकर्ता ने दलील दी कि बैंक ने 11.07.2019 को आवेदन दिया है जो परिसीमा अवधि के बाद की तारीख है। उधारकर्ता ने ऋण भुगतान में चूक दिनांक 01.07.2013 को किया था। तब से तीन वर्षों की अवधि बीत चुकी है इसलिए आइबीसी के तहत मामला दाखिल नहीं किया जा सकता है। परिसीमा कानून के तहत ये दावा कालातीत हो गया है।

एनसीएलटी मुंबई ने पाया कि बैंक द्वारा सरफेसी कार्रवाई परिसीमा अवधि के भीतर शुरू की गई थी। इसके साथ ही, उधारकर्ता ने स्वयं ओटीएस प्रस्ताव दिया था जिसमें उसने अपनी देनदारियों को स्वीकार किया है। एनसीएलटी ने माना कि बैंक का आवेदन पूरी तरह से परिसीमा के भीतर है क्योंकि उधारकर्ता ने डीआरटी आदेश के अनुसार रुपए 50 लाख का भुगतान दिनांक 05.10.2016 को किया है।

निराश होकर उधारकर्ता ने अपीलीय अभिकरण, एनएलएटी की शरण ली। एनसीएलएटी ने कहा कि उधारकर्ता ने दो बार ओटीएस प्रस्ताव दिए और दोनों ही प्रस्तावों में अपने ऋण की बात कबूल की है इसलिए परिसीमा अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत ये "ऋण की स्वीकरोक्ति" मानी जाएगी। एनसीएलएटी ने कंपनी के निदेशक द्वारा दाखिल की गई अपील को खारिज करते हुए बैंक को सीआइआरपी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी।

आइबीसी प्रक्रिया में जुड़ा नया किरदार

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आइबीसी) वर्ष 2016 में लागू हुई जिसके जरिए कंपनियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों से बैंक अपने ऋणों की वसूली कर सकते हैं। माना जा रहा था कि बड़े कॉरपोरेट कर्जों की वसूली के लिए आइबीसी एक बड़ा और कारगर हथियार साबित होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आइबीसी की वजह से बड़े ऋणों के समाधान में गति आई है और एनपीए में फंसा बैंक का काफी पैसा लाभ-हानि खाते में लौट आया है। परन्तु ये भी सच है कि बैंकों को बड़ा हेयरकट या डिस्काउंट देने के एवज में ये ऋण समाधान मिला है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि आइबीसी के तहत समाधान में बैंकों को नुकसान क्यों उठाना चाहिए।

आइबीसी के तहत निपटाए गए 5 बड़े दिवाला मामले

दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिडेट	2019 में कंपनी में फ्रॉड उजागर हुआ। कंपनी पर रूपए 87,082 करोड़ का कर्ज़ था। पीरामल ग्रुप ने रूपए 37,250 करोड़ रूपए की बोली लगाई जिसे एनसीएलटी ने मंजूर कर लिया। बैंक को 57% हेयरकट लेना पड़ा।
वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़	तीन वर्ष लंबी चली समाधान प्रक्रिया। आखिरकार वेदांता समूह समर्थित ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज ने रुपए 2,962 करोड़ की बोली लगाई जो मंजूर हो गई। बैंकों को 96% हेटरकट लेना पड़ा।
एस्सार स्टील	कंपनी पर रुपए 49,000 करोड़ का कर्ज़ था। आर्सलर मित्तल ने रुपए 42,000 करोड़ की बोली लगाई जो मंजूर हुई। बैंकों के लिए आईबीसी के तहत ये अब तक का सबसे लाभकर ऋण समाधान साबित हुआ। बैंकों ने डूबे कर्ज में 85% वसूली की।
भूषण स्टील	कंपनी पर रुपए 56,051 करोड़ रुपए का कर्ज़ था। टाटा स्टील ने रुपए 35,200 करोड़ की बोली लगाई। बैंकों को सबसे तेज ऋण समाधान मिला और 65% वसूली हुई।
भूषण पावर एंड स्टील	जेएसडब्ल्यू ने सफलता पूर्वक बोली लगाई। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट और प्रवर्त्तन निदेशालय में अटक गया।

आइबीसी का गठन इसलिए नहीं हुआ है। उन्होंने समाधान पेशेवरों को भी इस पर ध्यान रखने को कहा।

आइबीसी कितना प्रभावी है इसको लेकर जानकारों और हितधारकों की राय बँटी हुई है। परन्तु भारतीय दिवाला और शोध अक्षमता बोर्ड (आइबीबी) द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2016 में आइबीसी के लागू होने से लेकर मार्च 2022 तक बैंकों ने कुल 5258 मामले समाधान के लिए दाखिल किए जिनमें से 3406 मामले बंद हो चुके हैं। मामलों के निपटान में देरी की वजह कोविड तो रहा ही है परन्तु ढांचागत कमियां और विशेषज्ञों की कमी भी इसके लिए जिम्मेदार है।

आइबीसी के सम्बन्ध में अक्तूबर माह में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लिए गये निर्णय ने बैंकरों के चेहरे पर खुशी ला दी है। आरबीआइ ने आइबीसी के तहत ऋण समाधान की प्रक्रिया में एक नया खिलाड़ी जोड़ दिया है। अब एआरसी यानि परिसंपत्ति-पुनर्निर्माण कंपनियाँ भी दिवाला अदालतों में ऋण वसूली की प्रक्रिया में भागीदार बन सकेंगी। एआरसी के पास ऋण समाधान प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

तनावग्रस्त आस्तियों के प्रबन्धन में एआरसी को पुराना अनुभव है। किस ऋण से कितनी वसूली संभव है, इसका आंकलन करने में उन्हें विशेषज्ञता हासिल है। यही वजह है कि बैंकरों को अब एआरसी के रूप में उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही है। उन्हें उम्मीद है कि एआरसी के आने से न सिर्फ ऋण समाधान की प्रक्रिया में तेजी आएगी बल्कि अच्छी वसूली भी देखने को मिलेगी।

हिन्दी के विकास में बंगाल की भूमिका

मधुमिता बनर्जी, प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद

हिन्दी के विकास में बंगाल का अक्षुण्ण योगदान रहा है । बंगाल और हिन्दी का रिश्ता काफी पुराना है । हिन्दी को विकसित और पल्लवित-पुष्पित करने में बंगाल और वहाँ के बुद्धिजीवियों का व्यापक योगदान रहा है । बंगाल से ही पूरे भारत में नवजागरण का शंखनाद हुआ । जिसमें बांग्ला के साथ-साथ हिन्दी भाषा की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है । दोनों ही भाषाओं के बीच पारस्परिक शब्दों के आदान-प्रदान का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है । कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज में अंग्रेजी हितों को मद्देनज़र रखते हुए ही सही लेकिन उर्दू, बांग्ला और हिन्दी का पठन-पाठन एक साथ शुरू हुआ । कवि गुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार – "अपने साहित्यिक मूल्यों की बदौलत हिन्दी स्वयं को स्थापित करने में सफल रही ।" क्योंकि हिन्दी ही वह माध्यम है जो समग्र भारत को एक सूत्र में बाँधने और पिरोने का माद्दा रखती है । विद्यासागर, राजा राममोहन राय हिन्दी से खासे प्रभावित थे । हिन्दी साहित्य के अमूल्य रत्न भारतेन्दु हरिश्चंद्र और बांग्ला के विद्यासागर के बीच हुए पत्राचार इस तथ्य की पुष्टि करते हैं ।

कलकत्ता न सिर्फ़ हिन्दी पत्रकारिता की जन्मस्थली है, बल्कि वह चार दूसरी भाषाओं – उर्दू ('जाम ए जहाँनुमा'), फ़ारसी (मिरात-उल-अख़बार), अंग्रेजी (हिकीज बंगाल गजट और कैलकट्टा जनरल एडवर्टाइज़र) और बांग्ला पत्रकारिता ('दिग्दर्शन'/'बंगाल गजट') की जन्मस्थली भी है । हिन्दी पत्रकारिता के प्रति बंगाल हर काल खंड में उदार रहा है । अनेक बांग्ला भाषियों ने अपनी हड्डियाँ गलाकर हिन्दी पत्रकारिता की समृद्ध विरासत खड़ी की है । भारतीय भाषाई प्रेस के जनक बांग्ला भाषी राजा राममोहन राय ही थे । वे 19 वीं सदी के प्रारंभ में उन भद्र बंगाली सज्जनों में से एक थे जो अंग्रेजों के संपर्क में सबसे पहले आए । उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति एवं पश्चिमी उदारवादी विचारधारा से प्रेरणा ग्रहण की और उसे सामाजिक सुधार के संदर्भ में भारतीय परिप्रेक्ष्य में ढाला । राजा राममोहन राय ने लार्ड विलियम बेन्टिक की सहायता से महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और न केवल कानून बनवाकर सती प्रथा को अवैध घोषित करवाया तथा उसका उल्लंघन करने वालों के प्रति कड़े कानूनी प्रावधान करवाए बल्कि इस मुद्दे पर सामाजिक नवजागरण लाने के लिए उन्होंने पत्रकारिता को माध्यम बनाया । उन्होंने हिन्दी, बांग्ला, अंग्रेजी, और फ़ारसी भाषाओं की पत्रकारिता के लिए लिए जो रचनात्मक संघर्ष किया, वह इतिहास स्वीकृत तथ्य है । उन्होंने हिन्दी, बांग्ला तथा फ़ारसी में 10 मई, 1829 को साप्ताहिक 'बंगदूत' निकाला । गौरतलब है कि यह साप्ताहिक 82 दिनों तक ही चल पाया किन्तु उस अल्प समय में ही इसने अपनी अलग पहचान बना ली । 'बंगदूत' का 10 मई 1829 का अंक कोलकाता के बंगीय साहित्य परिषद (कोलकाता) में सहेजकर रखा गया है ।

राजा राममोहन राय की प्रेरणा से ही गंगाधर भट्टाचार्य ने 1816 में कलकत्ता से 'बंगाल गजट' का प्रकाशन प्रारंभ किया । किसी भी भारतीय द्वारा प्रकाशित होने वाला वह पहला पत्र था । राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ़ 'एशियाटिक जर्नल' के जुलाई 1819 के अंक में लेख लिखा । उन्होंने 1821 में द्विभाषी 'ब्रह्ममैनिकल मैग्जीन निकाली । उसके तीन अंक ही निकले किन्तु हर अंक में राजा राममोहन राय ने लेख लिखकर धार्मिक कुरीतियों पर करारा प्रहार किया । राजा राममोहन राय की ही प्रेरणा से 4 दिसंबर 1821 को ताराचंद दत्त तथा भवानीचरण बंधोपाध्याय ने बांग्ला साप्ताहिक 'संवाद कौमुदी' का प्रकाशन प्रारंभ किया । राजा राममोहन राय ने 'संवाद कौमुदी' के माध्यम से सती प्रथा के खिलाफ़ विधिवत मुहिम चालू कर दी । मिरात-उल-अख़बार, हिन्दी का पहला साप्ताहिक उद्दंत मार्तण्ड, पहला हिन्दी दैनिक 'समाचार सुधावर्षण' (श्याम सुंदर सेन) पश्चिम बंगाल की भूमि से ही प्रकाशित हुआ ।

अमृतलाल चक्रवर्ती (1863-1936) (प्रयाग समाचार पत्र, कालाकांकर से प्रकाशित राजा रामपाल सिंह के पत्र 'हिंदोस्थान) से जुड़े, आगे चलकर इन्हीं अमृतलाल चक्रवर्ती ने योगेन्द्रनाथ बसु के पत्र 'हिन्दी बंगवासी' के संपादन का दायित्व दस सालों तक संभाला। उसके पश्चात संचालकों की नीति से असन्तुष्ट होकर उन्होंने संपादक का पद छोड़ दिया और 'श्री वेंकटेश्वर समाचार' का संपादन करने लगे । बाद में अमृतलाल चक्रवर्ती ने बालमुकुंद गुप्त के साथ 'भारत मित्र' के संपादन की बागडोर संभाली । सिर्फ़ यही नहीं इस परंपरा की एक लंबी फ़ेहरिस्त है । जस्टिस शारदा चरण मित्र (1848-1917) के 'देवनागर', रामानंद चट्टोपाध्याय (1865-1943) का हिन्दी मासिक 'विशाल भारत', चिंतामणि घोष और "सरस्वती" का हिन्दी के प्रचार-प्रसार में अमूल्य योगदान रहा है ।

बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और भाषा दोनों के समर्थन के पक्ष में नवजागरण की शुरुआत हुई । इसकी शुरुआत 1814 ई. से मानी गयी है, जब राजा राममोहन राय ने 'आत्मीय सभा' की स्थापना की । राजा राममोहन राय ने हिन्दू धर्म में व्यापक रूप से फैली कुरीतियों में सुधार लाने के लिए और एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए सन 1828 ई. में

'ब्रह्म समाज' नामक संस्था की स्थापना की । राजा राममोहन राय आधुनिक शिक्षा के पक्षधर थे । भारतीय समाज को एक नई दिशा देने के लिए उन्होंने लेखों, निबंधों एवँ पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचारों को जन-जन तक पहुँचाया । इसके पश्चात ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । उन्होंने स्त्रियों को अधिकार दिलाने के लिए लंबा संघर्ष किया । उन्होंने विधवाओं की पीड़ा और दीन-हीन दशा को ध्यान में रखकर 7 दिसंबर 1856 को विधवा-पुनर्विवाह कानून पास करवाया । स्त्रियों की शिक्षा के लिए उन्होंने 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना भी की । नवजागरण की अगली कड़ी में यंग बंगाल आंदोलन और हेनरी लुई विवियन डिरोज़ियो का नाम आता है । अपने नवीन विचारों से युवावर्ग को प्रभावित करने में यंग बंगाल आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही । इन्होंने सामाजिक बुराईयों के विरोध के साथ-साथ प्रेस की स्वतंत्रता और समाज में समानता के भाव पर जोर दिया ।

1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल के पुनर्जागरण ने साहित्यिक क्रांति और उसके जरिये राष्ट्रवादी चिंतन के युग में प्रवेश किया । नील की खेती करवाने वाले अंग्रेजों के जुल्मों के खिलाफ़ किसानों के संघर्ष में बंगाली बुद्धिजीवियों ने भी अपनी आवाज मिलाई । दीनबंधु मित्र के नाटक 'नील दर्पण' ने बंगाल के मानस को झकझोर दिया । माइकेल मधुसूदन दत्त ने उसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया । जिसके खिलाफ़ अदालत ने एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई । माइकेल ने 1860 में मेघनाद – वध की रचना करके नयी बंगाली कविता की संभावनाओं का उद्घोष किया । 1865 में बंकिम चंद्र चटर्जी का सूर्य उनके पहले ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेशनन्दिनी के साथ बंगाली साहित्यिक क्षितिज पर उगा । 1873 में विषवृक्ष के जरिये उन्होंने सामाजिक उपन्यासों की परंपरा का सूत्रपात किया ।1879 में 'साम्य' शीर्षक से निबंध लिखकर बंकिम ने समतामूलकता और यूटोपियन समाजवाद के प्रति रुझान दिखाया, पर 1882 में आनंदमठ लिखकर वे देशभक्तिपूर्ण पुनरुत्थानवाद की लहर में बह गए ।

बंगाल के नवजागरण के संदर्भ में डॉ. बच्चन सिंह लिखते हैं कि "बंगाल का नवजागरण क्षेत्रीय चेतना पर आधारित था । (आलोचना, अप्रैल-जून 1990) यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बंगाल में नवजागरण की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। भारतेन्दु उसकी अगली कड़ी थे । भारतेन्दु ने जिस अखिल भारतीयता की बात की, वह भी बंगाल के नवजागरण की ही देन थी और वहाँ पहले से ही अखिल भारतीय संगठन बनाने की कोशिशें शुरू हो चुकी थीं । अखिल भारतीय कांग्रेस के लिए बंगालियों ने ही भारतेन्दु से संपर्क किया ।

डॉ . रामविलास शर्मा कहते हैं कि राजा राममोहन राय और सैयद अहमद खाँ का नवजागरण हिंदुओं और मुसलमानों तक सीमित था। इस हद तक वे बंगाली और हिंदी जातियों के गठन और विकास में बाधक थे ।

भारतीय नवजागरण के अग्रदूत राजाराम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया । उन्होंने अँग्रेजी शिक्षा के जरिए अपने व्यक्तित्व का विकास किया और भारतीय नवजागरण की नींव डाली ।

अँग्रेजी सरकार मुद्रण कला के विकास को अशुभ मानती थी । उन्हें लगता था कि मुद्रण कला प्रतिकूल शक्ति बन जायेगी । इसलिए मुद्रण कला के विकास में नाना प्रकार के अवरोध पैदा किए गए । इन सबके बावजूद मुद्रण कला का विकास हुआ । पहला प्रेस बंगाल के सीरामपुर में बपटिस्ट मिशनरी द्वारा स्थापित किया गया । वहाँ से 29 जनवरी, 1780 ईसवी में जेम्स आगस्टस हिकी के संपादकत्व में 'हिक्कीज बंगाल गजट' अथवा 'कलकत्ता जनरल अडवर्टाइज़र' प्रकाशित हुआ । दूसरा पत्र 'इंडिया गजट' नवंबर 1780 में कलकत्ता से निकला । तीसरा पत्र फरवरी 1784 में 'कलकत्ता गजट' नाम से तथा चौथा पत्र फरवरी 1785 में 'बंगाल जर्नल' नाम से निकला । इसी वर्ष 'ओरिएंटल मैगजीन' और मासिक पत्र 'कलकता एम्यूज़मेन्ट निकला । सन 1791 में विलियम हुफ्रानी ने 'इंडियन वर्ल्ड' का प्रकाशन तथा 'बंगाल जर्नल' का संपादन किया । मद्रास से 12 अक्तूबर, 1785 ई. में सरकारी मुद्रक रिचर्ड जॉनसन ने 'मद्रास कूरियर' नामक साप्ताहिक पत्र निकाला । 1795 में 'मैड्रास गजट' प्रकाशित हुआ । भारतीय पत्रकारिता की नींव तो अंग्रेजों ने ही डाली थी । इसके पश्चात ही आगे चलकर सही अर्थों में भारतीयों के सम्पादन तथा संयोजन में पत्रों का प्रकाशन होने लगा । भारत की देशीय पत्रकारिता के उन्नायक राजा राममोहन रॉय ही रहे । उन्होंने दिसंबर 1821 ई. में 'संवाद कौमुदी' नामक बांग्ला साप्ताहिक का प्रकाशन किया । जो मुख्यतः सती-प्रथा जैसी रूढ़ियों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए निकाला गया था । इससे पहले ही ईसाई मिशनरियों के तत्वावधान में 'समाचार दर्पण', 'दिग्दर्शन' आदि ईसाई धर्म के प्रचार के लिए निकाले गये ।

राजा राममोहन राय ने 'मिरात -उल- अख़बार नामक एक फ़ारसी पत्र निकाला जिसे अंग्रेजी सरकार के कोपभाजन का शिकार होना पड़ा । उन्होंने समाज की प्रगति के लिए 9 मई, 1829 को अंग्रेजी, बांग्ला, हिन्दी, फ़ारसी आदि भाषाओं में 'बंगदूत' निकाला । जिसका पुराणपंथियों ने विरोध किया । प्रख्यात बांग्ला कवि ईश्वरचन्द्र गुप्त ने 14 जून, 1839 को बांग्ला के प्रथम दैनिक समाचार-पत्र 'संवाद प्रभाकर' का प्रकाशन किया ।

बांग्ला के प्राचीन पत्रों के अन्वेषी ब्रजेन्द्रनाथ बंधोपाध्याय ने 1931 नवंबर के 'विशाल भारत' में हिन्दी समाचार-पत्रों की आरंभिक कथा

लिखकर हिन्दी के प्रथम समाचार-पत्र के रूप में 'उदन्त मार्तण्ड' को स्वीकरोक्ति दी है। जुगल किशोर शुक्ल ने 30 मई, सन 1826 ई. को इसका पहला अंक निकाला। किन्तु ग्राहकों की कमी और प्रतिकूल माहौल के कारण 4 दिसंबर, 1827 को यह पत्र हमेशा के लिए बंद हो गया।

श्याम सुंदर सेन के संपादन में निकले 'समाचार सुधावर्षण' को हिन्दी का प्रथम दैनिक समाचार-पत्र माना है। जो 1854 में प्रकाशित किया गया। यह पत्र सुधारवादी आंदोलनों का साथ न देकर पुरानी रीति-नीतियों के दायरे में सीमित रहा।

1854 ई. में राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद ने उत्तर प्रदेश से 'बनारस अख़बार'नाम से हिन्दी के प्रथम साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। जिसके संपादक श्री गोविंदनाथ थन्ते थे।

1850 ई. में तारामोहन मैत्रेय के सम्पादन में बँगला एवँ हिन्दी में 'सुधाकर' तथा 1852 में लाला सदासुख लाल के संपादन में आगरा से 'बुद्धिप्रकाश' का प्रकाशन हुआ। जिसकी भाषा की प्रशंसा स्वयं आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने की थी।

1861 ई. में राजा लक्ष्मण सिंह ने 'प्रजाहितैषी' का प्रकाशन किया। 1851 ई. में मनसुख के संपादकत्व में अहमदाबाद से 'धर्मप्रकाश प्रकाशित होने लगा।

उस समय ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाईटी आदि सुधारवादी संगठनों का उदय हुआ जो शिक्षित वर्गों ने बनाए थे।

भारतेन्दु हरिश्चंद्र को हिन्दी नवजागरण का जनक माना गया। इस युग को नवजागरण का प्रथम चरण माना जा सकता है। उन्होंने 15 अगस्त, 1867 ई. को काशी से 'कविवचनसुधा' मासिक पत्र का प्रकाशन किया। इसके माध्यम से उन्होंने साहित्य की ओर जनता को आकृष्ट करने के साथ-साथ जागृत करने का भी प्रयत्न किया। 1885 ई. में इसका प्रकाशन बंद हो गया। उन्होंने 15 अक्तूबर, 1873 ई. में 'हरिश्चंद्र मैगजीन' नामक मासिक पत्र का प्रकाशन किया, जिसे बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया। 1874 ई. में 'बाल बोधिनी' नामक स्त्री शिक्षोपयोगी पत्रिका का भी प्रकाशन उन्होंने किया।

नवजागरणकालीन पत्रकारों ने देशभक्ति एवं समाज-सुधार के रास्ते को अपनाकर समाज के उद्धार की आशा की। इनमें बालकृष्ण भट्ट का नाम उल्लेखनीय है। वे हिन्दी की राष्ट्रीय पत्रकारिता के निर्माता हैं। उन्होंने सितंबर 1877 ई. में 'हिन्दी प्रदीप' नामक मासिक पत्र का प्रकाशन किया। इसके जरिए उन्होंने जनता में जागृति लाने की कोशिश की। उन्होंने तत्कालीन समाज में मौजूद बाल-विवाह, अंधविश्वास, बाल-हत्या, जाति-प्रथा आदि का विरोध कर जनमानस में परिवर्तन लाने का प्रयास किया।

केशवराम भट्ट ने 'बिहार बन्धु' नाम से साप्ताहिक पत्रिका का सम्पादन किया। इसके जरिए उन्होंने हिन्दी का प्रचार एवँ जनमानस को जागृत करने का प्रयत्न किया तथा उस समय की रूढ़ियों के ख़िलाफ़ आंदोलन चलाया।

1881 ई. में बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमधन' ने 'आनंद कादंबिनी' तथा 1892 में नागरी नीरद के जरिए समाज के उन्नयन की कोशिश की। 1873 ई. में प्रतापनारायण मिश्र ने कानपुर से 'ब्राह्मण' पत्रिका का प्रकाशन किया। 22 अप्रैल, 1883 को राधाचारण गोस्वामी ने 'भारतेन्दु' मासिक पत्र का वृंदावन से प्रकाशन किया। मदनमोहन मालवीय ने 1887 से 1889 तक 'हिन्दोस्तान' का सम्पादन किया। फिर 1907 ई. में 'अभ्युदय' साप्ताहिक पत्र निकाला। उन्होंने 1907 ई. में 'अभ्युदय' साप्ताहिक पत्र निकाला। उन्होंने 'मर्यादा' मासिक पत्र भी निकाला। 20 जुलाई, 1933 को 'सनातन धर्म' साप्ताहिक का आरंभ किया।

महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में 'सरस्वती' का सम्पादन किया। रामविलास शर्मा ने 'सरस्वती' को हिन्दी की जातीय पत्रिका कहा है। वे इसे हिन्दी नवजागरण का मुखपत्र मानते हैं।

इसके अतिरिक्त बालमुकुंद गुप्त ने 1896 में 'भारत मित्र' का संपादन किया। वे रूढ़ियों का विरोध करने वाले तथा भारतीय संस्कृति के हिमायती रहे। ध्यातव्य है कि ये सारे -के- सारे पत्र हिन्दी नवजागरण को सशक्त गति प्रदान करने में बड़े मददगार सिद्ध हुए।

जब हम हिन्दी के विकास में बंगाल की भूमिका की बात करते हैं तो फोर्ट विलियम कॉलेज लल्लूलाल (प्रेमसागर), सदल मिश्र (नासिकेतोपाख्यान) और इंशा अल्ला खाँ (रानी केतकी की कहानी) का नाम स्वतः ही स्मरण हो जाता है। भाषा की दृष्टि से कोश, व्याकरण, टाइप, विराम-चिह्न आदि आधुनिक विषयों के सूत्रपात के संदर्भ में कॉलेज की चिरस्मरणीय भूमिका रही है। यद्यपि खड़ी - बोली हिन्दी-हिन्दुस्तानी के क्षेत्र में कॉलेज की भूमिका विवादास्पद रही है। बावजूद इसके उसके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

बेगुनाही की सज़ा

शुभम दीक्षित, सहायक प्रबन्धक, केन्द्रीय कार्यालय

आज हम आप के लिए बेहद ही अनूठा ख़त चुन कर लाए हैं। कल्पना करिए उस शख़्श के जीवन में आने वाली अड़चनों की जो 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में जन्म लेता है और उसके नाम के साथ वो शब्द जुड़ा है जिससे पूरी दुनिया दहशतज़दा है। भले ही आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, आप उस नाम से नफ़रत किए बिना नहीं रह सकते। हम आज जो ख़त आपके लिए ले कर आए हैं उसे 3 मार्च सन 1942 को जर्मनी के कुख्यात चांसलर और नेता एडोल्फ़ हिटलर के भतीजे और एकमात्र वंशज पैट्रिक हिटलर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के तात्कालिक राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट के नाम लिखा गया था। अगर पैट्रिक हिटलर की बात करें तो वो अपने अंकल के विचारों के विपरीत मानवता और अमन-चैन को तरजीह देने वाले व्यक्ति थे। एक ओर जहां हिटलर से विपरीत विचारों के चलते पैट्रिक का जर्मनी या जर्मनी के किसी भी सहयोगी राष्ट्र में रहना दुश्वार होता जा रहा था तो वहीं दूसरी ओर अपने नाम से जुड़े उपनाम के साथ किसी भी अन्य जगह पर रहना और भी ज्यादा पेचीदा काम था। अलग-अलग देशों में सेना से जुड़ कर मानवता की सेवा करने के लिए असफल प्रयास करने के बाद अंततः पैट्रिक हिटलर ने अमेरिका की राह ली। यह पहली बार नहीं था जब विलियम पैट्रिक हिटलर ने अमेरिकी सशस्त्र बलों में शामिल होने का प्रयास किया था। 1940 में, नाज़ी जर्मनी से न्यूयॉर्क भागने के एक साल बाद, उन्होंने भर्ती होने का प्रयास किया, लेकिन उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया।

अंत में जब सभी जगह से निराशा ही हाथ लगी तो थक-हार कर पैट्रिक हिटलर ने फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट को ये ख़त लिखा। फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट के ऑफिस में ख़त मिलने के बाद फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट को ख़त की जानकारी दी गई। ख़त ने उन्हें प्रभावित किया उन्होंने अगले ही पल तथ्यों की जांच के लिए ख़त को एफ़बीआई के पास भेजे जाने का आदेश दिया। विभिन्न एजेंसियों द्वारा लगभग दो सालों तक चली छानबीन और सभी तरह की जांच-पड़ताल के बाद अंततः पैट्रिक हिटलर को क्लीनचिट मिल सकी और 4 मार्च सन 1944 को उन्हें आधिकारिक रूप से यूएस के समुद्री बेड़े में शामिल किया गया। अपनी तीन साल की सेवाओं के दौरान घायल होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। ड्यूटी से लौटने के बाद, पैट्रिक हिटलर ने अपना अंतिम नाम बदलकर स्टुअर्ट-ह्यूस्टन कर लिया। 1987 में पैचॉग, न्यूयॉर्क में उनका निधन हो गया। अब और अधिक समय न लेते हुए चलते हैं, आज के ख़त की ओर...

ख़त

3 मार्च, 1942

महामहिम फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट,

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति

व्हाइट हाउस,

वाशिंगटन डी.सी.

प्रिय राष्ट्रपति महोदय:

क्या मुझे व्हाइट हाउस में आपके और आपके कर्मचारियों के बहुमूल्य समय में से कुछ पल की दख़लंदाज़ी की इजाज़त मिला सकती है? आज हमारा देश जिन मुश्किल दिनों से गुजर रहा हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए भी मैं ये ख़त आपको केवल इस लिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप के पास जो उच्च पद और उसके विशेषाधिकार हैं, उससे केवल आप ही मेरी मुश्किल और अनूठी स्थिति की नियति तय कर सकते हैं।

मुझे अनुमति दें कि मैं यथासंभव संक्षिप्त रूप में आपके सामने अपनी उन परिस्थितियों (मुश्किलों) को रख सकूँ, जिनका मुझे विश्वास है कि अगर आप चाहें तो उदारता के साथ अपनी मध्यस्थता से, बहुत ही आसानी से हल निकाल सकते हैं।

मैं जर्मनी के कुख्यात चांसलर और नेता का भतीजा और एकमात्र वंशज हूँ, जो आज अपनी निरंकुशता से दुनिया के सभी आज़ाद लोगों और ईसाईयों को अपना गुलाम बनाना चाहता है।

सभी पंथों और राष्ट्रीयताओं के लोग आज आपके कुशल नेतृत्व में आखरी समाधान द्वारा यह निर्धारित करने के लिए निराशान्ध युद्ध छेड़ने जा रहे हैं कि क्या वो अंततः ईश्वर के अधीन जिस नैतिक समाज की सेवा कर रहे हैं, वैसे ही करते रहेंगे या फिर एक क्रूर और काफ़िर शासन द्वारा गुलाम बना लिए जाएंगे।

आज दुनिया में हर किसी को खुद को जवाब देना चाहिए कि वे किस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। लोगों को उनके अन्तःकरण तक बिंधी गहरी धार्मिक भावना से मुक्ति का केवल एक ही माध्यम और एक ही विकल्प हो सकता है, जो हमेशा उनके साथ उस कटु अंत तक बना रहता है।

मैं उन अनगिनत लोगों में से एक हूं, जो इस बड़े उद्यम के लिए सेवा प्रदान कर सकते हैं। मेरे पास देने के लिए केवल मेरे प्राण ही हैं, ताकि हम सभी की मदद से आखिर में इंसानियत की जीत हो सके।

मेरे सभी संबंधी और दोस्त जल्द ही संयुक्त राष्ट्र आमेरिका के ध्वज़ के तले आज़ादी और सभ्यता के लिए मार्च करेंगे। इसी वजह से, राष्ट्रपति महोदय, मैं यह याचिका स-सम्मान आपके पास यह पूछने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि क्या मुझे अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ आपके संघर्ष में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है?

आज की तारीख में मुझे इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि जब मैं 1939 में रीच (जर्मनी की अतिक्रमण योजना) से भागा तो मैं ब्रिटिश साम्राज्य

के अधीन था। मैं अपनी आयरिश मां के साथ मुख्य रूप से अपने रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए अमेरिका आया था। उसी समय मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका में लिखने और व्याख्यान देने के लिए एक अनुबंध की पेशकश की गई। अनुबंध के दबाव के चलते मुझे निर्धारित कोटे के तहत यहाँ आने के लिए आवेदन करने का समय नहीं मिल सका। अंततः मुझे एक आगंतुक के रूप में यहाँ आना पड़ा।

मैंने ब्रिटिश सेना में शामिल होने का प्रयास किया है, लेकिन एक प्रवक्ता के रूप में मेरी सफलता ने मुझे शायद सबसे अच्छे राजनीतिक वक्ताओं में से एक बना दिया, जिसके चलते अक्सर पुलिस को बॉस्टन, शिकागो और अन्य शहरों में भीड़ के प्रवेश को नियंत्रित करना पड़ता था। इस सब ने ब्रिटिश अधिकारियों के बीच मेरे प्रति नकारात्मकता को ही बढ़ावा दिया।

ब्रिटिश एक द्वीपीय लोग हैं। यद्यपि वे दयालु और विनम्र हैं मगर इतने दिनों में, सही या गलत जो भी हो, मेरी यह धारणा बनी है कि वे ऐसे व्यक्ति के प्रति अत्यधिक सौहार्दपूर्ण या सहानुभूति महसूस नहीं कर सकते जिनके नाम के आगे वो सर नेम जुड़ा है, जोकि मेरे। केवल एक संभव समाधान है, नाम बदल लेना। लेकिन नाम बदलने में अंग्रेजी कानूनी प्रक्रिया के लिए जो बड़ा खर्च आता है, वह मेरे आर्थिक साधनों की पहुँच से काफी बाहर है। अब तक मैं यह तय नहीं कर पा रहा हूँ कि कनाडाई सशस्त्र सेना बलों में मुझे शामिल किया जाएगा या नहीं। हाल ही कि परिस्थितियों को मद्देनज़र में रखते हुए और किसी भी आधिकारिक मार्गदर्शन के अभाव में, मुझे लगता है कि किसी भी सेना में हिटलर के भतीजे के रूप में शामिल होने का प्रयास करने के लिए एक अदम्य साहस की आवश्यकता है, जिसे मैं जुटा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि न तो मेरे कोई वर्गीकरण है और न ही मेरे पास कोई आधिकारिक समर्थन।

जहां तक मेरी सत्यनिष्ठा की बात है, राष्ट्रपति महोदय, मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि यह रिकॉर्ड किया जाना चाहिए कि तुलनात्मक रूप से यह दूरदर्शिता की भावना ही है, जिसके चलते आपनी शासन कला के लिए जानी जाने वाली चतुराई से, अमेरिकी कांग्रेस से उन हथियारों को ले लिया, जो आज इस संकट में महान राष्ट्र की रक्षा कर सकते थे। मैं यह भी साबित कर सकता हूं कि बहुत सुखद और श्रेयहीनता के समय में भी मैंने उन चीजों को करने की कोशिश की जो एक ईसाई के रूप में मुझे लगता था कि सही थीं। गेस्टाप से एक भगोड़े के रूप में मैंने प्रेस के माध्यम से फ्रांस को चेतावनी दी थी कि हिटलर उस वर्ष, उस पर आक्रमण करेगा। मैंने इंग्लैंड के लोगों को उसी तरह चेतावनी दी थी कि म्यूनिख का तथाकथित "समाधान" एक मिथक था, जो भयावह परिणाम लाएगा। अमेरिका में मेरे आगमन पर मैंने तुरंत प्रेस को सूचित किया कि इस साल के अंत तक हिरणों के बीच चोला ओढ़े रहने वाला हिटलर नाम का ये सियार जल्द ही अपने असली रूप में आ जाएगा। हालाँकि किसी ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, फिर भी मैंने अमेरिका में व्याख्यान देना और लिखना जारी रखा। अब लिखने और बात करने का वक़्त बीत चुका है और मैं केवल अपने और अपनी माँ के ऊपर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए एहसानों के बारे में सोच रहा हूँ। अब मैं स्वतंत्रता के इस महान संघर्ष में किसी और चीज से ज्यादा, जल्द से जल्द सक्रिय लड़ाई देखना चाहता हूं और मुझे, मेरे दोस्तों और साथियों के साथ इस संघर्ष का हिस्सा बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए।

केवल मेरी अपील के हक़ में दिया गया आपका निर्णय अमेरिकी लोगों की उस परोपकारी भावना, जिसका कि आज मैं एक हिस्सा महसूस करता हूं, के प्रति मेरे विश्वास को दृढ़ करेगा। राष्ट्रपति महोदय मैं आपको बेहद सम्मानपूर्वक विश्वास दिलाता हूं कि अतीत की तरह मैं भविष्य में पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी मदद से कम-से-कम उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए उस महान सम्मान के योग्य बनूं जो अभी तक लोकतान्त्रिक सिद्धांतों के अनुसार इतने लंबे समय से खुद को अमेरिकी कहने के विशेषाधिकार के पात्र नहीं हैं। राष्ट्रपति महोदय, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि उथल-पुथल भरे इस विशाल संघर्ष में मेरी अपील को उन कारणों के चलते खारिज नहीं किया जाएगा, जिसके लिए मैं किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हूं?

राष्ट्रपति महोदय, मुझे, भविष्य में राजनीतिक इतिहास में पीड़ित मानव जाति के सबसे बड़े मुक्तिदाता के रूप में आपके द्वारा धारण की जाने वाली उपाधि के लिए की जा रही कोशिशों में, अमेरिकी लोगों को अभाव से मुक्ति दिलाने में अगर थोड़ा सा योगदान देने की, जीने और आपकी सेवा करने की अनुमति मिल जाए तो मेरे लिए इस से बढ़ कर कोई और सम्मान और इससे बड़ा कोई विशेषाधिकार नहीं हो सकता।

मुझे ऐसी किसी भी अतिरिक्त जानकारी को देने में बेहद खुशी होगी जिसकी आपको आवश्यकता हो सकती है और मैं आपकी अनुमति के बिना ही इस पत्र के साथ अपने विवरण संबंधी परिपत्र को संलग्न कर रहा हूँ।

राष्ट्रपति महोदय मुझे अनुमति दें कि मैं इस आशा के साथ आपको आपके स्वास्थ्य और खुशहाल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दे सकूँ कि आप जल्द ही उन सभी पुरुषों का नेतृत्व करेंगे जो सभ्यता में विश्वास रखते हैं और एक शानदार जीत की ओर बढ़ रहे हैं।

मैं,

बेहद आदर के साथ आपका,

पैट्रिक हिटलर

देशकाल

जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि द्वितीय विश्वयुद्ध का दौर बहुत ही अधिक अस्थिरताओं से भरा हुआ रहा। हम अमूमन हिटलर की दमनकारी नीतियों का ज़िक्र करते हुए हर बार ये भूल जाते हैं कि जर्मनी में भी कुछ लोग थे जो मानवता के हिमायती थे, जो शांति में विश्वास रखते थे, जिनको हिटलर की नीतियों से आपत्ति थी, जिन्होंने अपने यहूदी दोस्तों की मदद की या अपनी जान की परवाह किए बगैर उनके बच्चों को अपना बच्चा बना कर अपने परिवारों में आसरा दिया। या कि कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें न चाहते हुए भी जर्मनी की ओर से युद्ध में भाग लेना पड़ा। विदेशों में जा कर जर्मनी की ओर से मोर्चा

संभालना पड़ा। क्या ऐसे लोगों को भी वही सजा मिलनी चाहिए जोकि दमनकारियों के लिए नियत की गई थी? इस सवाल के प्रति मेरा जवाब होगा नहीं, बिलकुल भी नहीं। इस संदर्भ में बेंजामिन फ्रेंकलिन ने कितना तो सटीक ही कहा है – "एक निर्दोष व्यक्ति को पीड़ित किए जाने की बजाय बेहतर है कि 100 गुनहगारों को छोड़ दिया जाए"। हमारे देश की दंड सहिंता भी इसी सिद्धान्त के अनुषंगी काम करती है।

ग्वांतानामो संबंधी चर्चा ने उस समय ज़ोर पकड़ा जब राष्ट्रपति ओबामा ने ग्वांतानामो बे डिटेंशन कैंप को बंद करने और अफगानिस्तान युद्ध में पकड़े गए कैदियों को स्थानांतरित करने शपथ ली थी। उसी दौर में सीनेट ने क्यूबा में अमेरिकी सैन्य जेलों को बंद करने के लिए धन उपलब्ध कराने को बेहद सशक्त ढंग से यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अमेरिका में कोई भी समुदाय अपने घर के आहते में आतंकवाद के संदिग्धों को नहीं रखना चाहेगा।

अमेरिका के आहते, खेतों और यहां तक कि डाइनिंग रूम में भी लगभग 70 साल पहले भी कई शत्रु देश के कैदियों ने अपने कदम रखे थे। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ ही ग्रेट ब्रिटेन जैसे मित्र राष्ट्रों के पास युद्धबंदियों को रखने के लिए जेल में जगह कम पड़ रही थी। 1942 से 1945 तक 4,00,000 से अधिक कैदियों को संयुक्त राज्य अमेरिका भेज दिया गया। इन कैदियों को रखने के लिए मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में कुछ 500 के करीब रिहायशी कैंपों का निर्माण किया गया था। उसी समय जब जेल कैंप भर रहे थे, पूरे अमेरिका में खेत और कारखाने श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे थे। ऐसी स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने एक दुविधा थी। जिनेवा कन्वेंशन प्रोटोकॉल के अनुसार, युद्धबंदियों को केवल तभी काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता था जब उन्हें भुगतान किया जाता था, लेकिन अधिकारियों को बड़े पैमाने पर पलायन का डर था जो अमेरिकी लोगों को खतरे में डाल सकता था। आखिरकार, उन्होंने भरोसा किया और हजारों दुश्मन कैदियों को काम करने के लिए रखा। उन्हें कैनरी और मिलों में, गेहूं की कटाई के लिए खेतों में या शतावरी लेने के लिए, और किसी भी अन्य जगह जहां न्यूनतम सुरक्षा के साथ काम लिया जा सकता था, युद्ध बंदियों को काम पर लगाया गया।

लेकिन अगर बात केवल युद्ध बंदियों तक सीमित होती तो शायद मैं उसका ज़िक्र नहीं करता। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में जर्मनी निवासियों और जर्मन-अमेरिकी नागरिकों को भी नज़रबंद किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, इस नजरबंदी को कानूनी आधार बना कर विदेशी शत्रु अधिनियम के अधिकार के तहत राष्ट्रपति की उदघोषणा - 2526 के माध्यम से राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा ऐसा किया गया था।

जर्मनी के अप्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रवेश के साथ, जर्मन नागरिकों को स्वतः ही "शत्रु-सहयोगी" के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्थापित किए नज़रबंदी शिविरों में से दो हॉट स्प्रिंग्स, चार उत्तरी कैरोलिना और फोर्ट ओगलथोरपे, जॉर्जिया में स्थित थे।

बंदी शिविर तक जाने के लिए अपने सामान के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करते लोग

द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक, संयुक्त राज्य अमेरिका में जर्मनों मूल के लोगों की एक बड़ी आबादी निवास कर रही थी। 1940 में संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासियों में, जर्मनी मूल के 9.2 मिलियन से अधिक लोगों का जन्म हुआ था और 6 मिलियन के एक मूल-जर्मन माता-पिता थे। इन सब के आलवा भी कई अन्य लोग भी थे जो दूर के जर्मन वंश के थे। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अकेले मंज़नार शिविर में मार्च 1942 से नवंबर 1945 तक 1,20,000 से अधिक जर्मन मूल के लोगों को हिरासत में रखा गया। 21 वीं सदी की शुरुआत में, कांग्रेस ने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान यूरोपीय अमेरिकियों के अध्ययन करने के लिए कानून पर विचार किया, लेकिन यह प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में पारित नहीं हो सका। कार्यकर्ताओं और इतिहासकारों ने इन समूहों के खिलाफ कुछ अन्यायों की पहचान की है जिनके लिए उनसे आज की तारीख तक आधिकारिक माफी नहीं मांगी गई है।

युद्ध बंदियों, जिनसे काम लिया गया उन्हें पारिश्रमिक के रूप में श्रमिकों के लिए अनुबंधित किसानों ने आमतौर पर भोजन प्रदान किया और अमेरिकी सरकार ने प्रति घंटे 45 सेंट प्रति मजदूर के हिसाब से भुगतान किया, जिससे कैदियों की देखभाल के लिए आवश्यक लाखों डॉलर की भरपाई करने में मदद मिली। अधिकारियों को जिनेवा कन्वेंशन समझौते के तहत काम करने की आवश्यकता नहीं थी, जिसमें युद्धबंदियों को खतरनाक परिस्थितियों में या सीधे युद्ध के प्रयासों से संबंधित कार्यों में काम करने से भी प्रतिबंधित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में हजारों युद्धबंदियों में से केवल 2,223 यानि 1% से भी कम ने भागने की कोशिश की। जो कैदी भागे थे, उनमें से अधिकांश को जल्दी ही पकड़ लिया गया। यहाँ पर यह नोट किया जाना चाहिए कि 1946 तक, सभी कैदियों को उनके गृह देशों में वापस भेज दिया गया था।

हिंदी के प्रगामी प्रयोग में आइओबी का योगदान

आदर्श गुप्ता, प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा राष्ट्र की जबान होती है । बिना राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के कोई भी राष्ट्र गूंगा होता है । राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा सिर्फ राष्ट्र की भाषाई पहचान ही नहीं होते बल्कि नागरिकता की भी पहचान होती है जैसे जापानी बोलने वालों को जापानी, चीनी बोलने वालों को चीनी और अरबी बोलने वालों को अरबी कहा जाता है । देशों का निर्माण और उनकी पहचान भाषा से है, जैसे बांग्लादेश अर्थात जहां बांग्ला बोली जाए और नेपाल जहां नेपाली बोली जाए इत्यादि । राष्ट्र भाषा एवं राजभाषा किसी देश के संस्कृति के भी प्रतीक होते हैं जैसे तमिल शब्द एक प्राचीन एवं समृद्धि द्रविड़ सभ्यता का द्योतक है तो संस्कृत भारत की प्राचीनतम एवं समृद्धशाली संस्कृति से परिचय कराती है । उपरोक्त उदहारणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भाषा सिर्फ नागरिकों द्वारा व्यक्त किए जाने वाले भावों का लिखित और मौखिक माध्यम भर नहीं है बल्कि यह राष्ट्र की अस्मिता, नागरिकों की पहचान, राष्ट्र की संस्कृति और राष्ट्र की अपनी पहचान का भी प्रतीक होती है ।

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आजादी के अमृत महोत्सव के इस अमृतकाल में देश को गुलामी के हर प्रतीक से निजात पाने की ज़रूरत है । गुलामी के प्रतीकों में भाषाई प्रतीक सबसे बड़ा है । इस देश पर 250 सालों तक राज करने वाले अंग्रेज जब भारत आए थे तब यह देश विश्वगुरू. था और सम्पूर्ण विश्व में इसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था । उसका सबसे बड़ा कारण था उस समय देश में देश की भाषा में काम होता था । अंग्रेजों ने इस चीज को भली भांति समझ लिया था कि देश की भाषा को हटाए बिना और देश में अंग्रेजी को थोपे बिना इस देश में निष्कटंक राज करना असंभव था । अंग्रेजी राज चलाने के लिए उन्हें काले अंग्रेजों की जरूरत थी जो कि शक्ल एवं सूरत से भले ही भारतीय हों लेकिन उनमें आत्मा ब्रिटिश हो और बिना अंग्रेजी शिक्षा के यह संभव नहीं था । हिंदी या संस्कृत की शिक्षा या उस माध्यम से शिक्षा से काले अंग्रेज बनाना संभव नहीं था । हिंदी या संस्कृत में निहित शिक्षाएं मानव को मानव बनना सिखाती है, दानव बनना नहीं ।

देश को आजाद होने के बाद महसूस किया गया कि अब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजी का क्या काम और सर्व सम्मति से 14 सितम्बर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया । संविधान का एक बड़ा हिस्सा, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक एवं अनुच्छेद 120 एवं 210 में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधित दिशानिदेश जारी किए गए । अनुच्छेद 351 के तहत प्रावधान किया गया कि राजभाषा कायार्न्वयन की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी । भारत सरकार विविध प्रयासों से राजभाषा के विकास की अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास कर रही है ।

सन 1969 में बैंक के राष्ट्रीयकरण के बाद सन 1974 में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में राजभाषा विभाग का गठन किया गया । इण्डियन ओवरसीज़ बैंक जिसका मुख्यालय चेन्नै में था वहाँ राजभाषा विभाग का गठन देश में राजभाषा के कार्यान्वयन में मील का पत्थर था । डॉ सीता कुंचित पादम विभाग की पहली विभागाध्यक्ष बनीं । सुदूर दक्षिण में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए आइओबी में राजभाषा विभाग के गठन ने अंधेरे में मशाल जलाने का काम किया । दक्षिण के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति की गई । विशेष बात यह रही कि अधिकतम समय विभाग का प्रयास यह रहा कि तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक या केरल में वहीं के राजभाषा अधिकारियों अर्थात जिनकी मातृभाषा तमिल, तेलुगू, कन्नड अथवा मलयालम रही है उन्हीं की नियुक्ति की जाए ताकि वे वहां की प्रकृति के अनुकूल स्टाफ सदस्यों को सहजता से समझ सकें और हिन्दी प्रशिक्षण दे सकें । 5 अप्रैल 1974 से सतत रूप से विभाग, राजभाषा के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के प्रति अपना योगदान दे रहा है ।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक जिसके अधिकतर क्षेत्रीय कर्यालय और शाखाएं तमिलनाडु और केरल में फैली थीं, उसके राजभाषा विभाग द्वारा 1974 से लेकर आज तक हजारों स्टाफ सदस्यों को आइओबी प्रवीण प्रशिक्षण के माध्यम से हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्रदान किया गया । इन सदस्यों को प्रवीण परीक्षा पास करने पर प्रोत्साहित किया गया और बैंक द्वारा प्रोत्साहन राशि एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया गया । इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के राजभाषा विभाग ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दक्षिण भारत में हिंदी की मशाल को प्रज्वलित रखा ।

गठन के कुछ समय पश्चात बैंक की गृह पत्रिका "वाणी" का प्रकाशन प्रारंभ हुआ । "वाणी" बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों के बीच एक प्रमुख स्थान रखती है और इसने कई बार भारत सरकार से कीर्ति पुरस्कार प्राप्त किया है । इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा "दि आइओबियन" के नाम से प्रकाशित की जाने वाली एक और गृह-पत्रिका में लगभग 50 प्रतिशत सामग्री/ लेख इत्यादि हिंदी के थे और ये बैंकिंग इंडस्ट्री की श्रेष्ठ पत्रिकाओं में शुमार थी । पत्रिका स्टाफ सदस्यों में काफी लोकप्रिय थी ।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के राजभाषा विभाग की प्रेरणा से ही हजारों कर्मचारियों ने हिंदी प्रचार सभा एवं हिंदी प्रशिक्षण संस्थान से प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, पारंगत, राष्ट्रभाषा जैसे प्रशिक्षणों को प्राप्त किया ।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ने गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों समेत सम्पूर्ण भारत में हिंदी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया और कार्यशालाएं चलाईं।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में हिंदी का समृद्धशाली इतिहास रहा है। हमने कार्यान्वयन एवं पत्रिका के क्षेत्र में कई पुरस्कार जीते हैं। बैंक के केन्द्रीय कार्यालय ने उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2020 – 21 हेतु तृतीय एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु द्वितीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त किया है। वर्ष 2009 में बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक से द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बैंक की गृह-पत्रिका वाणी ने भी भारत सरकार से कई बार पुरस्कार प्राप्त कर बैंक का गौरव बढ़ाया है। हमारा बैंक राजभाषा कार्यान्वयन हेतु हमेशा कटिबद्ध रहा है और संविधान की आत्मा के अनुरूप राजभाषा कार्यान्वयन और हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के लिए तमाम प्रोत्साहन योजनाएं चला रहा है, जिनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नवत हैं –

लेखन संबंधी प्रोत्साहन योजनाएं -

बैंक की गृह पत्रिका वाणी हेतु मानदेय –

स्टाफ सदस्यों की लेखन प्रतिभा को निखारने हेतु इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा बैंक की गृह-पत्रिका वाणी में आलेख आमंत्रित किए जाते हैं। वाणी का प्रकाशन त्रैमासिक हैं। वाणी में आलेख प्रकाशित होने पर रू. 1500/- तक का मानदेय देने का प्रावधान है।

अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतियोगिता –

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा प्रतिवर्ष बैंक के कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। बैंक के सभी कर्मचारी इस प्रतियोगिता में प्रतिभागिता कर सकते हैं। आलेख चयनित होने पर पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

अखिल भारतीय अंतर बैंक निबंध प्रतियोगिता –

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा प्रतिवर्ष अखिल भारतीय स्तर पर अंतर बैंक आलेख प्रतियोगिता का अयोजन किया जाता है। सभी बैंकों के कर्मचारी इस प्रतियोगिता में प्रतिभागिता कर सकते हैं। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

शाखाओं के लिए राजभाषा शील्ड –

बैंक सर्वश्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन करने वाली शाखाओं से प्रतिवर्ष राजभाषा शील्ड (गृह) पुरस्कार हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित करता है और विजेता शाखाओं को रू. 7,000/- की प्रोत्साहन राशि प्रदान करता है। एमडी व सीईओ तथा महा प्रबंधक के हस्ताक्षर से प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए राजभाषा शील्ड –

बैंक सर्वश्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रतिवर्ष राजभाषा शील्ड (गृह) पुरस्कार हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित करता है और विजेता क्षेत्रीय कार्यालय को रू. 5,000/- से लेकर रू. 15,000/- तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है और एमडी व सीईओ तथा महा प्रबंधक के हस्ताक्षर से प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

वैयक्तिक प्रोत्साहन योजनाएं –

नकद पुरस्कार एवं प्रशस्तिपत्र योजना :

बैंक के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय, उससे सम्बद्ध शाखाओं एवं केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन करने वाले कर्मचारियों हेतु प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इसमें हर छमाही क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर 3 तथा सम्बद्ध शाखाओं से 6 तथा केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर 12 उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन करने वाले कर्मचारियों का चयन किया जाता है। चयनित स्टाफ सदस्यों को रू. 1,000/- की नकद पुरस्कार राशि एवं कार्यालय प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

विशेष प्रोत्साहन योजनाएं –

उपरोक्त के अलावा इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विशेष अवसरों पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग के कर्मचारी प्रतिभगिता करते हैं।

हिंदी दिवस प्रतियोगिताएं –

प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को केन्द्रीय कार्यालय और प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सम्बद्ध शाखाओं के लिए हिंदी दिवस के अवसर के हिंदी माह/ पखवाड़ा/ सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार की हिंदी प्रतियोगिताओं का ऑनलाइन/ ऑफलाइन माध्यम से आयोजन किया जाता है और विजेता स्टाफ सदस्यों को नकद पुरस्कार एवं कार्यालय प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

विश्व हिंदी दिवस प्रोत्साहन योजनाएं –

प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। बैंक के केन्द्रीय कार्यालय के निदेशानुसार क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इस दिन स्टाफ सदस्यों के लिए हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर स्कूलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिससे कि बैंक की साख का तो निर्माण होता ही है, प्रतियोगिता में प्रतिभागिता करने वाले विजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कार एवं क्षेत्रीय प्रबंधक से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त होता है।

मातृभाषा दिवस प्रोत्साहन योजना -

प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस का आयोजन किया जाता है। राजभाषा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय के दिशा–निदेशों के अनुरूप मातृभाषा दिवस के अवसर पर प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सम्बद्ध शाखाओं के लिए हिंदी दिवस के अवसर प्रतियोगिता/ संगोष्ठी/ कार्यशाला/ स्कूलों इत्यादि में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

अन्य प्रोत्साहन योजनाएं –

अखिल भारतीय अंतर बैंक प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता –

हमारा बैंक अपने कर्मचारियों को अखिल भारतीय अंतर बैंक प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता हेतु प्रोत्साहित करता है। आलेख का चयन होने पर सेमीनार में शमिल होने का व्यय भी बैंक वहन करता है। अखिल भारतीय अंतर बैंक प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता कर पुरस्कार प्राप्त करना सम्पूर्ण बैंक के लिए गौरव की बात होती है।

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन –

बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में हो रही प्रगामी प्रगति का जायजा लेने के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, केन्द्रीय कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी राजभाषा अधिकारियों एवं नामित राजभाषा अधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में एमडी व सीईओ महोदय सहित बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक प्रतिभागिता करते हैं और बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में हो रही प्रगति का मूल्यांकन करते हैं। बैंक में राजभाषा के कार्यान्वयन को कैसे और अधिक श्रेष्ठ बनाया जाए इस हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

नराकास संबंधी प्रतियोगिताएं –

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखाओं द्वारा नराकास के तत्वावधान में कई प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। नराकास के तत्वावधान में अयोजित प्रतियोगिताओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बैंक अपने कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करवाता है। नराकास के तत्वावधान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कार्यपालकों सहितहर स्तर के कर्मचारी द्वारा प्रतिभागिता की जाती है। हर वर्ष हमारे विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखाओं में श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन हेतु स्थानीय नराकासों से पुरस्कार प्राप्त होते हैं जो कि सम्पूर्ण बैंक के लिए गौरव की बात है। हाल ही में चेन्नै नराकास बैंक/ वि.स. द्वारा श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन के लिए बैंक के केन्द्रीय कार्यालय को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है जो कि हमारे बैंक एवं सम्बद्ध कार्यालयों के लिए गौरव की बात है।

हिन्दी प्रशिक्षण संबंधी बैंक की प्रोत्साहन योजनाएं –

आइओबी प्रवीण –

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के कर्मचारियों, जिन्हें हिंदी का ज्ञान प्राप्त नहीं है, के लिए आइओबी प्रवीण पाठयक्रम चलाया जाता है। यह पाठयक्रम कुल 15 कार्यकारी दिवसों का होता है जिसमें कर्मचारी को बैंक के व्यय पर पूर्ण दिवसीय हिंदी का कार्यसाधक प्रशिक्षण दिया जाता है। कर्मचारी चाहें तो स्वयं तैयारी करके भी इसकी परीक्षा दे सकते हैं। आइओबी प्रशिक्षण परीक्षा के उपरान्त आइओबी प्रवीण परीक्षा का आयोजन किया जाता है और उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को रू. 5,000/- से लेकर रू. 10,000/- तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। आइओबी प्रवीण भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम है और प्रत्येक गैर हिंदी भाषी कर्मचारी जो कि हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं रखता है वह इसके लिए पात्र है। इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा चलाए जा रहे आइओबी प्रवीण पाठ्यक्रम के माध्यम से अब तक सैकड़ों कर्मचारी प्रशिक्षित किए जा चुके हैं।

एक दिवसीय हिंदी कार्यशालाएं –

हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों लिए बैंक के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा एवं कमर्चारी प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा तिमाही में कम-से-कम एक बार एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। कर्मचारी इन कार्यशालाओं में शामिल होकर राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

डेस्क प्रशिक्षण –

बैंक के सभी राजभाषा अधिकारी सतत रूप से कर्मचारियों को उनकी डेस्क पर जाकर डेस्क प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि कर्मचारी सुचारू रूप से अपना कार्य राजभाषा में निष्पादित कर पाएं।

हमारे बैंक के कामकाज को माननीय गृहमंत्री, श्री अमित शाह द्वारा भी विशेष रूप से सराहा गया। सूरत सितंबर 2022 में आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय हिन्दी सम्मेलन में हमारे बैंक के स्टाल का निरीक्षण करते हुए गृह मंत्री महोदय ने दक्षिण भारत में स्थित बैंक होते हुए भी हिन्दी के प्रति हमारे बैंक के समर्पण की सराहना की और हमें और अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी किया।

राजभाषा प्रश्नोत्तरी का उत्तर

1.	(क)	2.	(क)	3.	(ग)	4.	(घ)	5.	(ख)
6.	(ख)	7.	(ख)	8.	(घ)	9.	(क)	10.	(ख)
11.	(ग)	12.	(ग)	13.	(क)	14.	(ख)	15.	(ख)

मॉरीशस में हिन्दी

नेहा रंजन, प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

पिछले अंक में हमने बात की थी रूस में हिंदी की स्थिति के बारे में, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे मॉरीशस में हिंदी की स्थिति के बारे में। वर्तमान समय में मॉरीशस में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं, लेकिन उन सभी में हिंदी को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। मॉरीशस में हिंदी भाषा का इतिहास लगभग डेढ़ सौ वर्ष पुराना है। स्वतंत्रतापूर्व काल में भोजपुरी भाषा ने मॉरीशस में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार व विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और धीरे- धीरे खेतों में कड़ी धूप में गूँजने वाले लोक गीतों में, शाम की संध्या आरती में, रामायण-गान में, त्योहारों में, हर स्थान पर यह भाषा अबाध्य रूप से बढ़ती चली गई। स्वतंत्रतापूर्व काल में हिंदी भाषा उन भारतीयों के साथ मॉरीशस तक पहुंची जिन्हें अंग्रेजों द्वारा गुलामी के दिनों में गिरमिटिया मजदूर के रूप में मॉरीशस लाया या भेजा गया था। यहाँ आपको बताते चलें कि ये गिरमिटिया मजदूर कौन थे और यह गिरमिटिया प्रथा क्या थी ? गिरमिटिया प्रथा का आरंभ वर्ष 1834 में हुआ जब अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को, गुलामी की शर्त पर, विदेशों में भेजा जाने लगा। गिरमिट शब्द अंग्रेज़ी के `एग्रीमेंट' शब्द का अपभ्रंश बताया जाता है। चूंकि जिस कागज पर अंगूठे का निशान लगवाकर हर साल हज़ारों मज़दूरों को दक्षिण अफ्रीका या अन्य देशों में भेजा जाता था, उसे मज़दूर और मालिक `गिरमिट' कहते थे, इसलिए इन दस्तावेज़ों के आधार पर मज़दूरों को गिरमिटिया कहा जाने लगा। हर साल 10 से 15 हज़ार मज़दूरों को गिरमिटिया बनाकर फिजी, मॉरीशस, ब्रिटिश गुयाना, डच गुयाना, ट्रिनीडाड- टोबेगो, नेटाल (दक्षिण अफ्रीका) आदि देशों में भेजा जाता था। यह सब सरकारी नियम के अंतर्गत था और इस तरह का कारोबार करने वालों को सरकारी संरक्षण प्राप्त था। गिरमिटिया मजदूर की हालत बेहद दयनीय होती थी। उन्हें मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रखा जाता था। इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अभियान की शुरुआत की और मार्च 1912 में भारत में गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गिरमिटिया प्रथा समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। गिरिमिटिया प्रथा विरोधी आंदोलनों और बढ़ते हुए जन आक्रोश को देखते हुए अंग्रेज़ सरकार को भी झुकना पड़ा। 12 मार्च 1917 को सरकार ने राजपत्र (गज़ट) में यह निषेधाज्ञा प्रकाशित की कि भारत से बाहर के देशों में गिरमिट प्रथा के तहत मज़दूर न भेजे जाएँ। इस प्रकार से एक अमानवीय प्रथा का अंत हुआ।

आइए हम अपने विषय पर वापस लौटते हैं और बात करते हैं हिंदी भाषा और मॉरीशस के संबंध के बारे में और एक ऐसे शख़्स के बारे में जिन्होंने मॉरीशस में हिंदी भाषा के बीजारोपण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हम बात कर रहे हैं भारतीय मूल के बैरिस्टर श्री मणिलाल मगनलाल डाक्टर की, जिनकी याद में आज भी मॉरीशस में 11 अक्टूबर (यानि कि वह दिन जब श्री मणिलाल ने मॉरीशस में अपने कदम रखे थे) को मणिलाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1906 में मणिलाल जी ने महात्मा गाँधी से मुलाकात की और वे मॉरीशस में भारतीय मजदूरों की स्थिति से द्रवित हो उठे। गांधी जी के आग्रह और मजदूरों की सामाजिक व राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने में सहायता करने के उद्देश्य से 11 अक्टूबर 1907 को मणिलाल मॉरीशस पहुंचे और बैरिस्टर के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने गिरमिटिया मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए कई पहल किए। गाँधीजी जिस एकता और संगठन की शक्ति को स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण मानते थे, उन्हीं धारणाओं को आधार मानते हुए मणिलाल डॉक्टर ने मॉरीशस में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने भारतवंशियों के बीच वैचारिक क्रान्ति के ज़ोरदार अभियान की शुरुआत की। उनके इस अभियान का प्रमुख माध्यम 15 मार्च, 1909 में प्रकाशित 'हिन्दुस्तानी' पत्रिका बनी जिसका आदर्श वाक्य था " व्यक्ति की स्वतंत्रता, उनके बीच बंधुत्व की भावना और सभी जातियों के बीच समानता "। मारीशस में हिन्दी का यह प्रथम समाचार पत्र था जो 15 मार्च, 1909 में गुजराती और अंग्रेज़ी भाषा में प्रकाशित हुआ और 1914 में इसने दैनिक पत्र का रूप ले लिया। राष्ट्रीय विस्तार के उद्देश्य से यह समाचार पत्र कुछ ही महीनों में गुजराती की जगह हिन्दी में प्रकाशित होने लगा। वर्ष 1910 ई. से 'हिन्दुस्तानी' का प्रकाशन अंग्रेज़ी और हिन्दी भाषा में होने लगा था। मणिलाल डाक्टर द्वारा 'हिन्दुस्तानी' नामक समाचार पत्र के प्रकाशन के साथ ही मॉरीशस में हिन्दी पत्रकारिता की भित्ति का निर्माण हुआ। वर्ष 1911 तक इस पत्र को मणिलाल डाक्टर ने अपनी युयुत्सु मुद्रा व प्रखर विवेक से उत्कर्ष पर पहुँचाया। इस समाचार पत्र के माध्यम से वह भारतीयों की साझी विरासत और समान हितों के महत्व को उजागर करना चाहते थे, भले ही धर्म या व्यापारी या मजदूर के रूप में उनकी स्थिति कुछ भी हो। संपादकीय और अदालती मामलों की रिपोर्टिंग के लिए अखबार पर कई बार जुर्माना लगाया गया लेकिन मणिलाल के जाने के बाद भी इसका प्रकाशन जारी रहा। मणिलाल ने विदेशी अखबारों में नियमित रूप से लिखकर भारत-मॉरीशस के लोगों की पीड़ा के प्रति विश्वव्यापी सहानुभूति जगाने की कोशिश की। मणिलाल के मॉरीशस छोड़ने के

बाद, उनका अधिकांश काम पंडित काशीनाथ किस्तो और आर्य समाज द्वारा किया गया।

मॉरीशस से प्रस्थान के समय डाक्टर मणिलाल ने आर्य समाज को प्रेस दान में दे दिया । उन्हीं की प्रेरणा से आर्य समाज ने वर्ष 1911 में अपना प्रथम प्रकाशन 'आर्य पत्रिका' नाम से मासिक पत्र निकाला जो हिन्दी और अंग्रेज़ी में निकलता था । परन्तु बाद में ये समाचार पत्र पाक्षिक बन गया। जनवरी, 1912 से यह साप्ताहिक पत्र के रूप में निकलने लगा। इसके प्रथम सम्पादक श्री तोतालाल (खेमलाल लाला) थे। उनके अस्वस्थ हो जाने के बाद भारत से आए स्वामी स्वतंत्रतानन्द जी ने दो वर्षों तक इसका सम्पादन कार्य सम्भाला और बाद में धनाभाव के कारण इसे बन्द कर दिया गया। मार्च, 1912में श्री रामलाल तिवारी ने 'ओरिएण्टल गजट' नाम से एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। शुरुआती दौर में इसका प्रकाशन दैनिक पत्र के रूप में हिन्दी और अंग्रेज़ी में किया गया जो बाद में साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रकाशित किया जाने लगा । यह पत्र सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए कटिबद्ध था। मॉरीशस में 'हिन्दुस्तानी' एवं 'आर्य पत्रिका' से शुरू हुए जागरूकता अभियान को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए समय-समय पर अनेक व्यक्तियों द्वारा हिन्दी की विभिन्न साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया ।

वर्ष 1909 से 1935 का दौर हिंदी भाषा और हिंदी पत्रकारिता के लिए एक स्वर्णिम दौर माना जा सकता है। इस दौर में हिंदी भाषा में कई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया जिनका मुख्य उद्देश्य अप्रवासी भारतीयों में अंग्रेज़ों के अत्याचारों के विरुद्ध जागरण उत्पन्न करना तथा दूसरी ओर धर्म के प्रचार-प्रसार द्वारा लोगों में संगठन और जागरण की भावना का संचार करना भी था। कई हिन्दी कविताओं और 'इन्दो' नामक मॉरीशस की प्रथम हिन्दी कहानी का प्रकाशन भी इसी काल की प्रमुख देन है। हिन्दी लेखन के उषाकाल में प्रकाशित पत्रों ने हिन्दी लेखन को प्रोत्साहित किया। मॉरीशस के इतिहास में वर्ष 1935 अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण स्वर्णाक्षरों में अंकित है। इसी वर्ष नवम्बर में मॉरीशस में अप्रवासी भारतीयों के आगमन शताब्दी समारोह को धूमधाम से मनाया गया। इसी अवसर पर पं. लक्ष्मीनारायण चतुर्वेदी द्वारा लिखित मॉरीशस के इतिहास को भोजपुरी हिन्दी में पदबद्ध कर 'शताब्दी सरोज' नाम से प्रकाशित किया गया। इसी वर्ष हिन्दी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई और वहीं से भगत बन्धुओं के प्रयास से 'दुर्गा' नामक हस्तलिखित पत्रिका का जन्म हुआ।

मॉरीशस के स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी जन भाषा बन कर उभरी । सन् 1909 में प्रकाशित हिन्दुस्तानी समाचार पत्र के पहले अंक में ही मणिलाल डाक्टर यह टिप्पणी करते हुए कहते हैं **"केवल अपने निजी लाभ के लिए कोई मनुष्य या कोई जाति किसी दूसरे मनुष्य या दूसरी जाति को नैतिक दृष्टि से न तो दास बना सकती है और न अधिकार में रख सकती है और न ही शोषण कर सकती है। संसार के अन्य स्वाधीन देशों के मनुष्य की भाँति यहाँ के भारतीय मूल के लोगों की भी गणना मनुष्य में ही हो, इसीलिए स्वत्व और जितनी स्वतंत्रता एक स्वाधीन राष्ट्र के व्यक्ति को प्राप्त है, उतनी स्वतंत्रता मॉरीशस के अप्रवासी भारतीयों को भी प्राप्त हो।''**

'जागृति पत्रिका में छपे हिंदी समाचार पत्र और हिन्दू', हिंदी भाषा उद्धारक दयानंद सरस्वती', 'सरकार और हिंदी भाषा', 'जागो होश में आओ' आदि जैसे शीर्षक वाले आलेखों द्वारा मातृभाषा हिंदी का पुरजोर समर्थन किया जाता था और यह भी कहा जाता था कि इसके प्रयोग द्वारा ही जातीय अस्मिता एवं संगठन की भावना सुदृढ़ होगी। 'आर्यवीर-जागृति' में लेखक नारायण 'संगठन की पुकार' शीर्षक नामक आलेख में लिखते हैं **"स्मरण रहे यदि हम अपने-अपने संगठन को इससे ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं तो बिना रोक-टोक के सभी को अपने-अपने मस्तिष्क में हिंदी भाषा के लिए स्थान देना चाहिए। इतिहास के अवलोकन से पता चलता है कि कुछ ही समय पहले की बात है, जब हमारी कौम शिक्षा से परे थी तो किस तरह दुःखों से परिपूरित और सुखों से रहित थी । हम सुखों से पुनः परिपूरित तभी हो सकेंगे जब हम शिक्षा को अपनाएंगे। इसी से हम सुसंगठित होकर सर्व प्रकार से देश, जाति, धर्म तथा राष्ट्र की सेवा कर सकेंगे।"**

इस प्रकार से हम पाते हैं कि मॉरिशस के स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी भाषा एक प्रमुख भाषा बन कर उभरी और इस भाषा ने ही संघर्षरत आंदोलनकारियों के मन में देश प्रेम और देश की स्वतंत्रता की अलख को जलाया । मॉरीशस और हिंदी भाषा का संबंध इतना गहरा और इतना ज्यादा विस्तृत है कि इसे एक अंक में समेटना, इस विषय के साथ नाइंसाफी होगी इसीलिए विषय के साथ नाइंसाफी न करते हुए मैं अगले अंक में हिंदी भाषा की मॉरीशस में पैठ, मॉरीशस स्थित विश्व हिंदी सचिवालय, मॉरिशस में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलनों, इत्यादि के संबंध में विस्तार से बताऊंगी ।

(......शेष अगले अंक में)

मोती

- समाज की सेवा करने का मौका, हमें अपने ऋण चुकाने का मौका देता है।

- नरेंद्र दामोदरदास मोदी

- सबसे उत्तम तीर्थ अपना मन है जो विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ हो।

- स्वामी शंकराचार्य

- लोग चाहे मुट्ठी भर हों, लेकिन संकल्पवान हों, अपने लक्ष्य में दृढ आस्था हो, वे इतिहास को भी बदल सकते हैं।

- महात्मा गाँधी

- पुरुषार्थ से दरिद्रता का नाश होता है, जप से पाप दूर होता है, मौन से कलह की उत्पत्ति नहीं होती और सजगता से भय नहीं होता।

- चाणक्य

- हज़ार योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी है।

- गौतम बुद्ध

- मन एक भीरु शत्रु है जो सदैव पीठ के पीछे से वार करता है।

- प्रेमचंद

- सौंदर्य और विलास के आवरण में महत्त्वाकांक्षा उसी प्रकार पोषित होती है जैसे म्यान में तलवार।

- रामकुमार वर्मा

- कामनाएँ समुद्र की भाँति अतृप्त हैं। पूर्ति का प्रयास करने पर उनका कोलाहल और बढ़ता है।

- स्वामी विवेकानंद

- ख्याति नदी की भाँति अपने उद्गम स्थल पर क्षीण ही रहती है किंतु दूर जाकर विस्तृत हो जाती है।

- भवभूति

- जिस प्रकार जल कमल के पत्ते पर नहीं ठहरता है, उसी प्रकार मुक्त आत्मा के कर्म उससे नहीं चिपकते हैं।

- छांदोग्य उपनिषद

- जिस प्रकार बिना जल के धान नहीं उगता उसी प्रकार बिना विनय के प्राप्त की गई विद्या फलदायी नहीं होती।

- भगवान महावीर

यमराज रामू से – चलो वत्स, तुम्हारे चलने का समय आ गया है।
रामू – बस 2 मिनट रुक जाईए।
यमराज - मगर क्यूँ?
रामू – अरे फेसबुक पर स्टेटस तो डाल लूँ, ट्रैवलिंग टू यमलोक विद यमराज

टीचर : (चिंटू से) तुमने होम वर्क क्यूँ नहीं किया?
चिंटू : सर, कल जैसे ही होमवर्क करने बैठा लाइट चली गई।
टीचर : तो फिर लाइट वापस आने पर होमवर्क क्यूँ नहीं किया?
चिंटू : मुझे डर था कि कहीं मेरे होमवर्क करने से ये दोबारा न चली जाए।

संता बर्फ का टुकड़ा उठा कर गौर से देख रहा था।
बंता – क्या देख रहे हो?
संता – बस ये ढूंढ रहा हूँ कि ये लीक कहाँ से हो रहा है।

संता – अरे बंता कार की स्पीड इतनी क्यूँ बढ़ा दी।
बंता – इससे पहले कि एक्सीडेंट हो घर पहुँच जाते हैं।

संता शादी न होने के चलते बड़ा परेशान था। दोस्तों, परिचितों, साथ काम करने वाले, सभी से मदद ली मगर बात नहीं बनी।
संता थक हार कर पंडित जी के पास गया।
पंडित जी – शादी तो हो जाएगी, तुम सब से "सदा सुखी रहो" वाला आशीर्वाद लेना बंद कर दो।

संता ने एयर लाइन को फोन लगा कर पूछा, मैम, चंडीगढ़ से अमेरिका जाने में कितना समय लगा है?
उधर से जवाब मिला, बस एक सकेंड सर,
संता फोन काटते हुए बोला, मुझे लगता है ऑफिस में नशा कर के बैठी है।

संता अपना पालतू कुत्ता बेंच रहा था।
खरीदने वाले ने पूछ, ये बफादार तो है न!
संता – लो जी, इतना बफादार है कि पहले भी तीन बार बेंच चुका हूँ, हर बार वापस आ जाता है।

फिल्म जगत और हिन्दी साहित्य का सम्बंध

स्नेहा प्रसाद, सहायक प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

19वीं सदी के अंतिम वर्षों की सबसे बड़ी देन है सिनेमा अथवा फिल्मों का आविष्कार । सिनेमा अथवा फिल्में एक ऐसा वैज्ञानिक आविष्कार है जो जनता को पर्दे के माध्यम से शिक्षा,संस्कार, मनोरंजन आदि देने का एक सशक्त माध्यम है। सिनेमा का शिक्षित- अशिक्षित, सभ्य-असभ्य सभी प्रकार के लोग लाभ उठाते हैं । किसी भी गूढ़ विषय को सिनेमा सहजता से लोगों के सामने प्रस्तुत करता है । दृश्य एवं श्रव्य माध्यम होने के कारण यह मानवीय सम्वेदनाओं के सूक्ष्म रूप एवं उनकी परिधियों का व्यापक रेखांकन करता है जिस को आम जनता सरलता से समझ लेती है । सिनेमा की लोकप्रियता का सबसे बड़ा पहलू यह है कि वह आम व्यक्ति को शांति, प्रेम, भाईचारा, मनोरंजन, शिक्षा आदि का संदेश देता है ।

सिनेमा हमेशा से ही सामाजिक परिवर्तन करने में आगे रहा है । वह जन शिक्षा का बड़ा ही प्रभावशाली माध्यम भी है । प्रत्येक फिल्म में एक कहानी होती है । सिनेमा की कथावस्तु साहित्य की कहानी की कथावस्तु से पूर्णतः मेल खाती है । इसमें भी कथात्मकता पाई जाती है। भूमिका, कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र-चित्रण,देशकाल, वातावरण, सम्वाद, रस, अभिनय, भाषा-शैली, उद्देश्य आदि सभी तत्वों के माध्यम से फिल्म की कहानी को, आकर्षक एवं प्रभावी बनाया जाता है । साहित्य की विधाओं की भाँति सिनेमा को भी कई भागों में बाँटा जा सकता है= आर्ट फिल्म, टेली फिल्म, चाइल्ड फिल्म, डाक्यूमेंट्री, कमर्शियल फिल्म, वृत्तचित्र, विज्ञापन फिल्म, युद्ध एवं शांति आदि विषयों से जुड़ी फिल्म आदि । किसी भी फिल्म में साहित्य के छः प्रमुख तत्व भी पाये जाते हैं । इसमें निर्माता, निर्देशक, पटकथा-लेखक, अभिनय कर्मी, गीतकार, संगीतकार, कोरियोग्राफर, कमेंटेटर, स्टंट मैन, साज सज्जाकार, आदि व्यक्ति अपना योगदान देते हैं । सिनेमा में भी नव रस, गुण, ध्वनि, रीति आदि का समावेश होता है । साहित्य की भांति ही सिनेमा में भी श्रृंगार रस 'रसराज' है । सिनेमा सृजनात्मक और यांत्रिक प्रतिभा का सुंदर संगम बन गया है ।

साहित्य के अनुसार सिनेमा की परिभाषा-

1) **कार कमलस्वरूप-** सिनेमा अनुभूति और सम्वेदना, व्यष्टि और समष्टी के सम्बंध का विज्ञान है । विभिन्न नाट्य एवं ललित कलाओं का सम्मिश्रण है ।

2) **डॉ कैलाशनाथ पाण्डेय-** जीवन की हर झांकी और मंजर को रूपायित सिनेमा संसार का सबसे सुंदर सांस्कृतिक उपहार है ।

3) **विनोद दास-** सिनेमा एक कला है और अन्य कलाओं की तरह यह भी हमारे समय और समाज की बुनियादी तथा तात्कालिक चिंताओं-जिज्ञासाओं को अपनी सृजनात्मकता का एक अनिवार्य अंश बनाता रहा है ।

4) **शुचिता शरण-** सिनेमा को एक कला, एक व्यवसाय, एक उद्योग, एक नकली दुनिया, चकाचौंध, एक हकीकत अनेक विशेषणों से सम्बोधित किया जा सकता है ।

5) **लुई बुनुएल-** सिनेमा स्वप्नलोक, मानवीय भावनाओं को उनकी सम्पूर्णता में दिखाने और मानवीय सम्वेगों को चित्रित करने का सर्वोत्तम माध्यम है ।

विश्व में सबसे अधिक फिल्में भारत में बनाई जाती हैं, भारतीय सिनेमा जगत बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है । इसी प्रकार लॉस एंजेल्स हॉलीवुड के नाम से विख्यात है । सिनेमा लोगों में जागरूकता पैदा करता है । सिनेमा के संदर्भ में अभिनेता और फिल्म निर्माता पंकज कपूर का विचार है कि- 'मंच' की तुलना में फिल्मों और टी.वी का क्षेत्र व्यापक है ।

हिंदी सिनेमा का विभाजन-

- हिंदी सिनेमा का आदिकाल- सन 1896-1940
- हिंदी सिनेमा का स्वर्णयुग – सन 1940-1960
- आधुनिक सिनेमा

सिनेमा के आविष्कार के बाद जैसे-जैसे इसके क्षेत्र का विस्तार होता गया, वैसे- वैसे साहित्य में भी नए-नए प्रयोग होने लगे । सिनेमा के प्रभाव से साहित्य में आदर्शवाद के स्थान पर यथार्थवाद, मार्क्सवाद, जनवाद, रंगभेद, नस्लभेद, राष्ट्रवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि अनेक वादों और समस्याओं पर लेखन कार्य शुरू हो गया । कम्प्यूटर के विकास ने साहित्य और संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी । नेट, ट्विटर, वेब लिट्रेचर आदि इलेक्ट्रानिक साहित्य के विकास से जन भावनाओं और विचारों का सम्प्रेषण शीघ्रता से तथा प्रभावी ढंग से पहुँचने लगा ।

फिल्मों के प्रकार:- फिल्में अनेक प्रकार की होती है । फिल्म एक माध्यम है जिसे प्रत्येक फिल्मकार अपनी दृष्टि से उपयोग करता है । उद्देश्य, समयावधि, विषय, स्वरूप आदि के अनुसार फिल्मों के अनेक प्रकार बनते हैं जिसे निम्न प्रकार से देखा जा सकता है ।

1) **फीचर फिल्म –** 'फीचर' शब्द का हिंदी अर्थ है- कथाशैली । फीचर फिल्म उसे कहा जाता है जिसका निर्माण मात्र व्यावसायिक

लाभ उठाने के लिए किया जाता है । इन फिल्मों का उद्देश्य मात्र मनोरंजन होता है । फिल्म जॉनर के आधार पर फीचर फिल्मों को कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है । "फिल्म सिद्धान्तकारों के अनुसार जॉनर एक पद्धति है , जिसके जरिए फिल्मों के विषय अथवा उनकी विवरणात्मक शैली में दिखने वाली समानता के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जाता है । सिनेमा में यह तथ्य साहित्य से आया है । फिल्में अलग-अलग जॉनर में बनती है । जैसे- एक्शन, अपराध, रहस्य, प्रेम, पारिवारिक, हॉरर, संगीतमय, थ्रिलर, हास्य, साइंस फिक्शन,युद्ध सिनेमा आदि । हम हिंदी फीचर फिल्म के कुछ प्रचलित प्रकार निम्न रूप से देखेंगे:-

- प्रेम प्रधान फिल्में
- हिंसा प्रधान फिल्में
- हास्यप्रधान फिल्में
- सामाजिक फिल्मे
- राजनैतिक फिल्में
- पारिवारिक फिल्में
- डॉक्यूमेंट्रीज़
- टेलीफिल्म
- एनिमेशन(गतिकला) और कार्टून फिल्म
- विज्ञापन फिल्म

साहित्य का सिनेमा पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है, सिनेमा के शुरुआती वर्षों में पौराणिक एवं धार्मिक फिल्में ज्यादा बनाई गईं । सिनेमा के मध्यकाल में वीरतापूर्ण, सामाजिक और राजनैतिक फिल्में अधिक बनाई जाने लगीं जो आम जनता के बहुत करीब होती थीं । वर्तमान समय में वैज्ञानिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं, जैसे-पर्यावरण, प्रदूषण, महँगाई, भ्रष्टाचार, मानवाधिकार तथा क्षेत्रीय सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याओं को ध्यान में रखकर फिल्में बनाई जा रही हैं । दिसम्बर 2011 में बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म-'वेयर हैव यू हिडेन न्यु क्रेसेंट मून' में कश्मीर की विधवाओं की पीड़ा और हताशा को गहराई से उकेरा गया है । इस बारे में फिल्म निर्माता इफत फातिमा कहती हैं कि- डॉक्यूमेंट्री अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है ।

साहित्यिक रचनाओं को आधार बनाकर अनेक फिल्मों एवं धारावाहिकों का निर्माण किया गया है और यह अभी भी बदस्तूर चल रहा है । उदाहरणस्वरूप - संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' । अगर हम बात करें कि किसी लेखक की रचना को आधार बनाकर बनायी गई फिल्मों में 'मुंशी प्रेमचंद' का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । उनके उपन्यासों तथा कहानियों की समस्याओं, संदेशों को आम जनता तक पहुँचाने में सिनेमा के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है-

1. कफन- कफन फिल्म -1910- ए एफ टी कम्पनी
2. निर्मला- निर्मला धारावाहिक- 1980
3. शतरंज के खिलाड़ी - शतरंज के खिलाड़ी फिल्म-1977- सत्यजीत रे
4. सेवासदन- सेवासदन फिल्म- 1918- एम एस सुब्बुलक्ष्मी

प्रेम चन्द के साथ ही साहित्य जगत के ख्यातिलब्ध साहित्यकारों की कृतियों पर भी अनेक फिल्में बनी जिनका कथानक, सामाजिक समस्याओं, प्रेम सम्बंधों,नक्सलवाद,परिवार विभाजन आदि मुद्दों पर केंद्रीत था, इस प्रकार की कुछ प्रसिद्ध फिल्में-

1. अमृता प्रीतम - फिल्म पिंजर, निर्देशक - वासु चटर्जी
2. डाकू - अमृता प्रीतम - फिल्म डाकू - 1975 - निर्देशक - वासु चर्टेजी
3. परिणीता - शरतचंद चटर्जी - फिल्म परिणीता - 1953 और 2005 - निर्देशक - श्याम बेनेगल एवं विधु विनोद चोपड़ा
4. देवदास - शरतचंद चटर्जी - फिल्म देवदास - 1928, 1935, 1955, 2002
5. उपहार - रवींद्र नाथ टैगोर - फिल्म उपहार

रवींद्र नाथ टैगोर की अन्य कृतियों- क्षुधिता पाषाण, अतिथि, राही मासूम रजा की रचना 'आधा गाँव', गाँधीजी के दर्शन तथा सत्य-अहिंसा पर कई पुस्तकें बाजार में आईं और उनसे प्रभावित होकर कई फिल्में बनाई गईं- गाँधी, गाँधी माई फादर, मुन्नाभाई एम बी बी एस .....आदि ।

बात अगर फिल्मी गानों की करें तो इसमें कहीं-कहीं छंद बह्र का निर्वहन भी दिखता है, जो गजल, रूबाई, मुक्तक, गीतिका आदि किसी भी विधा में हो सकती है । कुछ लोकप्रिय फिल्मी गाने जो मुक्तक के 'विधाता छंद' में ही रचे गए हैं:-

5. बहारों फूल बरसाओ.....(हसरत जयपुरी)
6. सजन रे झूठ मत बोलो....(शैलेंद्र)
7. किसी पत्थर की मूरत से.....(साहिर लुधियानवी)
8. खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल......(आनंद बक्शी)

इसके अतिरिक्त संगीत में 'फोक या लोकगीत' की पकड़ लेकर लिखी और गायी जाने वाली ध्वनियों के लिए संगीतकार काफी मेहनत करते

हैं। स्नेहा खानविलकर ने अनुराग कश्यप की फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के लिए पूरा बिहार छान मारा। लोक संगीत की धुन देने के लिए चटनी संगीत, मसाला भरे गानों की सही पहचान एवं टोन के लिए वे मजदूरों, खोमचे, रेवड़ी वालों से मिलकर गाने में नया अंदाज देने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। गीतकार 'मेलोडी' तथा 'अंडर टोन' पकड़ते हैं। जैसे- फँस गए ओबामा' में संजय कपूर ने कर दिखाया।

हिंदी सिनेमा ने भी हिंदी साहित्य पर प्रभाव डाला है। कविता के क्षेत्र में बेडौल, छंदमुक्त गद्यात्मक कविताओं पर तथा गद्य के क्षेत्र में कहानियों, उपन्यासों पर सिनेमा का असर प्रत्यक्षः दिखाई देता है। वरिष्ठ फिल्म समीक्षक 'मनमोहन चड्ढ़ा' ने कुछ समय पहले हिंदी में 'हिंदी सिनेमा' का इतिहास लिखा था। इस पुस्तक पर उन्हें राष्ट्रपति के 'स्वर्ण कमल पुरस्कार' से नवाजा गया। सिनेमा ने अपने 100 वर्ष की यात्रा को कला के स्तर पर स्थापित किया है। यद्यपि समय के साथ कला का स्वरूप बदल गया है लेकिन सामाजिक सरोकार के निमित्त उसके महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। हिंदी सिनेमा ने अपने सामाजिक उपभोक्तावादी व्यवस्था के तहत जो व्यवसाय परक नियम बनाए गए थे, वे टूटते जा रहे हैं। इसने समाज में प्रचलित कुप्रथाओं, परम्पराओं तथा कुत्सित मान्यताओं का खण्डन किया है। समाज-सापेक्ष लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई है। इस दिशा में सिनेमा ने साहित्य को भी पीछे छोड़ दिया है।

वर्तमान में सिनेमा मनोरंजन का सबसे सस्ता और सबसे बड़ा माध्यम है, सिनेमा सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाता रहा है। बाम्बे टॉकीज द्वारा बनाई गयी फिल्म 'अछूत कन्या-1936' ने समाज के कटु सत्य को बखूबी पेश किया। प्रभात कम्पनी द्वारा बनाई गई फिल्म 'दुनिया ना माने' मे बेमेल विवाह प्रथा को बंद कराने में महती भूमिका निभाई थी।गुलजार की 'पंजाब के आतंकवाद' पर आधारित फिल्म 'माचिस' हमें कई कोणों से सोचने पर मजबूर कर देती है। समाज को अंधविश्वास, रूढ़ियों, कुप्रथाओं आदि से मुक्ति दिलाने में फिल्मों का योगदान प्रसंशनीय है फिल्म 'अमृत मंथन' में नरबलि का विरोध किया गया।

हिंदी साहित्य एक प्राचीन कला है और सिनेमा आधुनिक कला। सिनेमा आज समाज को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कलारूप है। आज के परिदृश्य में कह सकते हैं कि जिस देश का सिनेमा जैसा होगा वैसा वहाँ का समाज होगा। आज सिनेमा हमारे रीति रिवाज, खान-पान, रहन-सहन तक पहुँच चुका है। समूची मानवीय सभ्यता का यथार्थ जिस माध्यम से आज हमारे सामने उपस्थित है, उसमें सिनेमा की अग्रणी भूमिका है। भारतीय, हिंदी सिनेमा ने जनसामान्य के अवचेतन जीवन को सम्बोधन और स्थिर भावों को गति प्रदान की है। सिनेमा में बहुसंख्यक समाज अपने समग्र तेवर, कलेवर, अपने सम्पूर्ण चरित्र और व्यवहार के साथ हजारों गीतों, सम्वादों, पात्रों, किस्से-कहानियों में मौजूद है। आज सिनेमा जगत ने विश्व संस्कृति की अवधारणा को नए आयाम दिए हैं। जन संचार के सशक्त माध्यम के रूप में सिनेमा आज की सबसे बड़ी जरूरत है।

आज सिनेमा को कला का दर्ज़ा देकर उसे सभी कलाओं का सिरमौर कहा जाने लगा है। अन्य कलाओं की तरह सिनेमा भी एक कला है, जिसे हम यांत्रिक कला कह सकते हैं। सिनेमा में विज्ञान की शक्ति और कला की सुंदरता है जो बुद्धि को खाद्य देती है और हृदय को आंदोलित करती है। साहित्य और सिनेमा समाज के अभिन्न अंग है। दोनों ही कलाएँ समाज में जन्म लेती हैं और अंततः समाज को प्रभावित करती हैं। 'साहित्य और सिनेमा का एक-दूसरे से परस्पर सम्बंध है और यह दोनों विधाएँ मिलकर समाज सुधार का कार्य भी करती हैं।

अतः इस प्रकार हम देखते हैं कि साहित्य और सिनेमा कला के दो अलग-अलग माध्यम हैं। सिनेमा और साहित्य दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। साहित्य कलम पर तो सिनेमा कैमरे पर निर्भर करता है। सिनेमा का प्रारंभ से ही साहित्य के साथ अभिन्न नाता रहा है। साहित्यकारों और फिल्मकारों ने हमेशा समाज को आईना दिखाने का कार्य किया है। दोनों विधाओं ने मनोरंजन के साथ-साथ उपदेश का मर्म भी लोगों तक पहुँचाया है। दुःखी पीड़ित लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का प्रयास किया है। निराश मन में प्रेरणा और उत्साह भरने का कार्य किया है। दोनों ने आम आदमी के दर्द को अभिव्यक्ति दी और समाज की अनसुलझी समस्याओं का समाधान अपने माध्यम से करने का प्रयास भी किया है। साहित्य और सिनेमा की ताकत बहुत बड़ी है। आरक्षण का मुद्दा गरमाया तो 'आरक्षण' पर पुस्तकें प्रकाशित होने लगी तो 'आरक्षण' नाम की फिल्म भी बनी। आज जब भ्रष्टाचार की खासी चर्चा है तो इस पर भी साहित्य एवं सिनेमा की रचना में तेजी आ गई।सामाजिक सरोकार से सीधे जुड़े होने के कारण, मानव मात्र के पथ प्रदर्शक के रूप में ये दोनों महती भूमिका निभा रहें हैं।

रोज़गार और हिन्दी

शैलेश प्रसाद, लिपिक, कोलकाता 2 क्षेत्र

आज हिन्दी भाषा के बढ़ते चलन और वैश्विक रूप ने रोजगार की अनेक संभावनाओं को उजागर किया है । विभिन्न क्षेत्रों में इसकी स्वीकृति और प्रयोजनीयता बढ़ाने और हिन्दी को नई पहचान देने में बाज़ार का बहुत बड़ा योगदान है । 14 सितंबर को देशभर में हिन्दी दिवस मनाया जाता है । इसी वजह से हम हर साल इस दिन को कुछ ज्यादा ही याद करते हैं । चूंकि हिन्दी दिल की भाषा है, संवेदना की भाषा है, संस्कृति की भाषा है, समाज को जोड़ने की भाषा है, इसलिए ऐसी भाषा के लिए केवल एक दिन कैसे हो सकता है ? हिन्दी भाषा के बिना भारत और भारतीयता अधूरी है, जिस तरह एक घर में माँ के बिना घर परिवार और उस घर के बच्चे अधूरे हैं । इस अधूरेपन को दूर करने के लिए हमें हिन्दी को दिल से जोड़ना होगा ।

आज के समय में किसी भाषा या बोली को जीवित रखने के लिए मात्र साहित्य ही नहीं, बल्कि व्यवसाय, विज्ञान और रोजगार की भाषा बनाने की भी जरूरत होती है । जो भाषा सामान्य मनुष्य को रोजगार नहीं दे पाती, वह धीरे – धीरे एक संकुचित दायरे में सिमटती चली जाती है । अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने का सबसे बड़ा कारण व्यवसाय है । अधिकतर लोग किसी न किसी व्यावसायिक कारण से ही किसी अन्य भाषा को सीखते हैं । विज्ञान और तकनीक के युग के साथ हिन्दी कदमताल करती दिखाई दे रही है । जब भी भाषा का विकास और विस्तार होता है, तब रोजगार की संभावना भी बढ़ जाती है । आज हिन्दी भाषा के बढ़ते चलन ने रोजगार की अनेक संभावनाओं को उजागर किया है ।

हिन्दी में आज कई तरह से रोजगार के मौके सामने आए हैं । सभी सरकारी अधिकारियों के लिए दफ्तरों में अंग्रेजी के साथ – साथ हिन्दी का उपयोग अनिवार्य बनाया गया है । आदेश, नियम, प्रेस विज्ञप्ति अनुबंध व विभिन्न प्रारूपों को हिन्दी में बनाना और जारी करना अनिवार्य है । केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के सभी विभागों, उपविभागों में हिन्दी अधिकारी, अनुवादक, प्रबन्धक, उप- प्रबन्धकों के रूप में रखे जा रहे हैं । सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में राजभाषा अधिकारी के पद बनाए गये हैं । निजी क्षेत्र में बैंकिंग कारोबार बढ़ाने के लिए उपनगरों व ग्रामीण इलाकों में स्थानीय लोगों की भर्ती कर उन्हें स्थानीय भाषा में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है । इसके अलावा अनुवाद आज सब से बड़ा रोजगार बनता जा रहा है । न केवल साहित्यिक किताबों बल्कि मीडिया, फिल्म, जनसम्पर्क, बैंकिंग क्षेत्र, विज्ञापन आदि सभी जगहों पर अनुवाद करने वालों की काफी मांग है ।

विज्ञापन आज के मानवीय जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है । आधुनिक इलेक्ट्रानिक माध्यमों ने विज्ञापन के व्यवसाय में एक तरह की क्रांति पैदा कर दी है, जिसका बोध हमें विगत वर्षों में विज्ञापन पर लगातार बढ़ते जा रहे भारी - भरकम खर्च से होता है । भारत में विज्ञापन का कारोबार हज़ारों करोड़ों रूपये से ज्यादा का है । इसमें भी हिन्दी में विज्ञापनों का बाज़ार तेजी से बढ़ा है । विज्ञापन बाज़ार पर हिन्दी का ही कब्जा है । आज भारतीय विज्ञापन उद्योग ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी एक अलग पहचान बना ली है । भले ही यहाँ तक पहुँचने में उसे लंबा सफर तय करना पड़ा हो । विज्ञापन की दुनिया में ही कई क्षेत्र है जिसमें हमेशा रोजगार के नए अवसर बनते रहते हैं । हिन्दी भाषियों के लिए अब काफी संभावनाएँ सामने आई हैं।

किसी भी देश कि राष्ट्रभाषा वही मानी जाती, जिसका अपने देश की संस्कृति, सभ्यता व साहित्य से गहरा संबंध हो । हिन्दी देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है । आज भारी संख्या में विदेशी छात्र हिन्दी सीखने के लिए भारत आ रहें हैं । कई तकनीकी रोजगार हिन्दी के बल पर मिलते नजर आ रहे हैं । देश में विदेशी चैनलों का आगमन हुआ तो लगा कि हिन्दी का वजूद घट जाएगा, लेकिन हिन्दी की अहमियत और अधिक बढ़ गई है । आज सबसे ज्यादा देखा जाने वाला न्यूज़ चैनल हिन्दी में ही है । हिन्दी सिनेमा भी सिने प्रेमियों के लिए मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम बन कर उभरा है ।

लगभग 70 करोड़ लोग अपने दैनिक जीवन में हिन्दी का प्रयोग करते हैं । हिन्दी के द्वारा हम शिक्षा, राजनीति, इतिहास, विज्ञान, वाणिज्य आदि क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं । केंद्रीय संस्थानों और कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है । वे अपने यहाँ हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देते हैं और हिन्दी में कामकाज को सुगम बनाते हैं । यदि आप हिन्दी विषय में स्नातक हैं और एक विषय के रूप में अंग्रेजी भी पढ़ी है तो राजभाषा अधिकारी के रूप में करियर बना सकते हैं । हिन्दी पढ़ने वाले छात्रों के बीच पत्रकारिता भी एक आकर्षक विकल्प है, जहां मेहनती और प्रतिभावान युवाओं के लिए बहुत संभावनाएं हैं । समाचार चैनलों और अखबारों के अलावा भी हिन्दी के अनेक चैनल और पत्र – पत्रिकाएँ हैं जहां हिन्दी भाषी प्रतियोगियों के लिए दरवाज़े खुले हैं ।

अनुवाद का क्षेत्र बहुत बड़ा है । दुनियाभर में जैसे – जैसे हिन्दी का प्रयोग बढ़ रहा है वैसे – वैसे अनुवादकों और द्विभाषाविदों की मांग बढ़ती जा रही है । कई देशी – विदेशी मीडिया संस्थान, राजनीतिक संस्थाएं, पर्यटन से जुड़े संस्थान और बड़े होटलों में अनुवादकों की अच्छी खास मांग है ।

रेडियो जॉकी में करियर बनाया जा सकता है । यदि आप भाषा पर अच्छी पकड़ रखतें है, आपकी आवाज अच्छी है तो यहाँ एक अच्छा

मौका है । बस आपको अपनी सधी सी आवाज़ में कार्यक्रम का संचालन करना होता है । और देश – विदेश की घटनाओं की जानकारी देनी होती है । क्रिएटिव राइटिंग जिसमें रचनात्मक लेखन किया जा सकता है । इस तरह हम कह सकते हैं कि हिन्दी के जानकारी रखने वालों के लिए भी कई तरह के रोजगार के अवसर हैं ।

हालांकि यह भी सत्य है कि नौकरी देने में अंग्रेजी भाषा को विशेष महत्व दिया जाता है पर इस विषय पर कुछ परिवर्तन करना होगा की जिससे हिन्दी ज्ञाताओं को भी रोजगार अपने देश की भाषा के माध्यम से मिले तब जाकर भारत देश सुदृढ़ होगा । अपनी भाषा को महत्व देना होगा । जैसे दूसरे देशों में उस देश की भाषा के वजह से रोजगार मिलता है उसी तरह से हमें भी परिवर्तन करने की अवश्यकता है ।

हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत पाठयक्रम आते हैं । ये पाठयक्रम भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में केंद्र सरकार तथा उसके उपक्रमों, निगमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के उन कर्मचारियों को हिन्दी का सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित किए जाते है, जिनके लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है । प्रबोध पाठ्यक्रम प्रारम्भिक स्तर का है, प्रवीण पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है । प्राज्ञ पाठयक्रम में प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण तथा अन्य हिन्दीतर भाषा – भाषी कार्मिकों जिन्हें मैट्रिक स्तर की हिन्दी का ज्ञान नहीं है वे इस प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं । पारंगत पाठयक्रम के अंतर्गत सभी मंत्रालयों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं । पारंगत पाठयक्रम को व्यापक लोकप्रिय बनाने के लिए केंद्र सरकार के कार्मिकों को पारंगत प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहित करने के लिए कुछ राशियां प्रदान की जाती है जिससे रोजगार की संभावनाएं अच्छी होती है । राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने, हिन्दी की निर्धारित अंतिम परीक्षा पास करने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 12 महीनों की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है ।

साहित्य अनुवाद के अंतर्गत साहित्य लिखने वालों के लिए भी रोजगार अर्जित करने की संभावनाएं हैं । अनुवाद के अंतर्गत फिल्मों की डबिंग साहित्य से फिल्म बनाना, साहित्य से नाट्यरूपांतरण करना आदि माध्यमों से भी रोजगार पाया जा सकता है । विभिन्न कार्यक्रमों के निर्माण, प्रसारण, संचालन व अभिनय के क्षेत्र में आज पहले से अधिक अवसर उपलब्ध है । साहित्यिक अनुवाद आज के युग की आवश्यकता है । राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कई प्रकाशन संस्थान हैं, जो श्रेष्ठ पुस्तकों का अनुवाद करती हैं । प्रसिद्ध नाट्यकार शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में मिल जाता है । रवीन्द्रनाथ ठाकुर की "गीतांजलि" को कौन भूल सकता है, जिसने अनूदित रूप में वैश्विक फलक पर अपनी विशेष पहचान बनायी । कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि साहित्यिक अनुवाद के माध्यम से रोजगार तो प्राप्त किया ही जा सकता है, साहित्यिक क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में भी अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है ।

शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी माध्यम के वर्गों के लिए भी रोजगार के कई अवसर हैं । यदि आप हिन्दी में स्नातक हैं और अंग्रेजी को एक विषय के रूप में पढ़ा है तो राजभाषा अधिकारी के रूप में करियर बनाया जा सकता है । हिन्दी पढ़ने वाले व्यक्तियों के लिए पत्रकारिता रोजगार का एक आकर्षक विकल्प है । समाचार चैनलों और अखबार के अलावा भी टेलीविज़न में कई चैनलों में कई कलाकारी के लिए भी अवसर खुला हुआ है । हिन्दी समाचार चैनलों में कई प्रकार के पत्रकारों की अवश्यकता है । हिन्दी का अध्ययन करने वालों के बीच अध्यापन एक पारंपरिक करियर विकल्प के रूप में लोकप्रिय है । उच्च शिक्षण संस्थानों से लेकर प्राथमिक स्तर तक शिक्षण के अवसर योग्यतानुसार उपलब्ध रहते हैं । समय –समय पर आयोजित होने वाली "राष्ट्रीय पात्रता " NET में शामिल हो सकते हैं । शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक के अलावा शिक्षा से जुड़े अन्य व्यवसाय में भी रोजगार की अपार संभावनाए हैं ।

अंतराष्ट्रीय स्तर पर लगभग 127 देशों के विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाती है । दुनिया के लगभाग सभी देशों में हमारे दूतावास हैं । इसी तरह दुनिया के तमाम देशों के दूतावास हमारे देश में हैं । हमारे कई दूतावासों में अब हिन्दी विभाग की स्थापना हो चुकी है । इस विभाग द्वारा देश – विदेश की जानकारी, घटनाएँ, स्थितियाँ आदि को हिन्दी में तैयार किया जाता है और भारत के विदेश मंत्रालय को भेजा जाता है । इस पत्राचारों, समाचारों, रिपोर्टों में हिन्दी का उपयोग होता है । इस तरह हिन्दी विशेषज्ञता की मांग निरंतर बढ़ रही है ।

सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भी कई तरह के रोजगार के अवसर खुले हुये हैं ।सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियाँ हिन्दी के जानकारों को नौकरी दे रही हैं । माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट-इन हिन्दी टाइपिंग की सुविधा है । कम्प्यूटर पर हिन्दी को और अधिक सुलभ तरीके से उपलब्ध करवाने के लिए हिन्दी में प्रशिक्षित लोगों की मदद ली जा रही है । लगभग हर एप्लीकेशन में हिन्दी को स्थान दिया जा रहा है । यह सब हिन्दी जानने वाले प्रोफेशनल्स की मदद से ही मुमकिन हो पा रहा है । आप अपनी योगयता, कौशल तथा ज्ञान के आधार पर इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पा सकते हैं । हिन्दी में लिखने के लिए आप अपने कम्प्यूटर में हिन्दी सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं जिससे आपको टाइपिंग करने में सुविधा होगी । इससे हिन्दी से जुड़े लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो रहें हैं ।

भारत ही नहीं विदेशों में भी हिन्दी की पढ़ाई करने को लेकर विद्यार्थियों में रूचि बढ़ी है । आज हिन्दी भारत के बाहर विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है । भारतीय संस्कृति को समझने और जानने के लिए विदेशी छात्रों को नौकरी के अवसर मिलते हैं । विदेशी विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की वेतन डॉलर में है, जो यहाँ के प्राध्यापकों से कहीं अधिक है । जब हॉलीवुड की हैरतअंगेज फिल्म अवतार अँग्रेजी के साथ – साथ

हिन्दी में भी उसी दिन रिलीज हुई, तो भारतीय दर्शकों के लिए किसी सौगात से कम नहीं था। टीवी पर डिस्कवरी या पोगो जैसे चैनलों के मूल अँग्रेजी कार्यक्रम हम रोज हिन्दी में देखते हैं। जब भारतीय बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खुल गया, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यहाँ एक बड़ा बाजार नजर आया। इस बाजार में अपना दबदबा बनाने के लिए हिन्दी उनके लिए बेहद ज़रूरी हो गई। इससे हिन्दी में लिखने बोलने वालों के लिए व्यापक अवसर बने। यह हिन्दी के बढ़ते बाज़ार का ही फल है कि विदेशी कंपनियों और संस्थाओं में हिन्दी माध्यम से पढ़े हुये लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं।

संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि हिन्दी भाषी राज्यों में आईआईटी, आईआईएम जैसे तकनीकी और गैर- तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण का माध्यम हिन्दी होना चाहिए। भारत के अन्य हिस्सों में संबन्धित स्थानीय भाषाएँ होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली संसद की राजभाषा समिति ने हाल में ही ये सिफारिश की है कि केंद्रीय विद्यालयों, आईआईटी , आईआईएम, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र सरकार की नौकरियों की परीक्षाओं में अँग्रेजी भाषा पर हिन्दी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समिति ने सुझाव दिया कि सभी तकनीकी और गैर-तकनीकी संस्थानों में शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी या स्थानीय भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए और अँग्रेजी के उपयोग को वैकल्पिक बनाया जाना चाहिए। आईआईटी और आईआईएम जैसी परीक्षाओं में हिन्दी प्रश्नावली का उपयोग करने से हिन्दी ज्ञाताओं को बहुत सुविधा होगी और वे इस क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते हैं।

फैशन जगत की अगर बात की जाये तो इसमें अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। छात्र अपनी रुचि के अनुसार विकल्प चुनकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फैशन कम्यूनिकेशन, फैशन स्टाइलिंग, फोटोग्राफी, डिजाइन विभाग, क्रिएटिविटी मार्केट रिसर्च आदि अनेक शाखाएँ उपलब्ध है जिसमें प्रत्येक का अपना अलग महत्व है और हर क्षेत्र में असीम संभावनाएं विद्यमान हैं। फैशन स्टाइलिंग, भारत में अभी यह विषय नया है लेकिन इसमें संभावनाएं तलाश कर इसे सफल कैरियर के रूप में अपनाया जा सकता है। इसी प्रकार फैशन पत्रकारिता में भी बेहतरीन विकल्प है क्योंकि फैशन उद्योग में टीवी प्रोग्राम बनाने तथा अच्छे लेखन में संभावनाएं हैं। फैशन से जुड़े विज्ञापन, एजेंसी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियाँ भी अपने पैनल में फैशन पत्रकारों को शामिल करती हैं। इसमें फैशन फोटोग्राफी की असीम संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं।

12वें विश्व हिन्दी सम्मेलन का लोगो

इस वर्ष 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 के दौरान फ़िजी के नांदी शहर में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का मुख्य विषय 'हिन्दी –पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक' (Hindi –Traditional knowledge to Artificial Intelligence) है। विदेशों में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार हेतु, भारत सरकार, भारत और विदेशों में, विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन करती रही है। यह विदेश मंत्रालय द्वारा, 3-4 वर्षों के अंतराल में, मेजबान देश और अन्य स्थानीय सांस्कृतिक और भाषाई संगठनों के सक्रिय सहयोग के साथ आयोजित किया जाता है।

इसी क्रम में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें प्रतिभागियों को भारत-फ़िजी मित्रता को प्रतिबिंबित करते हुए दोनों देशों के ध्वजों के रंगों से इस तरह सजाना था ताकि वह फ़िजी की भौगोलिक स्थिति, कला, शिल्प आदि को प्रतिबिम्बित कर सके। अगर लोगो की बात करें तो इसे श्री मुन्ना कुशवाहा ने डिजाइन किया है। भारत सरकार द्वारा प्रतियोगिता विजेता के लिए रुपए 75,000 तथा दो अन्य प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार स्वरूप रुपये 10,000 दिए जाने की घोषणा की गई थी। अगर लोगो की बात करें तो लोगो के बाईं ओर दिए गए केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग भारतीय राष्ट्रीय ध्वज़ का प्रतिनिधित्व करता है तो वहीं दाईं ओर दिए गए रंगों की संकल्पना को मूल रूप से फ़िजी के राष्ट्रीय ध्वज से लिया गया है। लोगो के शीर्ष पर दिया गया अंक '१२' बारहवें विश्व हिन्दी दिवस को निरूपित करता है। अंक 12 के ऊपर दर्शाए गए नारियल के पेड़ और उगता हुआ सूरज फ़िजी की संस्कृति का द्योतक है। एक ओर जहां कमल के नीचे दिया गया नीला रंग फ़िजी के प्रायद्वीप की स्थिति को दर्शाता है तो वहीं दूसरी ओर वहीं कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है।

शब्द	उच्चारण	उद्भव	
dauntless	dawnt-les	पुरानी फ्रेंच	निडर
foehn	feyn	जर्मन	गर्म हवा (लू)
fichu	fish-oo	फ्रेंच	रूमाल
tisane	Te-zam	इतावली	सुगंधित जड़ी बूटी वाला चाय
aegis	ee-jis	ग्रीक	संरक्षण
toxophilite	tok-sof-uh-lahyt	प्राचीन ग्रीक	धनुर्धर
bilious	bil-yuhs	लैटिन	अप्रिय
baksheesh	bak-sheesh	फारसी	बख्शीस/ नेग/ ईनाम
auriferous	aw-rif-er-uhs	लैटिन	स्वर्ण युक्त
porphyry	pawr-fe-re	मध्यकालीन लैटिन	कठोर चट्टान
saber	sey-ber	जर्मन	एक धार वाली तलवार
makai	muh-kahy	पुरानी अंग्रेज़ी	समुद्र की ओर
teapoy	tee-poi	हिंदी	तिपाई
corsair	kawr-sair	मध्यकालीन फ्रेंच	समुद्री डाकू
torrid	tawr-id, tor-	लैटिन	अत्यंत गरम
de novo	dee noh-voh, dey	लैटिन	शुरुवात
gingerly	jin-jer-lee	मध्यकालीन फ्रेंच	सावधानी
frondescence	fron-des-uhns	लैटिन	हरियाली
selcouth	sel-kooth	पुरानी अंग्रेज़ी	अजीब/ अनूठा
cantrip	kahn-trip	स्कॉटिश	जादू मंत्र
ensorcell	en-sawr-suhl	लैटिन	मोहित करना
prevaricate	pri-var-i-keyt	फ्रेंच	झूठ बोलना
ersatz	er-zahts, -sahts	जर्मन	विकल्प
diglot	dahy-glot	प्राचीन ग्रीक	द्विभाषी

संगीता शेखर
वरिष्ठ प्रबन्धक
क्षेत्रीय कार्यालय
कोयंबत्तूर

राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान एवं राजभाषा

किसी भी देश की पहचान मुख्य रूप से तीन चीजों से होती है – राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान एवं राजभाषा। राष्ट्रध्वज जब फहराया जाता है, उस समय हमारे भीतर जो भावनाएँ जागृत होती हैं, उसका बयान सम्भवत: शब्दों से नहीं किया जा सकता। आँखे नम और मन भाव विभोर हो जाता है। राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, देश के सभी नागरिकों का प्रथम कर्तव्य है। राष्ट्रध्वज को फहराते एवं सलाम करते वक्त राष्ट्रगीत, पूरी तल्लीनता और श्रद्धा के साथ गाया जाता है। परंतु जब भाषा की बात आती है तो हम अलग-थलग दिखाई पड़ते हैं और हमारा झुकाव किसी विदेशी भाषा की तरफ अधिक हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि संविधान सभा ने 14 सितम्बर 1949 को हिंदी को सर्व सम्मति से राजभाषा का दर्ज़ा दिया है और वैसा ही सम्मान और गौरव राजभाषा हिंदी को मिलना चाहिए, जो राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान को मिलता है। हम संविधान का अक्षरश: पालन करने के लिए कटिबद्ध हैं। हिंदी भाषा कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामख्या तक हर प्रांत, हर क्षेत्र, हर जाति, हर धर्म के लोगों को एक सूत्र में बांध कर रखने में सक्षम है। राजभाषा हिंदी का उल्लेख संविधान में है, सिर्फ इसलिए हम हिंदी को स्वीकारें, इस मानसिक बोध से बाहर निकलना होगा। भारत के बाहर भाषायी रूप में हमारी पहचान हिंदी भाषा से है।स्वेच्छा से हिंदी को अपनाएँ और हिंदी में मनन करें, बात करें और लिखें।

1) अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है?
   क) 21 फरवरी ख) 10 फरवरी
   ग) 21 मार्च घ) 26 जनवरी

2) भाषाई क्षेत्र 'ग' के लिए हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य कितना है?
   क) 30% ख) 50%
   ग) 70% घ) 55%

3) भाषाई क्षेत्र 'क' से भाषाई क्षेत्र 'ग' को पत्राचार का लक्ष्य कितना प्रतिशत है?
   क) 55% ख) 75%
   ग) 65% घ) 100%

4) भाषाई क्षेत्र 'ग' से भाषाई क्षेत्र 'क' को पत्राचार का लक्ष्य कितना प्रतिशत है?
   क) 65% ख) 90%
   ग) 100% घ) 55%

5) "अंग्रेजी के व्यामोह से पिंड छुड़ाना स्वराज का अनिवार्य अंग है" कथन किसका है?
   क) जवाहर लाल नेहरु ख) महात्मा गाँधी
   ग) सुभाष चंद्र बोस घ) सी. राजगोपालाचारी

6) राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएँ है?
   क) 10 ख) 9
   ग) 12 घ) 7

7) राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई?
   क) 1976 ख) 1975
   ग) 1981 घ) 1989

8) हिन्दी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ, उसके प्रस्तावक कौन थे?
   क) जवाहर लाल नेहरु ख) पुरुषोत्तम दास टंडन
   ग) सी. राजगोपालाचारी घ) गोपालास्वामी आयंगर

9) राजभाषा नियम कब बना?
   क) 1976 ख) 1963
   ग) 1949 घ) 1955

10) हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त व्यक्ति को व्यक्तिशः आदेश राजभाषा की किस नियम के अनुसार दे सकते है?
   क) राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3)
   ख) राजभाषा नियम 1976 नियम 8(4)
   ग) राजभाषा नियम 1976 नियम 10(4)
   घ) राजभाषा नियम 1976 नियम 12

11) संविधान लागू होने के समय आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था?
   क) 22 ख) 18
   ग) 14 घ) 12

12) संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया है?
   क) सातवीं ख) नौवीं
   ग) आठवीं घ) बारहवीं

13) 21वाँ संविधान संशोधन द्वारा आठवीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया?
   क) सिंधी ख) कोंकणी
   ग) मणिपुरी घ) नेपाली

14) संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है?
   क) 210 ख) 120
   ग) 343 घ) 240

15) राज्य के विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के इस अनुच्छेद में है?
   क) 120 ख) 210
   ग) 349 घ) 351

नोट : राजभाषा प्रश्नोत्तरी के उत्तर के लिए पृष्ठ संख्या 48 देखें

संकलनकर्ता:
बरुन चौधरी
प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित राजभाषा पत्रिका **"वाणी"** का अंक प्रेषण करने हेतु हार्दिक आभार !

भाषा हमेशा ही दिलों को जोड़ती है । जब कोई हिन्दी पत्रिका दक्षिण भारत और वह भी तमिलनाडु क्षेत्र से प्रकाशित होती हो तो हिन्दी भाषियों के साथ तमिल-हिन्दी जानने वालों का एक बड़ा वर्ग एक सूत्र में बंध जाता है, जो समस्त भाषायी अवरोधों को भुलाकर पत्रिका के माध्यम से अपनी कला, अपनी अभिव्यक्ति की सुगंध को हर ओर बिखेरने का प्रयास करता है ।

अपने नाम के सदृष्य वाणी पत्रिका हिन्दी भाषियों के साथ-साथ तमिल भाषियों की अचूक, अभेद वाणी है जो अपनी मधुरता और सहजता के साथ समस्त भाषा-भाषियों के लिए एक संग्रहणीय अंक है। पत्रिका का आवरण पृष्ठ अत्यंत आकर्षक है जो बरबस पत्रिका को पढ़ने हेतु आकृष्ट करता है । पत्रिका में प्रस्तुत समस्त रचनाएँ रुचकर एवं समकालीन है । पत्रिका के निर्माण में संपादक मण्डल एवं राजभाषा विभाग का अथक परिश्रम दिखाई पड़ रहा है ।

वास्तव में **वाणी** पत्रिका गागर में सागर है जो सीमितता में भी असीमित ज्ञान को आलोकित कर प्रत्येक भाषा भाषी को अपनी छवि, पठनीय एवं ज्ञानवर्धक सामग्री तथा सुंदर प्रस्तुति से अपनी ओर आकर्षित कर रही है ।

वाणी के निरवरत प्रकाशन हेतु हमारी कोटिश: शुभकामनाएँ...

(हितेन्द्र धूमाल)
मुख्य प्रबन्धक-राभा
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
आंचलिक कार्यालय, चेन्नई

हमें आपके बैंक की तिमाही गृह पत्रिका "वाणी" प्राप्त हुई – धन्यवाद

आपकी इस पत्रिका में प्रकाशित आलेख 'खुदरा ऋण- संभावनाएँ बनाम चुनौतियाँ', शैक्षणिक ऋण – युवाओं को बनाएँ सशक्त', रिटेल लोन में क्रेडिट स्कोर की अहमियत' एवं अन्य रचनाएँ पठनीय एवं ज्ञानवर्धक हैं । इसमें बैंक की गतिविधियों एवं अन्य खबरों का व्यवस्थित रूप से समावेश किया गया है । इसके प्रकाशन से जुड़ी टीम का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है ।

आशा है भविष्य में भी आप अपने स्तर पर हो रहे राजभाषा कार्यान्वयन व तत्संबंधी गतिविधियों से हमें अवगत कराएंगे ।

(उमानाथ मिश्रा)
मुख्य प्रबन्धक (राजभाषा)
बैंक ऑफ बड़ौदा,
कॉर्पोरेट कार्यालय , मुंबई

तिमाही गृह पत्रिका वाणी का ताजा अंक (133 जून 202) प्राप्त हुआ, उपयोगी सामग्री वाली पत्रिका (खुदरा बैंकिंग विशेषांक) भेजने के लिए धन्यवाद ।

पत्रिका की साज-सज्जा सुंदर, सादगीपूर्ण एवं शालीन है । प्रस्तुति प्रभावशाली है । प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक, महा प्रबन्धक व सहायक महा प्रबन्धक के संदेश समय-सापेक्ष एवं प्रासंगिक हैं । पत्रिका में प्रस्तुत विभिन्न बैंकिंग लेख, कविताएँ एवं अन्य लेख जैसे मज़हब से परे हिंदुस्तान, भारतीय अंटार्टिका बिल 2022, खुदरा बैंकिंग में आइओबी की नवोन्मेषी पहलें, खुदरा ऋण संभावनाएं बनाम चुनौतियाँ आदि की प्रस्तुति आकर्षक, सार्थकता से ओतप्रोत और उच्च कोटि की है । उत्कृष्ट सम्पादन के लिए समस्त सम्पादन मंडल को बधाई । गृह पत्रिका "वाणी" के उज्ज्वल भविष्य के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ ।

(निधिर कांत)
वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक
क्षेत्रीय कार्यालय पणजी – गोवा

हमारी गृह पत्रिका वाणी का 133वाँ अंक प्राप्त हुआ जिसे पढ़ कर हमेशा की तरह प्रसन्नता की अनुभूति हुई । पत्रिका की साज सज्जा मनोहर है तथा संदेशों व लेखों के माध्यम से एक प्रेरणादायक प्रस्तुति दी गई है । खुदरा बैंकिंग विशेषांक के अंतर्गत विभिन्न खुदरा ऋण संबंधी जानकारी ज्ञानवर्धक है और दैनिक बैंकिंग में उपयोगी है । साहित्य का सफ़रनामा के अंतर्गत लिखा गया लेख "मज़हब से परे हिंदुस्तान" में राही मासूम रज़ा के विविध उपन्यास व कविता संग्रह का समेकन अनोखे तरीके से प्रस्तुत किया गया है । साथ ही, पत्रिका में 'खुदरा ऋण, संभावनाएँ बनाम चुनौतियाँ' एक ऐसा लेख है जो समय की मांग के अनुरूप है । वाणी पत्रिका शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही सुंदर, ज्ञानवर्धक और अनोखी है । संपादक मंडल को शुभकामनाओं के साथ बधाई । पत्रिका के नवीन अंक की प्रतीक्षा रहेगी ।

(अनिल कुमार वलेचा)
वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक
क्षेत्रीय कार्यालय - रायपुर

सूरत में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में बैंक के राजभाषा कार्यान्वयन की सराहना करते हुए माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

वाणी के 133वें अंक का विमोचन करते हुए बैंक के कार्यपालक गण

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
www.iob.in
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good People to grow with
आज़ादी का अमृत महोत्सव
आइओबी मोबाइल बैंकिंग
IPO
आइपीओ
खाता विवरणी डाउनलोड
ऋण का भुगतान
आइओबी मोबाइल
निधि अंतरण
इंटरनेट बैंकिंग
इंटरनेट बैंकिंग
जमाएं
रीचार्ज व यूटिलिटी पेमेंट
डेबिट कार्ड सेवाएं
सभी बैंकिंग ज़रूरतों के लिए एक समाधान
उपयोकर्ता द्वारा स्वयं पंजीकरण
अभी डाउनलोड करें
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
हमसे जुड़ें
visit www.iob.in
अधिक जानकारी के लिए नजदीकी शाखा में जाएं